खण्ड-357, अंक-2
सोमवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1904
(5 अप्रैल, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 357 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	117–120
प्रश्नोत्तर (जारी)	122–135
सदन मे पर्चे फेंके जाने की घटना	135
प्रश्नोत्तर (जारी)	135–155
भूतपूर्व सदस्य श्री रन बहादुर सिंह व श्री बांके लाल के निधन पर शोकोद्गार	155–159
पियौरागढ़ के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री हरी सिंह के घर पर पुलिस द्वारा हमले के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	159
बलिया जनपद के ग्राम बहेरी निवासी श्रीमती आसमा खातून पत्नी स्वर्गीय अलगू उर्फ रईस को उसके बच्चों सहित पुलिस द्वारा गायब किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	159–160
हरदोई जनपद के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के गंगा की तलहटी के गांवों में ओला वृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	160
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी व माधोगढ़ में हुई उपल वृष्टि से फसल की क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	160–161
लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभागाध्यक्ष, डा0 डी0पी0 सिंह द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	161
बरेली जनपद के ग्राम भीरपुर व ठगरा में अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना	162
आगरा जिले की तहसील किरावली व फतेहपुर के कतिपय ग्रामों में भयंकर पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	162
गोरखपुर–फैजाबाद मार्ग पर मझोला के निकट बस दुर्घटना में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	163
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस्ती डिपो के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से बस दुर्घटनाओं में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	163
बाराबंकी जनपद की तहसील फतेहपुर के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . ..	163–164
जनपद गाजीपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों को वेतन वितरित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	164
लखनऊ में जनपद की तहसील मलिहाबाद के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	164–165
लखनऊ के क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा चावल मिल मालिकों से घटया किस्म के चावल की खरीद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	165

विषय	पृष्ठ संख्या
जिला मथुरा में आबकारी एवं बिक्रीकर अधिकारियों की सांठ-गांठ से हरियाणा से शराब उत्तर प्रदेश में आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के सूचना	165–166
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 1977-78 (सदन के पटल पर रखा गया)	166
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखो गयो)	166
उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड का षष्टम एवं सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1976–77 एवं 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया)	166
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	166
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट एव लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	166
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	167
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	167
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	167
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	167
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	167
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	167
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	168
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1982 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	168
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	168
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	168
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	168
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	169
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	169

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	169
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	169
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	169
उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	170
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	170
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	170
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	170
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा को प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया)	170
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का ग्यारहवां विशेष प्रतिवेदन (सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया)	171
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का चवालिसवां प्रतिवेदन (सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया)	171
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का पैतालिसवां प्रतिवेदन (सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया)	171
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981–82) का प्रतिवेदन (सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया)	171
स्वामी नेमपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा का सदन से अनुपस्थित रहने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर सहमति का प्रस्ताव (स्वीकृत)	172
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	172
दीवानी कचेहरी, देवरिया के कर्मचारियों द्वारा पुलिस ज्यादती के विरुद्ध हड़ताल किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	173
दिनांक 15 फरवरी, 1982 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–14 के अनुपूरक प्रश्न पर शोभन वक्तव्य	173–174
विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट श्री अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक, देवरिया व डा0 सूर्य प्रसाद, तत्कालीन जिलाधिकारी, गोरखपुर के मामले को निपटाने हेतु समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	174–175
सदन में दिए गये आश्वासन के बावजूद विधायक, श्री माता प्रसाद पाण्डेय को प्रताड़ित करने वाले दरोगा को निलम्बित न किए जाने तथा उनको शैडो न प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	175–179
उन्नाव में पारियर बांध के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना का उत्तर सरकार द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	179–180
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	180–185

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक स्वीकृत) ..	185–199
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 में विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव (संकल्प अस्वीकृत तथा संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव स्वीकृत)	199–203
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	204
इलाहाबाद शहर की दारागंज पुलिस द्वारा श्री पुरुषोत्तम निषाद के परिवार की पिटाई तथा सर्वदलीय सभा पर लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. .	204
प्रदेश के स्नातक तथा स्नातकोतर महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य . ..	204–207
बस्ती के दरोगा श्री जयपय नाथ के निलम्बन तथा विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय को सुरक्षा के सम्बन्ध में मांगी गयी जानकारी पर गृह मन्त्री द्वारा सूचना	207–208
राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य	208
गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन की सूचना	209
सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना	209–210
बजट सत्र के सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त होने पर मुख्य मन्त्री व अन्य सदस्यों तथा श्री अध्यक्ष द्वारा बधाई एवं सदन के अनिश्चितकाल के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	210–217
नत्थियां	218–230

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5 अप्रैल, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 313

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अनवार खां, श्री	अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट) श्री	एटा
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोटे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवर्द्धन तिवारी, श्री	अलमोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चरनजीत सिंह, श्री	पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर

जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल 'विकल संकेती', श्री	फैजाबाद
जोगराज सिंह मौर्य श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
दल गंजन सिंह, श्री	जालौन
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गाप्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
धूप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबूलाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डा०	देवरिया
बैजनाथ कुरील, श्री	लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूप सिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर

भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद यूसुफ, श्री	बस्ती
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री	एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शीलाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)	गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रमा कान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राज पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राज मंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
रामकृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरायन, एडवोकेट, श्री	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया

रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह,	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री,श्री	वाराणसी
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी श्री	खीरी
सतीश चन्द जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सत्येन्द्रचन्द्र गुड़िया श्री	नैनीताल
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरनरायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हेमचन्द निमेष, श्री	मेरठ

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 5 अप्रैल, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद गोरखपुर विकास खण्ड परतावल में खाद्यान्न योजना का पुलिस द्वारा पकड़ा गया अनाज

*1--फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक परतावल में माह दिसम्बर, 1980 में खाद्यान्न योजना का लाखों रुपए का अनाज परगनाधिकारी, महाराजगंज व सी0 ओ0 (पुलिस) फरेंदा के द्वारा पकड़ा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

सूचना एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

जनपद से प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण एवं सत्यापन के उपरान्त यह पाया गया कि जनपद गोरखपुर के ही विकास खण्ड परतावल में माह दिसम्बर, 1980 में लगभग 4,970 रुपए का अनाज पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी थी और अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं जानना चाहता हूं कि जो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई उसमें कौन-कौन अभियुक्त बनाए गए और उन लोगों के सम्बन्ध क्या किसी राजनीतिक पार्टी से भी हैं और अभियुक्त कौन-कौन लोग हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो भी अभियुक्त हैं उनके नाम हैं :—

(1) सलाहउद्दीन पुत्र श्री सलीम, निवासी कोटवा ।
(2) श्रीमती फाहिमा पत्नी निवाजी अली, निवासी छप्पिया।
(3) मुबारक।
(4) सलीम।
(5) चन्द्रिका।
(6) लाई पल्लेदार, निवासी कोटवा ।

यह एफ0आई0आर0 9-12-80 को थाना श्याम देवरुआ, गोरखपुर की है उन लोगों का किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध नहीं है। दूसरे एक हंसराज तिवारी हैं, जो कि उमेश तिवारी के चाचा हैं। लेकिन जो एफ0आई0आर0 लिखाने गए तो तिवारी उनके साथ-साथ थे, उपाध्यक्ष श्री खान भी साथ रहे और उन्होंने बरामदगी कराई और फिर रिश्तेदारी में कौन-कौन किसका क्या लगता है, यह जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

अध्यक्ष जी, जो पिछली बार सूचना एकत्रित करने की बात की गयी थी तो यह सूचना ये लाए हैं। इन्होंने कहा कि एक एफ0आई0आर0 हुई फिर उमेश तिवारी के चाचा एक डाइरेक्ट एफ0आई0आर0 लाज कराए हैं। तो दुबारा एफ0आई0आर0 लिखाने का मतलब कि कुछ तथ्य छिपा था तो उसको उन्होंने उजागर किया था। इस नाते अपने बचाव में अपने चाचा को पकड़वाने के लिए ले गए थे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अपने चाचा को पकड़वा दिया, यह बात निराधार है। मुखबिर के बयान से ही एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी। खुद उन्हें पकड़वाने गये या उन्हें पकड़वाने में वे रहे, यह बातें निराधार हैं । उमेश तिवारी से उनका कोई डाइरेक्ट सम्बन्ध है, यह बात बिल्कुल निराधार है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि माल किसकी सुपुर्दगी में दिया गया था और एफ0आई0आर0 किस तारीख को लिखाई गयी, वह शायद एसेन्शियल कमोडिटीज की धारा 7 के अन्तर्गत ही लिखाई गयी होगी, इन सब मामलों में कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र––

मैंने अभी कहा श्रीमन्, मुलजिमान के नाम मैंने बताए और धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा लिखाया गया न्यायालय में। सब लोग पकड़े गए, जमानत हुई। न्यायालय में मामला विचाराधीन है। साढ़े सात बोरा माल पुलिस के कस्टडी में जमा है अब शायद खराब भी हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

एफ0 आई0 आर0 लिखाए जाने की तारीख क्या है और मुलजिमान को गिरफ्तार किए जाने की तारीख क्या है ?

श्री काशी नाथ मिश्र––

यह जो दो एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयीं तो पहली 8–12–80 को और दूसरी 9–12–80 को कराई गयीं और उसके तुरन्त बाद ही मुल्जिमान पकड़े गए।

श्री हुकम सिंह––

पहली एफ0आई0आर0 और दूसरी एफ0आई0आर0 जो दर्ज कराई गयी उसमें मुल्जिमान अलग-अलग थे या एक ही हैं? और उनको लिखाने वाले एक ही व्यक्ति हैं या अलग-अलग ?

श्री काशी नाथ मिश्र––

पहली एफ0आई0आर0 श्री रफी अहमद खां, उपाध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस(आई0), गोरखपुर नें लिखाई 8–12–80 को, और दूसरी 9–12–80 को श्री राम अवध प्रसाद चौधरी ने लिखाई है ।

श्री हुकम सिंह––

दोनों में अभियुक्तगण अलग-अलग हैं या एक ही हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र––

पहले में जो हैं मैंने पढ़ दिया है और दूसरे में अब्बास अली, छपिया; मोहम्मद अली, गुलसफ, साकिन छपिया, उमेश तिवारी, हंसराज तिवारी, बसवार, थाना श्याम देवउरवा, जिला गोरखपुर हैं ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

ये तो पब्लिक के लोग पकड़े गए लेकिन जो परतावल, ब्लाक के ए0डी0ओ0, बी0 डी0ओ0 और ग्राम सेवक हैं, उनका भी इसमें दोष है। उनको क्या सजा दी गयी ?

श्री काशी नाथ मिश्र––

पिछली तारीख को जब यह प्रश्न आया था, ग्रामसेवक को तत्काल सस्पेण्ड कर दिया गया है, यह बताया जा चुका है।

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा में लेक्चरर/डिमांस्ट्रेटर पद के स्वीकृत वेतनमान

*2––श्री सरदार सिंह––

क्या पशुधन मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि क्या पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा में प्रारम्भ से ही लेक्चरर पद का वेतनमान डिमांस्ट्रेटर के पद के वेतन-मान से उच्च रहा है ? यदि हां, तो क्या डिमांस्ट्रेटर (पशु विकास अधिकारी प्रदर्शन) के पद का वेतनमान 1 जून, 1978 से लेक्चरर के वेतनमान से उच्च किया गया है और उक्त महाविद्यालय में कार्यरत लेक्चरर के पदधारी 15 अधिकारियों की पदवनति स्वीकार करने

का सुझाव अधिष्ठाता के पत्र संख्या 7859/66 आई0ई0ए0-153-81, दिनांक 7 सितम्बर, 1981 के द्वारा किया गया था तथा क्या इन अधिकारियों की 1978 से वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि एवं पशुधन मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

दिनांक 1-6-78 से पूर्व लेक्चरर के पद का वेतनमान डिमांस्ट्रेटर के पद के वेतनमान से उच्च रहा था। शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 1982 द्वारा दिनांक 1-6-1978 से लेक्चरर को वेतनमान रु0 550-1200 स्वीकृत कर दिए जाने के फलस्वरूप अधिष्ठाता, पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1981 से सम्भावित हानि की आशंका अब नहीं रही है ।

श्री सरदार सिंह—

इस समय डिमांस्ट्रेटर का वेतनमान क्या है और क्या लेक्चरर तथा डिमांस्ट्रेटर के वेतनमान में कोई अन्तर है, इस समय ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जो आशंका आपने पत्र में जाहिर की थी, वह दूर हो गयी है, 1-6-78 के आदेश से, जो किया गया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पहले डिमांस्ट्रेटर का वेतनमान लेक्चरर से कम था। पूछा गया कि सम्प्रति लेक्चरर का वेतनमान क्या है और डिमांस्ट्रेटर का वेतनमान क्या है और अगर डिमांस्ट्रेटर का वेतनमान लेक्चरर से कम है तो इस विसंगति का क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, 1947 में लेक्चरर का वेतनमान 200-500 रु0 था । डिमांस्ट्रेटर का 200-350। 1965 में लेक्चरर का 250-550 हो गया और डिमांस्ट्रेटर का 225-550 हो गया। 1-6-78 से 27-7-78 तक 500-1200 हो गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आज की तिथि में सम्प्रति कितना वेतनमान है ? लेक्चरर का तो बता दिया, डिमांस्ट्रेटर का कितना है, वह भी बता दें और यदि डिमांस्ट्रेटर का कम है तो इस विसंगति का कारण क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

अधिष्ठाता पशुपालन ने इस विसंगति को दूर करने हेतु लेक्चरर का वेतनमान 500-1200 पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव किया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसको आप स्थगित कर दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह—

दो लाइनें और हैं उनको आप सुन लें, हो सकता है कि आपकी शंका का समाधान हो जाय। उनके इस सुझाव पर विचार किया गया और दिनांक 31-3-82 द्वारा दिनांक 1-6-78 से 550-1200 वेतनमान पुनरीक्षित कर दिया गया है। इस प्रकार अब कोई विसंगति नहीं रह जाती है ।

[सोमवार, 5 अप्रैल, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

चने का बीज क्रय करने का मूल्य तथा भुगतान

*1—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 के लिए कितनी मात्रा में चने का बीज पांच सौ रु0 क्विंटल राज्य के बाहर से एवं राज्य के अन्दर से क्रय किया गया है ? क्या यह सत्य है कि चने का बीज, बीज भण्डारों पर चने की बुआई के बाद पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो बुआई से पूर्व चने का बीज क्रय कब किया गया और क्रय करने की कीमत तथा ट्रांस्पोर्टेशन पर कितना रुपया व्यय हुआ है ? क्या सारा बीज पड़ा हुआ है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

पांच सौ रुपए क्विंटल की दर से कोई चने का बीज क्रय नहीं किया गया।

जी नहीं ।

प्रदेश के अन्दर से चने का बीज सितम्बर, 81 के पहले क्रय किया गया भारतीय राज्य प्रक्षेत्र निगम से 20-10-81 तक प्रमाणित बीज क्रय किया गया। चने का बीज क्रय करने की कीमत रु0 69,16,076 तथा प्रासंगिक व्यय रु0 5,89,329 का भुगतान किया गया।

जी नहीं ।

श्री ऊदल—

यह जो भारतीय राज्य प्रक्षेत्र निगम से राजस्थान के हिसार क्षेत्र से चना खरीदा गया था वह 500 रुपया कुन्तल में नहीं था तो कितने कुन्तल में था ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

उसमें सब्सिडी मिली थी सरकार से। हमको जो भुगतान करना पड़ा वह 400 रु0 प्रति कुन्तल पड़ा ।

श्री ऊदल—

जो चना राजस्थान से 30 अक्तूबर, 81 को खरीदा गया वह लाखों रुपया का है, तो क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बीज गोदामों में पड़ा है और मेरी बात को सत्य मानकर इसका परीक्षण करायेगी ? मैंने वाराणसी के उन सीड स्टोर्स में स्वयं अपनी आंखों से देखा है जैसे पिण्डरा सीड स्टोर, बाबतपुर सीड स्टोर, और अनीन सीड स्टोर में आज भी राजस्थान से मंगाया गया चना पड़ा है। हमारे यहां करीब-करीब अक्तूबर के महीने में चने की बोवाई समाप्त हो जाती है तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि कम से कम तीन-चौथाई हिस्सा चना आज भी सीड स्टोरों में पड़ा है और वह अभी तक इसलिए बेकार पड़ा है कि ट्रक की ढुलाई आदि लेकर वह करीब 500 रुपए क्विंटल पड़ा है जिससे उसे कोई ले नहीं रहा है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मुझे इस बात का ज्ञान है कितना अवशेष पड़ा है क्योंकि यह प्रश्न पहले भी किसी माननीय सदस्य ने किसी और रूप में उठाया था तो मैंने इसकी जानकारी कराई थी। मुझे बतलाया गया कि बीज वाला चना अभी तक सीड स्टोर्स में पड़ा है। जो चने का प्रमाणित बीज है उसके लिये आदेश दिया गया है कि फिर से उसका मोआइस्चर टेस्ट कर लिया जाय और अगली फसल में उसको काम में लाने की व्यवस्था हो इसके लिए उचित भण्डारण की व्यवस्था कर दी जाय ।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि चने की बुवाई का सीजन पहली अक्तूबर से ले कर 20 अक्तूबर तक ही होता है । 20 अक्तूबर के बाद इसको राजस्थान से मंगाने का आधार क्या था ? क्या माननीय मन्त्री जी इसे बतलायेंगे? कौन ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने संस्तुति की थी कि सीइंग सीजन समाप्त होने के बाद लाखों रुपए का चने का बीज खरीदा जाय और जिले के किस-किस सीड स्टोर में यह बीज दिए गये ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जो सही बात थी वही मैंने सदन को बतलाना मुनासिब समझा। चना 20 अक्तूबर, 81 को खरीदा गया, यह सही बात है। जैसा कि माननीय सदस्य मुरादाबाद ने कहा, यह सही है कि चना बोने का सीजन समाप्त था जबकि चना खरीदा गया इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन पूर्वांचल में जहां फ्लड आ जाता है वहां अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में नवम्बर के पहले सप्ताह तक चने की बुवाई होती है, इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि बीज ज्यादा खरीद लिया जाय ताकि पूर्वांचल के लोग चने के बीज को खरीद सकें। अब जहां तक श्री ऊदल जी का प्रश्न है कि अक्तूबर के अन्त में चने का बीज वह क्यों नहीं पहुंचा और नवम्बर में वहां कैसे पहुंच सका, इसकी मैं जानकारी व परीक्षण कराऊंगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जो चना खरीदा गया है उसे किसानों ने इस कारण नहीं लिया क्योंकि उनकी बोवाई का समय समाप्त हो गया था। साथ ही माननीय मन्त्री जी यह भी बतलायेंगे कि जो चना बच गया था वह बीज भण्डारों में है या नहीं है ? अगर नहीं है तो वह चना फिर किस-किस को किस तरीके से दिया गया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

यह तो मैं पहले ही साफ-साफ बतला चुका हूं कि चना बीज भण्डारों में पड़ा हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य, मुरादाबाद ने कहा पश्चिमी जिलों में अक्तूबर के पहले सप्ताह तक चने की बोवाई होती है लेकिन पूर्वांचल में फलड आ जाने की वजह से अक्तूबर के बिल्कुल अन्त में, और नवम्बर की 10-12 तारीख तक बुवाई होती है। उसी के अनुसार यह चना वहां पहुंचा, इस आशा को लेकर कि पूर्वांचल के किसान इसे खरीदेंगे। इसमें देर कैसे-कैसे हुई इसकी जांच करायेंगे।

श्री शंकर सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने कोई अन्तिम तिथि निश्चत कर दी थी कि इस तारीख तक चना निश्चित रूप से खरीदा जाय और जिस अधिकारी ने चना खरीदा उसने उस तिथि का उल्लंघन करके चना आगे ही खरीदा। अगर ऐसा हुआ है तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चना खरीदा गया था और जिन जिलों या मंडलों को उस का एलाटमेंट मिला था क्या यह आदेश दिए गये थे कि वह स्वयं अपना ट्रांसपोरटेशन करेंगे और ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन करके जो क्रय अधिकारी थे उन्होंने सारा का सारा चना स्वयं अपने स्तर पर जिलों को भेजा जिससे कई लाख रुपए का शासन को अतिरिक्त किराया देना पड़ा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

यह तो मुझे जानकारी नहीं है कि किस तारीख तक चना परचेज करने की आज्ञा शासन ने दी थी। खरीदने की बात जो आपने की है क्योंकि मूल प्रश्न के अन्दर यह चीज नहीं थी इसलिए इसका उत्तर दे पाने में असमर्थ हूं। यह सही है कि चना पड़ा हुआ है, और जब ट्रांसपोर्ट किया गया उसका किराया भी दिया गया। दूसरा, अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का जो प्रश्न है अगर गलती होगी तो कुछ न कुछ कार्यवाही की जायगी।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में बाढ़ आने के कारण बुवाई देर में होनी थी और यह अनुमान लगाया गया कि वहां बीज की खपत होगी, क्या पूर्वांचल के जिलों ने कोई मांग की थी कि चने का बीज इस मात्रा तक खरीदा जाय या बगैर मांग के ही पूर्वांचल का अनुमान करके खरीदा गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

बहुत सी चीजें खेती की तो अनुमान से आंकी जाती हैं कि एक साल में क्या डिमांड होगी।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं। मन्त्री जी ने कहा पूर्वांचल में बाढ़ आई थी। बाढ़ वाले क्षेत्र में मैं भी हूं। जिस दिन 3 नवम्बर को चना पहुंचा मैं मौजूद था। आप की जानकारी में नहीं है कि किस तारीख को इसकी खरीद का आदेश दिया गया था और उसके बावजूद चना खरीदा गया। क्या उस पत्रावली को देखने की कृपा करेंगे कि जिसमें आपके निदेशक ने उप निदेशक, मेरठ मण्डल को 16 अक्तूबर से पहले तार दिया था कि अब चने की आवश्यकता नहीं है इसको न खरीदा जाय। और पहले जो आदेश दिया था वह दिया था कि 8 अक्तूबर, 10 अक्तूबर तक चना खरीद लिया जाय। निदेशालय की फाइल को देखने की कृपा करेंगे और जिस अधिकारी ने निदेशक और निदेशालय की आदेशों

की अवहेलना करके मेरठ मंडल के उप निदेशक श्री ब्रह्मदत्त शर्मा ने अपने मनमाने ढंग से इस चने में लाखों का नुकसान किया, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जैसा माननीय ऊदल जी ने कहा, अगर यह सही है तो जिन्होंने यह गड़बड़ी की है उन के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

मण्डी समिति उन्नाव द्वारा उन्नाव जनपद में सड़कों का निर्माण तथा अधूरे काम को पूरा करने हेतु कृत कार्यवाही

*2--श्री भीखा लाल--(अनुपस्थित)

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-72 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, औरास, जिला उन्नाव में चकलौसी संदीला रोड को जोड़ने वाली ग्राम शीशा, पुरथावां लहरा, ताल्ही आदि से होते हुए दिपवल जाने वाली सड़क का निर्माण किसके माध्यम से कराया गया और अधूरे काम को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जिलों में नये खण्डों के सृजन का प्रस्ताव

*3--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जिलों में कुछ नए विकास खण्ड खोलने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रत्येक जिले में कुल कितने विकास खण्ड खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जिलों में क्रमशः 6 तथा 5 नए खण्डों के सृजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस विषय पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस विषय में मण्डलाधीश से रिपोर्ट मांगी गयी है। जब वह आ जायगी तब शासन उस पर विचार करेगा और तब मन्त्रि परिषद् उस पर निर्णय लेगी।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, चूंकि विकास खण्डों के बनाए जाने का प्रश्न है तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि ग्राम सभाओं और विकास खण्डों के चुनाव होने वाले हैं और आपने इस सम्बन्ध में अपना कार्यक्रम घोषित कर रखा है, उससे पहले क्या सरकार इसके ऊपर निर्णय ले लेगी ताकि उनके लिए भी चुनाव हो सकें ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी, इस पर आश्वासन देना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी यह मामला प्राइमरी स्टेज पर है ।

तहसील नौगढ़ में डोईनाला, में स्वीकृत ताडी की दूकान हटाने हेतु कार्यवाही

*4--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील नौगढ़ में डोईनाला के लिए स्वीकृत ताड़ी की दुकान घनी आबादी में चलाए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 24-11-80 से 14-12-81 तक क्षेत्र की जनता द्वारा विभिन्न स्तरों पर कई शिकायती-पत्र दिए गये हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मन्त्री (श्री गोवर्द्धन तिवारी)--

जी हां ।

प्रश्नगत दूकान विवादास्पद वर्तमान स्थल से हटवा दी गयी है ।

ग्राम सभा मझरा, जिला खीरी में कथित नाला खुलवाने हेतु कृत कार्यवाही

*5--श्री रियासत हुसैन--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम सभा, मंझरा, तहसील निघासन, जिला खीरी में खीरी कालोनाइजेशन स्कीम के 1956 के नक्शे में अनुसार नाला नम्बर-82 वर्ग प्लाट नं0-77 से पीलीभीत सरहद तक कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बन्द कर रखा है ? क्या 1979-80 में सरकार ने नाला खुलवाने के आदेश भी दिए थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न किए जाने की क्या वजह है ? और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं। वर्ष 1965-66 में बन्दोबस्त हुआ था जिसके अनुसार कथित नाला बन्दोबस्त नक्शे में नहीं दिखाया गया है और न इस समय वह अस्तित्व में ही है। अतः कथित नाले को बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता। वर्ष 1979-80 में कथित नाला खुलवाने के सम्बन्ध में शासन के कृषि विभाग ने कोई आदेश नहीं दिए थे, इसलिए उस पर कोई कार्यवाही न किए जाने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रियासत हुसैन--

इस बात को देखते हुए कि उस नाले में कई सौ एकड़ का रकबा आता है उसको जोत कर लोगों ने उसका मटिया-मेट कर दिया है, क्या माननीय मन्त्री जी इसकी विशेष रूप से जांच पड़ताल कर, नाप-तौल करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री मानु प्रताप सिंह--

इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं अगर कोई आदेश देने में सक्षम हूं तो अवश्य आदेश दे दूंगा ।

यू०पी० एग्रो द्वारा इलाहाबाद बैंक की हजरतगंज शाखा में उर्वरक क्रय हेतु जमा की गयी धनराशि तथा उक्त धनराशि के ट्रान्जेक्शन का औचित्य

*6--श्री शंकर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि एग्रो कारपोरेशन ने इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज, लखनऊ शाखा में दिनांक 29-12-81 को एक करोड़ रुपया की धनराशि अल्प अवधि (शार्ट डिपाजिट) में 15 दिन के लिए ढाई प्रतिशत ब्याज में जमा किया था जिसको एग्रो ने उसी बैंक शाखा से ओवर ड्राफ्ट (कैश क्रेडिट) से लिया था ? क्या यह सही है कि दिनांक 6-1-82 को उक्त धनराशि एग्रो ने ओवर-ड्राफ्ट खाते में उक्त रसीद भुनवाकर जमा कर दी है, जिसके कारण एग्रो को साढ़े सत्रह प्रतिशत की दर से 38,356 रुपए 15 पैसे का ब्याज देना पड़ा ? यदि हां, तो उक्त डील का क्या औचित्य था और वह किसके आदेश से किया गया ?

श्री मानु प्रताप सिंह--

यू0पी0 एग्रो ने इलाहाबाद बैंक की हजरतगंज लखनऊ शाखा में दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 को एक करोड़ रुपये टर्म डिपाजिट के अन्तर्गत उर्वरक कैश क्रय हेतु जमा की थी । यह सही नहीं है कि 6 जनवरी 1982 को एग्रो ने यह धनराशि निकालकर अपने ओवर ड्राफ्ट खाते में जमा की । टर्म डिपाजिट की रसीद एग्रो के खाते में 1 जनवरी, 1982 को समायोजित कर ली गयी । बैंक ने इस तीन दिन की अवधि के लिए रु03,986.30 ब्याज की धनराशि बताई थी तथा यह ब्याज की धनराशि बैंक के द्वारा एल0सी0

कमीशन में समायोजित कर ली गयी अतः एग्रो को ब्याज के रूप में कोई वित्तीय हानि नहीं हुई। उक्त धनराशि का ट्रांजेक्शन उक्त कैश क्रय हेतु सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार किया गया था।

श्री शंकर सिंह--

अध्यक्ष जी, मैं पहले तो माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो रकम एक करोड़ रुपए की शार्ट टर्म लोन में डिपोजिट की गयी थी वह क्या उस बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर जमा की गयी थी या एग्रो ने अपने संसाधनों से उस पैसे को जमा किया था? दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि उर्वरक क्रय करने के लिए पैसा जमा किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उर्वरक की खरीद कर ली गयी थी या नहीं? यदि उर्वरक खरीद लिए गये थे तो 3 दिन बाद उस रकम को पुनः लौटाने की आवश्यकता कहां से पड़ गयी?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, अक्सर कैश के ऊपर उर्वरक खरीदने पड़ते हैं और एग्रो की जो अपनी क्षमता है वह साढ़े सात करोड़ रुपया थी और उसके बाद उसे साढ़े चार करोड़ रुपए कर दी गयी।

कई कम्पनियां हैं जिनसे एग्रो फर्टिलाइजर खरीदता है और वह हमेशा कैश पर ही देती हैं। बैंक में चूंकि लेन-देन एग्रो का चलता है और कई बैंक एग्रो से बहुत ज्यादा कोआपरेट करते हैं इसलिए अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए मात्र तीन दिन के लिए 29, 30, 31 के लिए यह धनराशि उनके खाते में जमा कर दी गयी और पहली तारीख के बाद आवश्यकता पड़ने पर इस धनराशि को निकाल लिया गया। इस पर जो मैंने उत्तर दिया था कि 3986.30 पैसे की हानि होने की सम्भावना थी ब्याज के रूप में वह भी बैंक ने एग्रो से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए माफ कर दिया इसलिए एग्रो को कोई हानि नहीं हुई और आगे उर्वरक कैश में खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया।

श्री शंकर सिंह--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्थिति साफ हुई तो जो पैसा जमा किया गया उर्वरक खरीदने के लिए नहीं था बल्कि अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए किया गया था। अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 31 दिसम्बर को बैंकों का क्लोजिंग होता है उनको कुछ अपनी एसेट्स बढ़ानी होती है इसलिए यह ट्रांजेक्शन की गयी जो फिक्शीशस थी। माननीय मन्त्री जी इस प्रकार फर्जी ट्रांजेक्शन में विश्वास करते हैं जोकि इस प्रकार से ढील दी गयी जनता का पैसा लुटाया गया?

श्री अध्यक्ष--

आप क्या चाहते हैं?

श्री शंकर सिंह--

जो मूल उत्तर में कहा गया है कि पैसा उर्वरक खरीदने के लिए जमा किया गया था और आपने जो उत्तर अब दिया उसमें स्पष्ट होता है कि खाद के लिए नहीं बल्कि बैंकों से अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए पैसा जमा किया गया? तो इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही है?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने तो सही उत्तर दिया जनहित में एग्रो ने काम किया और उसकी कोई वित्तीय हानि नहीं हुई जो असलियत थी वह मैंने बताई?

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त--

क्या इसकी जांच इस बिन्दु पर कराई गयी क्योंकि उस बैंक में ओवरड्राफ्ट उसी खाते में किया गया और जिस पर काफी भारी ब्याज देना पड़ा चूंकि दिसम्बर क्लोजिंग डेट होती है बैंकों की जिसकी वजह से उनकी एसेट्स की संख्या बढ़ जाय तो इस फर्जी ट्रांजेक्शन में

एक कदाचार भी है ज्यादा ब्याज देकर यह पैसा लिया गया तो क्या इसमें कदाचार तो नहीं किया गया, एग्रो और बैंक के अधिकारियों ने वित्तीय अनुशासन को तोड़ा है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इसमें कदाचार का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैंने गम्भीरता से इसका अध्ययन किया था उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ किया गया वह एग्रो और बैंक के हित में किया गया।

श्री राम प्यारे यादव, की वैयक्तिक सहा यक के पद पर प्रोन्नति का औचित्य

*7--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या युवा कल्याण मंत्री को जानकारी है कि 800 क्षेत्रीय संगठनकर्ताओं से कनिष्ठ श्री राम प्यारे यादव, क्षेत्रीय संगठनकर्त्ता उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षा दल, लखनऊ को कुछ समय पूर्व निदेशक, जनशक्ति के वैयक्तिक सहायक के पद पर अनियमित रूप से पदोन्नत किया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या यह सही है कि श्री यादव के अनियमित प्रोन्नति के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मन्त्री को कुछ विधायकों ने माह नवम्बर, 81 से अब तक अनेकों शिकायती-पत्र दिए और मा0 वित्त मन्त्री ने माह नवम्बर, 1981 में कोई टिप्पणी भी भेजी थी ? यदि हां, तो श्री यादव को उक्त पर बनाए रखने का औचित्य क्या है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्री राम प्यारे यादव, वैयक्तिक सहायक, निदेशक जनशक्ति को क्षेत्रीय संगठनकर्त्ता के पद से नहीं बल्कि प्रा0वि0द0 के कार्यालय के वरिष्ठतम पत्र शिविरपाल के पद पर वेतन क्रम 350--700 में स्थायी थे और इस पद से पदोन्नति करके वैयक्तिक सहायक के पद वेतन क्रम रु0 500-750 में नियुक्ति किया गया था। श्री यादव को 29 मार्च, 1979 को वैयक्तिक सहायक के पद से हटाया गया, उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध श्री यादव ने मा0 लोक सेवा अधिकरण में अप्रैल, 1978 में याचिका दायर की थी। लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 4 मार्च, 1980 द्वारा प्रत्यावर्तन आदेश निरस्त कर दिया गया, जिसके फलवरूप मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी, परन्तु उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त न होने के फलस्वरूप दिनांक 15 जून, 1981 से श्री यादव को वैयक्तिक सहायक के पद पर वापस लिया गया।

मा0 मुख्य मन्त्री जी को श्री वीरेन्द्र सिंह विधायक ने 29 अप्रैल, 1981 को एक पत्र दिया था। तत्कालीन नियोजन सहकारिता एवं पशुधन मन्त्री जी (वर्तमान वित्त मन्त्री जी) का पत्र प्राप्त हुआ था, चूंकि लोक सेवा अधिकरण के आदेश के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश न मिलने के कारण श्री यादव को वैयक्तिक सहायक का चार्ज देना न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अनिवार्य था, इसलिए इस मामले पर परीक्षणोपरान्त शासनादेश संख्या 4515/38-1-81, दिनांक 11 जून, 1981 के द्वारा श्री यादव को वैयक्तिक सहायक पद पर कार्य करने के आदेश दिए गये।

श्री यादव वर्ष 1967 से मुख्यालय पर युवा कल्याण, युवक प्रशिक्षण, युवक गोष्ठी आदि का कार्य देख रहे हैं। इस प्रकार युवा निदेशालय के वैयक्तिक सहायक के पद के लिए ऐसे अधिकारी की उपयोगिता है। इस प्रकार टेक्निकल पद के आधार पर भी श्री यादव वैयक्तिक सहायक के लिए उपयुक्त हैं। लोक सेवा अधिकरण के आदेशों के अन्तर्गत तथा शासन द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हता सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 1 जुलाई, 1977 के अनुसार श्री यादव वैयक्तिक सहायक के निर्धारित योग्यता एवं अर्हता पूर्ण करते हैं। अतः श्री यादव को उक्त पद पर नियुक्ति उचित है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

जिस तरीके से काशी के पण्डे जल्दी-जल्दी पाठ पढ़ते हैं, तो समझ में नहीं आता है, उसी तरह से मन्त्री जी ने भी आज पाठ पढ़ा है। यह उसमें माहिर हैं, इसी तरीके से श्री राम प्यारे को, जो 800 से जूनियर हैं, यह पद दे दिया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री यादव में कौन सी ऐसी योग्यता और कला थी, जिसके कारण आपने उनको इस पद पर नियुक्त किया ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसमें साफ लिखा है—यह टेक्निकल पद था और लोक सेवा अधिकरण और उच्च न्यायालय के भी आदेश थे कि यही एक व्यक्ति इस पद के लिए योग्य है। इनके बिना इस पद का काम नहीं चल सकता है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

जो 800 इनसे ज्येष्ठ हैं, क्या वह ऐसी योग्यता नहीं रखते हैं, जो योग्यता यह रख रहे हैं ? तो इनके अन्दर कौन सी ऐसी टेक्निकल योग्यता है जो और लोगों में नहीं थी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो इन्होंने जल्दी-जल्दी पढा है और लिखित रूप में आपके पास है उसमें इसका सब जवाब है, आप उसको पढ़ लें।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

वास्तविकता को छिपाने के लिए मन्त्री जी ने जल्दी-जल्दी उत्तर पढ़ा है। उसी तरीके से मन्त्री जी ने 800 से जूनियर होने पर भी उसे वह पद दे दिया है, तो उसे किस कारण से उस पद पर रखा गया है ? उनमें कौन सी ऐसी योग्यता थी ?

(व्यवधान)

माननीय वित्त मन्त्री जी ने भी इनके विरुद्ध लिखा है, उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। अब कुछ नहीं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

आपका मुझे संरक्षण भी तो चाहिए और अब माननीय मुख्य मन्त्री जी को जो पत्र दिया गया है उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। अब आप जो कह रहे हैं वह कुछ लिखा नहीं जायगा।

(व्यवधान)

जो माननीय विष्ट जी बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

नोट—[×××]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उप निदेशक, भूमि संरक्षण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा ओवरसियर के पदों पर की गयी तदर्थ नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

*8—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक, भूमि संरक्षण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ने जनवरी, 82 में ओवरसियर (जूनियर इंजीनियर) पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की हैं, जबकि सरकार ने सभी प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों पर कठोर पाबन्दी लगाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त कर दोषी अधिकारियों को दण्ड देगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां ।

इन तदर्थ नियुक्तियों को समाप्त करने के लिये सम्बंधित अधिकारी को निर्देश भेज दिये गये हैं तथा शासन के आदेशों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासन को भेजने के लिये कृषि निदेशक को निदेशित कर दिया गया है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे की जूनियर इन्जीनियर्स की कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गयीं और वे लोग कहां कहां के हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

उन्होंने 4 लोगों की तदर्थ नियुक्तियां की थी। इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है कि वे कहां-कहां के रहने वाले हैं। मैं उनके नाम पढ़े देता हूं—वे हैं (1) सर्वश्री आबिद अली, (2) रहमतुल्ला, (3) राजेन्द्र कुमार और (4) देवेन्द्र सिंह।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

उप निदेशक, भूमि संरक्षण गढ़वाल, मंडल पौड़ी ने पहले भी अनियमित नियुक्तियां की थी और अपने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि ऐसी 13 नियुक्तियां की गयी थीं। इस समय भी आप 4 के बारे में बता रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था और इस समय भी पूछना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध, जो उन्होंने गलत काम किया है, कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है और जो उन्होंने अनियमित नियुक्तियां की थीं, उनके संबंध में कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गये हैं।

लखनऊ, आगरा सहारनपुर में देशी शराब के ठेकों की नीलामी

*9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982–83 के लिय देशी शरबा की बिक्री की नीलामी के लिए लखनऊ आगरा, सहारनपुर, जिलों में ठेकों की नीलामी के पूर्व निर्धारित तारीखों में कोई बदलाव किया गया है ? यदि हां, तो पूर्व निर्धारित तिथियां क्या थीं

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री निर्मल खत्री)—

जी हां।

लखनऊ, आगरा तथा सहारनपुर जिलों में आबकारी नीलाम के लिए पूर्व निर्धारित तिथियां क्रमश: 17/18 फरवरी, 1982 19/20 फरवरी, 1982 तथा 3/4 मार्च 1982 थीं ?

उपर्युक्त तिथियों में अंतिम रुप से परिवर्तन करके संपूर्ण प्रदेश में देशी मदिरा, भांग तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दूकानों का एक ही तिथि अर्थात् 4 मार्च 1982 को नीलाम किया गया है ताकि एकाधिकार पर नियंत्रण किया जा सके और सभी ठेकेदारों को समान अवसर प्राप्त रहे

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि अंतिम रुप से परिवर्तन करके सम्पूर्ण प्रदेश में देशी मदिरा, भांग आदि की फुटकर बिक्री की दुकानों का एक ही तिथि अर्थात. 4 मार्च, 1982 को नीलाम किया गया है तो क्या यहस ही है कि पहले जो तारीख अर्थात् 17, 18, 19, 20 फरवरी, 82 व 3 व 4 मार्च निर्धारित की गयी थी तो उनको बदलने के लिये क्या राजनैतिक लोगों ने प्रयास किया था जिसके कारण ये तिथियां बदली गयीं ? सहारनपुर के प्रशासन ने भी इसकी स्वीकृति दे दी थी। लखनऊ के बारे में भी राज्य मंत्री जी ने स्वीकृति कर दी थी तो अब यहां पर माननीय मुख्य मंत्री के निर्देश पर तारीख बदल दी गयी ? तो क्या शासन द्वारा इसके बारे में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री निर्मल खत्री—

एक ही तिथि में नीलाम कराने के पूर्व माननीय सदस्य ने इस बात का हवाला दिया कि इन 3 जिलों में पहले भी तिथियां बदली गयी थीं, उसके पीछे जो कारण रहे है, उनमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात या किसी राजनीतिक संरक्षण की बात कदापि नहीं थी और जो उसके कारण रहे वह स्पष्ट है। लखनऊ की जो 17 व 18 तारीख थी उसको इसलिये बदला गया और 12 व 13 इसलिये किया गया था कि पिछले वर्ष 1981-82 में भारी राजस्व लखनऊ से प्राप्त हुआ था और शासन ने यह समझा कि अगर लखनऊ की नीलामी हम पहले करायेंगे तो उससे और अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। आगरा में भी पहले 19-20 थी जिसे बदलकर 15-16 किया गया। आगरा के जो थोक विक्रेता है उनका कार्य क्षेत्र अलीगढ़ तक आता है वे अपने जोन में सप्लाई कर सकते हैं। आगरा में हम पहले करना चाहते थे इसलिये तिथि को बदला गया। सहारनपुर की तिथि को बदलना पड़ा क्योंकि उसमें मेरठ प्रभावित हो रहा था तो राजस्व की वृद्धि के उद्देश्य से ही यह सब जगह परिवर्तन करना पड़ा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कारण तो कोई न कोई प्रशासन ने बताये ही होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अंतिम रूप से जो तिथि में परिवर्तन हुआ वह माननीय मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप करने पर हुआ और इसलिये हुआ कि अलग-अलग तारीखों में करने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एक तारीख पूरे प्रदेश के लिये शासन ने स्वीकार कर ली थी तो उसको क्यों बदला गया ? और क्या यह सही है कि दो माननीय मंत्रियों ने माननीय मुख्य मंत्री पर दबाव डाला और उनको गुमराह किया और इसके दबाव के कारण यह किया गया ? और यह सूचना शासन को कैसे मिली कि इसमें एक बहुत बड़ा स्केन्डल है ?

श्री निर्मल खत्री—

किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या राजनैतिक दबाव या मंत्री जी के किसी दबाव डालने की बात सही नहीं है, यह कतई नहीं हुआ है। एकाधिकार को समाप्त करने के लिये यह किया गया। एकाधिकार से हमारा मतलब है कि एक जिले में एक ग्रुप की मोनोपली बनती जा रही थी जिसके कारण नीलामी को फीस तो प्राप्त हो जाती थी, किन्तु यह देखा गया कि अगर कम्पटीशन रहेगा तो जो अलग से टैक्स मिलता है उसमें वृद्धि होगी और जनता को अच्छा पदार्थ भी उपलब्ध हो सकेगा इसलिये यह किया गया।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अनुसन्धान एवं प्रकल्प वृत्त की स्थापना तथा झांसी में मुख्यालय स्थापित करने के आदेश

*10—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बुन्देलखंड के विकास हेतु केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सब एवं सूक्ष्म नियोजन करके बुन्देलखंड के सिंचाई साधनों के विस्तार हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र अवीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अनुसंधान एवं प्रकल्प वृत्त की स्थापना हुई है तथा फरवरी, 81 में एस0 ई0 एम0 आई0 के पद और अनेकों ई0 ई0 एवं ए0 ई0 व स्टाफ स्वीकार हुआ, परन्तु शासन ने इसका मुख्यालय झांसी के स्थान पर आगरा बना दिया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी हां। अवीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई अनुसंधान एवं प्रकल्प वृत्त का मुख्यालय पहले आगरा में स्थापित किया गया था ? अब शासनादेश संख्या 1688/38–4–1919 (9)/78 दिनांक 2 मार्च 1982 द्वारा इस सर्किल का मुख्यालय झांसी में स्थापित करने का आदेश निर्गत कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

यह बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि मंत्री जी ने गलती को ठीक कर दिया। लेकिन इस गलती के कारण आफिस को झांसी से आगरा ले जाने में जो पैसा खर्च हुआ वह पैसा क्या सरकार उस अधिकारी से वसूल करेगी कि जिसने ऐसा गलत आदेश दिया और जिसके कारण यह खर्च हुआ ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसमें पैसे का कोई सवाल नहीं है क्योंकि यह तो लिखापढ़ी केवल कागज तक ही रही, शासन की ओर से प्रारम्भिक काल में भी इसे ठीक कर दिया गया। शुरु में ही व बुन्देलखंड को सिंचित करने के उद्देश्य से इसे झांसी में ही रखने के लिये निर्णय लिया गया था। बीच में किसी ने अपने प्रभाव से आगरा में करा दिया, लेकिन अब झांसी में ही रहेगा। जब यह मालूम हुआ कि गलती हुई है उसको काट दिया गया, उसमें कोई परेशानी नहीं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, उस प्रभावशाली व्यक्ति का नाम बताने की कृपा करें कि जिसके प्रभाव से जो झांसी में खुलने वाला कार्यालय था, वह आगरा में खोल दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर आ गया।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के अनुसार आबकारी विभाग के अधिकारियों की पदावनति

*11—श्री श्याम लाल बाजपेयी, श्री आजाद कुमार कर्दम, श्री रिजवानुर्रहमान सिद्दीकी तथा श्री अकबर अहमद—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 सितम्बर, 1981 को भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार आबकारी विभाग के लगभग 48 अधिकारियों पर पदावनति कायवाही करना अपेक्षित था ?यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?. यदि नहीं, तो क्यों, तो क्यों।

श्री निर्मल खत्री—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। 23 सितम्बर, 1981 को भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार आबकारी विभाग के लगभग 48 अधिकारियों पर पदावनति कार्यवाही करना अपेक्षित था और फरवरी, 82 का मेरा प्रश्न है। इसमें कौन सी ऐसी बात है, जिसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। जजमेंट की कापी उनके पास होगी, आप भी कृपया उसे देख लें। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस बात की सूचना एकत्रित की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

आपके प्रश्न की सूचना एकत्रित की जा रही है (श्री बाजपेयी के कुछ कहने पर) उन्होंने बतला दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रीय बीज भण्डार में होने वाली क्षतियों के आधार पर सर्वे रिपोर्ट के निस्तारण में कृषि उप निदेशकों के अधिकार

*12—श्रीमती गौरी दवी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि बीज भण्डारों में होने वाली क्षतियों के आधार पर हुई सर्वे रिपोर्ट के निस्तारण में कृषि उप निदेशकों के क्या अधिकार हैं? क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में कृषि निदेशक को 3 प्रतिशत मात्रा और 1,000 रु0 नकद धनराशि को माफ करने का अधिकार विगत कई वर्षों से चला आ रहा है? जबकि कृषि मंत्री, उर्वरकों तथा बीज आदि के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है? यदि हां, तो क्या कृषि यंत्रों खाद, बीज आदि के बढ़े हुए मूल्य के आधार पर कृषि उप निदेशकों को राजकीय कृषि बीज भण्डारों में होने वाली क्षतियों के आधार पर हुई सर्वे रिपोर्ट के निस्तारण के अधिकारों में वृद्धि की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह—

रासायनिक उर्वरकों तथा उनके मिश्रणों की छः माह से अधिक के भण्डारण अवधि पर संग्रह हानियों में 3 प्रतिशत या रुपये 1000 तक जो भी कम हो तथा रबी बीज में 1.5 प्रतिशत एवं खरीफ बीज में 3.5 प्रतिशत तक की सर्वे रिपोर्ट के निस्तारण का अधिकार उप कृषि निदेशक को है।

जी हां उपरोक्तानुसार।

जी हां।

ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कृषि मंत्री, बीज आदि के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है, तो राजकीय कृषि बीज भंडारों में होने वाली क्षतियों के आधार पर हुई सर्वे रिपोर्ट के निस्तारण में उप निदेशकों के अधिकारों में वृद्धि न करने का कारण क्या है?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, वह जनहित में नहीं है।

श्री राम गुलाम, अस्थायी जीपचालक, कृषि विभाग, बाराबंकी का गोरखपुर को स्थानान्तरण

*13— श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री राम गुलाम जीप चालक कृषि विभाग, बाराबंकी को सेवा समाप्ति की नोटिस दिनांक 16—9—81 को जारी की गई जो बाद में वापस ले ली गई और उनका स्थानान्तरण गोरखपुर कर दिया गया? यदि हां, तो उसका स्थानान्तरण गोरखपुर किये जाने का क्या औचित्य है और क्या स्थानान्तरण नियमित था?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां।

श्री राम गुलाम अस्थाई जीप चालक के रूप में जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी के अधीन जिस जीप पर कार्यरत थे वह गाड़ी खराब खड़ी थी अतएव इस गाड़ी के निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने के कारण श्री राम गुलाम बाराबंकी जनपद में सरप्लस हो गये थे। अतः इन्हें सहायक निदेशक मृदा सर्वेक्षण एव प्रदर्शन प्रयोगशाला, गोरखपुर के अधीन बगैर चालक के जीप उपलब्ध होने की सूचना प्राप्त होने पर पद सहित वहां स्थानान्तरित कर समायोजित किया गया जो नियमित था।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी का ध्यान कार्मिक अनुभाग (1) के पत्र संख्या 19/23–77, दिनांक 30 मई, 1977 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि इस जी0 ओ0 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण जिले में ही किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, तो इस जी0 ओ0 का उल्लंघन करते हुए इसका स्थानान्तरण किन परिस्थितियों में जिले से बाहर किया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, दो ही तरीके थे। बाराबंकी में जीप उपलब्ध नहीं थी, तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जातीं, लेकिन उनकी पारिवारिक कठिनाई और भरण पोषण को देखते हुए, उस जीप चालक के हित में उनका स्थानान्तरण, जो जीप चालक गोरखपुर में नहीं था, वहां पर स्थानान्तरित कर समायोजित किया गया, जो नियमित था ?

श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद में कृषि अभियन्ता के यहां श्री त्रिभुवन सिंह ड्राइवर हैं और राम गुलाम उनसे सीनियर हैं। मेरा निश्चित आरोप है कि चूंकि अधिशासी अभियन्ता कृषि का ड्राइवर उनकी बिरादरी का है इसलिये राम गुलाम का स्थानान्तरण गोरखपुर किया गया। जबकि उससे जूनियर लोग वहीं रहे ?

श्री मानु प्रताप सिंह—

मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं कि बिरादरीवाद की बात है। सरप्लस में वह थे कोई अन्य रास्ता नहीं था या तो निकाल दिये जाते या स्थानान्तरण किया जाता। बच्चों की रोटी रोजी का ख्याल करके ऐसा किया गया।

(व्यवधान)

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना

(दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके गये और इंकलाब का नारा लगाया गया।)

श्री राम आसरे वर्मा—

यह जानकारी दे दी जाय कि यह पर्चे किस तरह के हैं।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

एक आदमी जो मुख्य मंत्री जी को नोटिस द चुका है कि बनारस जिले के सम्पूर्ण ठाकुर उसके पीछे पड़े हैं उसकी जानमाल का खतरा है.....

श्री मुहम्मद आजम खां—

उस आदमी को मारा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो घटना हुई है उसकी एक प्रक्रिया है, मार्शल की रिपोर्ट आयेगी तब जो भी बात होगी वह सदन के सामने आयेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

जो पर्चा फेंका गया है वह सदन के सामने पेश कर दिया जाय।

प्रश्नोत्तर

आबकारी निरीक्षकों का स्थानान्तरण

*14—श्री जनार्दनप्रसाद ओझा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने वर्ष जून, 1981 में आबकारी आयुक्त को लिखा कि जिले के सभी आबकारी निरीक्षकों का स्थानान्तरण कर दिया जाए?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त तारांकित प्रश्न प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पुनः नए जिलाधिकारी ने जनवरी, 1982 में इसी प्रकार का नोट आबकारी आयुक्त को लिखा ? यदि हां, तो क्या आबकारी निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोवरधन तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

क्षेत्र समितियों के क्षेत्रों का परिसीमन से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार

**1—श्री प्रभू नारायण सिंह—

नवीनतम जनगणना के अनुसार प्रदेश की बढ़ी हुई आबादी को देखते हुए क्या सरकार क्षेत्र समितियों के क्षेत्रों का शीघ्र परिसीमन कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

नवीनतम जनगणना के आधार पर क्षेत्र समितियों के क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के सीमित साधनों को देखते हुये ऐसा परिसीमन करना सम्भव नहीं है।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, नवीनतम जनगणना 1981 की रिपोर्ट से बहुत से तथ्य सामने आये हैं और प्रदेश की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ गयी है 10 वर्षों में, क्योंकि पहले 71 में जनगणना हुई और अब 1981 में हुई। इस तरह देहात और शहर की आबादी को देखें, उसके घनत्व को देखें और मोटे तौर पर 1901 से आबादी का घनत्व देखा जाय तो वह दूने से अधिक बढ़ गया है। इसलिये 5–5 साल की योजनायें देश और प्रदेश के विकास की जो बनाते हैं और उनका ब्लाकों के माध्यम से क्रियान्वन होना है। ब्लाक में क्षेत्र और आबादी बढ़ गयी है लेकिन फिर भी मंत्री जी कह रहे हैं कि शासन के साधन सीमित हैं और ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिये बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह फिर से इस परिसीमन पर विचार करेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मंत्रि परिषद ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश में 887 ब्लाक बने हैं, दो ब्लाक और बढ़ा दिये गये हैं, एक इलाहाबाद में और एक सुलतानपुर में। शासन के समक्ष परिसीमन के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन अभी नहीं है। एक ब्लाक के बढ़ाने में 4 लाख रुपये का खर्च होता है। इसलिये वित्तीय साधनों को देखते हुये मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक ब्लाक कितनी आबादी पर बनाया जाता है। मा0 सदस्य श्री प्रभू नारायण सिंह ने जो कहा है कि जो गणना हुई है उसमें आबादी बढ़ गई है। कुछ क्षेत्रों में गरीबी के कारण आबादी ज्यादा बढ़ी हो और कहीं सम्पन्नता के कारण कम हो सकती है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कितनी आबादी पर एक ब्लाक बनाने का विचार शासन का है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, एक ब्लाक मैदानी इलाके में 75 हजार से एक लाख तक की आबादी पर और पहाड़ी क्षेत्र में 35 हजार की आबादी पर एक ब्लाक बनते हैं ?

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, चूंकि इस समय जो क्षेत्र समितियां गठित हैं उनमें बहुत सी विसंगतियां हैं जो क्षेत्र और आबादी से संबंधित हैं। तो क्या इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए चाहे उनका पुनर्गठन न हो लेकिन क्या इस बात का पता लगायेंगे कि निकट भविष्य में इसकी आवश्यकता है, इसलिये क्या सदन की एक समिति गठित करके क्षेत्र समितियों के क्षेत्रों का सर्वे करायेंगे और जिससे भविष्य में आवश्यकता हो तो उनका तुरन्त गठन संभव हो सके ?

नोट—ता0 प्र0 संख्या 14 के उपरांत तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, सारे माननीय सदस्यों के प्रश्न परिसीमन से संबंधित हैं और परिसीमन से संबंधित प्रक्रिया केन्द्रीय चुनाव आयोग करता है, इसलिये यदि केन्द्रीय चुनाव होता है तो परिसीमन पर विचार होता है। लेकिन इस समय इस परिसीमन का प्रश्न शासन के विचाराधीन कतई नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, आज ही कार्यसूची के नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 3 पर श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट का प्रश्न नये विकास खंड खोलने के संबंध में आया है और ऐसी कई बार बात आ चुकी है। इसलिये मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ और आबादी के अलावा किन किन बातों को ध्यान में रख कर परिसीमन की कार्यवाही और क्षेत्र समितियों का सृजन आप करायेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, आबादी और क्षेत्रफल दोनों पर हम विचार करते हैं और इसीलिये दो ब्लाक बढ़ा दिये गये हैं और अब बढ़ाने का मसला विचाराधीन नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, दूसरे प्रश्न का असर पहले प्रश्न पर आ गया। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रश्न पहले भी आ गा था जब चुनाव आपने ग्राम सभाओं के डिक्लेयर किया था ? इस समय चूंकि 250 आबादी पर एक ग्राम सभा का गठन होता है। लिहाजा जहां पर जी0 ओ0 के अनुसार 250 की आबादी हो गयी हो, वहां ग्राम सभा बना ने की आप कृपा करेंगे ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसको बनाने में उनको क्या कठिनाई है कि गवर्नमेन्ट के आर्डर के अनुसार हर ग्राम सभा को वह घोषित कर सकते हैं जिनकी आबादी 250 से ऊपर है तो इसमें ग्राम सभा न बनाने में आपके सामने क्या कठिनाई है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यहां तो क्षेत्र समिति की बात है और माननीय रियासत साहब ने ग्राम सभा के लिये पूछा लिया है। तो इस संबंध में मेरा कहना यही है कि चुनाव के लिय विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है, ऐसे समय में कोई ग्राम सभा को बनाने के बारे में विचार करना उचित नहीं है। हां, यदि माननीय सदस्य किसी एक ग्राम सभा के बारे में रुचि रखते हों, तो बता दें, उसे देख लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं सदन की अवमानना के ब रे में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि इस बारे में अध्यक्ष पीठ से भी व्यवस्था हो चुकी है कि जिस विभाग से संबंधित मामला हो और उस विभाग का मंत्री सदन में मौजूद हो तो उससे भिन्न कोई मंत्री उसके विभाग के संबंध में उत्तर नहीं देगा। माननीय मिश्रा जी के पास नियोजन तथा सूचना विभाग है और ग्राम्य विकास मंत्री यहां पर सदन में मौजूद हैं। श्री यादव जी बैठे हुए हैं और माननीय काशीनाथ मिश्र जी उनसे संबंधित विभाग के उत्तर दे रहे हैं। इसको मैं सदन की अवमानना समझता हूं।

ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं बाहर गया हुआ था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जब ये सदन में आ गये हैं तो इनको ही अपने विभाग से संबंधित उत्तर देना चाहिये।

श्री बलराम सिंह यादव—

आपके कहने से क्या होता है। यह परम्परा रही है कि दूसरे मंत्री जी उत्तर देवें। इसलिये यह आपका प्रश्न कोई ऐसा नहीं है, जिस पर विचार किया जा सके। मान्यवर, मैं बाहर गया हुआ था। सदन को उत्तर से सन्तुष्ट करने के लिये पहले से तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिये तैयार होना पड़ता है। बाहर होने के वजह से मैं इसको तैयार नहीं कर सका इसलिये दूसरे मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री ऊदल—

इस आबादी के प्रश्न को ही नहीं आधार बनाना चाहिये लेकिन क्षेत्र समितियों में बहुत सी क्षेत्र समितियां ऐसी हैं जिनमें विसंगतियां हैं। बहुत सी क्षेत्र समितियां ऐसी हैं जिनके हेड क्वार्टर्स हैं दूसरे ब्लाकों में मैं यहां पर बड़ा गांव और पिंडरा ब्लाक की बात कर रहा हूं। इस तरह की विसंगतियां पूरे प्रदेश के सभी ब्लाकों में हैं। इनका पनर्गठन इस तरह से होता है कि सेन्टर हेड क्वार्टर्स जो है बहुत से जिलों में जैसे थानो का गठन हुआ है। इसी तरह से क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि ब्लाकों के गठन में जो पहिले विसंगितयां रह गयी है, उसे दूर करके सीमांकन के प्रश्न पर क्या सरकार विचार करेगी?

श्री काशीनाथ मिश्र—

कई जगहों पर जैसाकि अभी माननीय ऊदल जी ने कहा है ऐसा है। तो क्षेत्र समितियों को मद्दे नजर रखते हुए वह ग्राम जो कि ब्लाक रहे हैं इस पर विचार कर लिया जायेगा। गांवे की अदल-बदल हो जायेगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि जहां पर आबादी एक लाख से ऊपर हो गयी है, वहां पर नये ब्लाक की घोषणा करेंगे?

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, अभी इसका उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—

बता दिया है कि विचार करेंगे।

गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का उप चनाव

**2—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अभी हाल में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सूचित किया है कि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का उप चुनाव नवम्बर, 1982 तक कराना सुविधाजनक न होगा? यदि हां, तो सरकार के समक्ष नवम्बर, 1982 से पूर्व चुनाव कराए जाने के सम्बन्ध में कौन सी कठिनाइयां हैं?

न्याय मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

जी हां। ग्रामीण स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन चल रहे हैं जिसमें लगभग 74,000 प्रधानों तथा 7 लाख सदस्यों के चुनाव हेतु बहु व्यवस्था आवश्यक है। लगभग 1 लाख 20 हजार मतदान केन्द्र होंगे और प्रत्येक चक्र के लिए 1 लाख 20 हजार मतदान कार्मिक नियुक्त होंगे।

गांव पंचायतों के निर्वाचन पूरे होने पर नियत कार्यक्रम के अनुसार गांव सभाओं का गठन 1 जुलाई, 1982 को होगा। माह जुलाई और अगस्त में बरसात के कारण चुनाव नहीं हो सकेंगे। सितम्बर, 1982 से क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के गठन के लिए निम्नलिखित चुनाव कराये जायेंगे—

क्षेत्र समिति निर्वाचन—

1—सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का चुनाव ।
2—अनुसूचित जाति के सदस्यों व महिलाओं के अनुमेलन हेतु चुनाव ।
3—प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव ।

जिला परिषद—

1—क्षेत्र समितियों के प्रतिनिधियों का चुनाव ।
2—सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का चुनाव ।
3—सदस्यों के अनुमेलन के लिए चुनाव ।
4—अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव ।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के गठन के लिए ये चुनाव प्रदेश के सभी जिलों में हो रहे हैं जिसमें प्रशासनिक ढांचा पूरे तरह से व्यस्त रहेगा। अतः गढ़वाल संसदीय उप चुनाव से सम्बन्धित जिलों मे इसी अवधि में उपरोक्त चुनावों के साथ-साथ संसदीय उप चुनाव कर सकना सम्भव नहीं होगा ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तीन दिन पहले 3 अप्रैल को भारत के चुनाव आयुक्त ने केरल, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल के चुनाव करने के साथ-साथ कहा है कि भारतवर्ष के जितने भी चुनाव, चाहे संसदीय क्षेत्र के हों, चाहे विधान सभा के, इसकी भी घोषणा, मई में करने के लिए कहा है। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि शकधर जी ने जब स्पष्ट घोषणा कर दी है तो उनके आदेश मानने के लिए तैयार हैं और मई में चुनाव करा देंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय नौटियाल जी ने जो प्रश्न किया था, मूल प्रश्न के अन्त में वाक्य था—यदि हां, तो सरकार के समक्ष नवम्बर, 1982 से पूर्व चुनाव कराए जाने के सम्बन्ध में कौन सी कठिनाइयां हैं ? मान्यवर, इस सदन के सामने इस अहम मसले पर कोई भी चीज छिपाकर नहीं बल्कि जो चीज चुनाव आयोग को लिखी गयी है, आप की आज्ञा से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में जो श्री नौटियाल जी ने कठिनाइयां पूछी हैं, उस सम्बन्ध में एक विस्तृत पत्र मुख्य सचिव ने श्री गनेशन, एलेक्शन कमीशन के सचिव को भेजा है। चुंकि इससे पूरी चीजें आ जाती हैं इसमें इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

'प्रिय श्री गनेशन, कृपया निर्वाचन आयोग के रेडियोग्राम संख्या 100/82/1088, दिनांक मार्च 27, 1982 का सन्दर्भ लें जो उप चुनाव के कार्यक्रम से सम्बन्धित है ।

इस प्रदेश में केवल दो उप चुनाव होने हैं, एक गढ़वाल संसदीय चुनाव क्षेत्र का और दूसरा करछना विधान सभा चुनाव क्षेत्र का। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इस समय हम लगभग 75,000 गांव सभाओं, 887 क्षेत्र समितियों और 57 जिला परिषदों के गठन से सम्बन्धिआमचुनाव की प्रक्रिया में लगे हैं जो राज्य विधान परिषद् में स्थानीय निकायों द्वारा चुनी जाने वाली सीटों का इलेक्टोरल कालेज है। विधान परिषद् की 39 सीटें, जो स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करती हैं, 5 मई, 1982 को रिक्त हो जायेंगी। प्रश्नगत चुनाव जो पिछले माह में प्रारम्भ हुए, का कार्यक्रम और अन्य विवरण आयोग को पहले ही

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैं बिल्कुल संक्षेप में चाहता हूं, बता दें। हमें सप्लीमेंट्री भी तो करना है।

श्री अध्यक्ष—

अरे, आप बैठें तो पहले।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं विवरण नहीं पढ़ंगा समय बचाने के लिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिएगा बाद में ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मैं विवरण नहीं पढ़ूंगा, एक पैराग्राफ और पढ़ लेने दें और इस पत्र को प्रस्तुत माना जाय ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

'लगभग 75 हजार प्रधानों और 7 लाख ग्राम पंचायत के सदस्यों के चुनाव के लिए 5 चक्रों में से प्रत्येक के लिए लगभग एक लाख 20 हजार पोलिंग कार्यकर्ता लगभग एक लाख बीस हजार पोलिंग स्टेशनों में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं ।

श्री मुख्तार अनीस—

आप इसको संक्षेप में बता दें ।

(कई सदस्यों के साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

इसको पढ़ा हुआ माना जाय । मुख्य प्रश्न यह है कि एक ओर दो उप चुनाव गढ़वाल का और करछना का और दूसरी ओर 75 हजार ग्राम सभाओं का चुनाव, 887 ब्लाकों का चुनाव, जिसमें 57 जिला परिषदों का चुनाव । यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया आज ग्रामों में, ब्लाकों में और जिलों में वह स्वयं महत्वपूर्ण है उसमें 5 करोड़ लोग मतदान देंगे और लगभग 7 लाख मेम्बर चुने जायेंगे और यही नहीं, यह भी विचारणीय है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के लिए यह स्वयं बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है । विधान परिषद में 29 सीटें खाली हो जायेंगी मई में । मान्यवर, यह विधान मण्डल इस प्रदेश में सबसे बड़ी इकाई है, वह अधूरी पड़ी है । ग्राम स्तर की इकाइयां सब पड़ी हैं । मान्यवर, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसको पूर्ण करना हम लोगों का दायित्व होता है । वहां जो मतदाता हैं वहां 18 वर्ष की आयु है और जो विधान सभा या लोक सभा के चुनाव होते हैं उनमें 21 वर्ष की आयु है । एक ओर दो उप चुनाव दूसरी ओर 78 हजार ग्राम सभाओं, 887 ब्लाकों 57 जिला परिषदों के चुनाव हैं और इन परिस्थितियों को देखते हुए इनको पुनर्जीवित किया जा रहा है और इस परिपेक्ष्य में गढ़वाल चुनाव तथा करछना, यह जो दो उप चुनाव हैं उन्हें कराना शासन सम्भव नहीं समझता है ।

श्री मुख्तार अनीस—

यह जो मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है उस सम्बन्ध में क्या चुनाव आयोग ने भी कोई पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

अभी इस पत्र का उत्तर नहीं आया है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रजातन्त्र की इतनी सुन्दर व्याख्या इस माननीय सदन में की है लेकिन दो वर्ष हो गये निरन्तर गढ़वाल की जनता को लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने की बात उनके दिमाग में नहीं आई ।

मान्यवर, इसी माननीय सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि यदि हमें चुनाव आयोग की ओर से निर्देश आ जायगा तो हम उसका पालन करेंगे । तो मैं आपके माध्यम से प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शकधर का जैसे आदेश आयेगा उसका पालन करते हुए शीघ्र से शीघ्र प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए गढ़वाल व करछना का चुनाव करायेंगे, इससे इस सदन को आवश्स्त करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माान्यवर, जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया, यह चुनाव की प्रक्रिया ज री हो गई है, उसके लिए नोटीफिकेशन हो चुका है। कुछ के चुनाव 10 तारीख को होने है अिन की पोलिंग होकर गणना होनी है । अब प्रश्न उठता है कि एक ही क्षेत्र में प्रधान का चुनाव होता रहा और दूसरी ओर लोकसभा या विधान सभा का भी चुनाव हो जाय, इस में व्यवहारिक कठिनाई आती है। सिद्धान्तः मतान्तर नहीं है क्योंकि चुनाव तो होना ही है लेकिन जो व्यवहारिक कठिनाई इसके बीच में है उस तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त ।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर––

मान्यवर, समय बढ़ाने का आपको अधिकार हूं । इसके लिए समय बढ़ा दिया जाय और मेरा यह सवाल ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। नियमों के अन्दर प्रश्न और उत्तर के लिए समय निश्चित है ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस––

मान्यवर, यह सरकार गढ़वाल का चुनाव नहीं करा रही है । इससे पूरे गढ़वाल क्षेत्र में एक आन्दोलन की आग भड़क उठेगी और आपकी सरकार नहीं रह जायगी। मुख्य मन्त्री जी की बात से इस प्रदेश में लोकतन्त्र की हत्या हो रही ह इसलिए इसके विरोध में मैं इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मुख्तार अनीस अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री फखरे आलम––

माननीय मुख्य मन्त्री जी गढ़वाल का चुनाव नहीं कराना चाहते हैं इसलिए इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फखरे आलम सदन त्याग कर चले गए ।)

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष डा0 डी0 पी0 सिंह तथा एक अन्य शिक्षक डा0 एम0 एस0 वर्मा द्वारा अनधिकृत यात्राओं पर हुए व्यय ।

1––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरुर जाफरी––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष डा0 डी0पी0 सिंह तथा प्रतिनियुक्ति पर एक अन्य शिक्षक डा0 एम0एस0 वर्मा ने वर्ष 1975 से जुलाई, 1981 तक भारत के बाहर किन-किन देशों की किन-किन प्रयोजन से कब-कब यात्राएं कीं और इन यात्राओं की स्वीकृति शासन ने किन-किन आदेशों से प्रदान की थीं ? यदि नहीं, तो इन अनधिकृत यात्राओं पर हुए व्यय को किस मद से कितना-कितना भुगतान किया गया तथा इस व्यय भुगतान की औपचारिक स्वीकृति किन-किन शासकीय आदेशों से हुई ? तथा इस सम्बन्ध में अवकाश की स्वीकृति किस अधिकारी से ली गयी ?

नोट––अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री बलराम सिंह यादव--
सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मण्डी समिति स्थल हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

2--श्री सुरेन्द्र कपिल--
क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहर सहारनपुर में जो गरीब लोगों की भूमि 1975-76 में मण्डी समिति स्थल हेतु अधिग्रहीत की गयी थी उस भूमि का प्रतिकर भूमि के मालिकों को आज तक नहीं मिला ? यदि नहीं, तो क्या शासन उन्हें उस भूमि का प्रतिकर आज के बाजार मूल्य पर देगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--
इस भूमि का अनुमानित प्रतिकर का 2/3 अग्रिम भुगतान के रूप में अधिकतर भूस्वामियों को कर दिया गया है। पूरे प्रतिकर का भुगतान भूमि के एवार्ड की स्वीकृति के पश्चात किया जायगा ।

इस भूमि का प्रतिकर धारा-4 की विज्ञप्ति की तिथि दिनांक 16-10-76 के समय बाजार भाव के अनुसार नियमानुसार देय होगा ।

स्व० सलामत अली खां, आबकारी सिपाही के शेष भुगतान के सम्बन्ध में विधायक श्री बलजोर सिंह के पत्र पर कृत कार्यवाही

3--श्री बलजोर सिंह--
क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 19 मार्च, 1982 जो श्रीमती छोटी बेगम विधवा स्व० सलामत अली खां, आबकारी सिपाही के शेष भुगतान के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ है यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोवर्द्धन तिवारी--
जी हां। शासन द्वारा आबकारी आयुक्त को इस मामले में यथाशीघ्र कार्यवाही करन हेतु निर्देशित किया गया था। आबकारी आयुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार स्व० श्री सलामत अली खां के पेंशन आदि का निस्तारण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, द्वारा 30-5-81 को हो चुका है। उनको देय 80 दिन के उपार्जित अवकाश सम्बन्धी धन का भुगतान तथा भविष्य निधि निर्वाह खाते में देय रु० 2,796.75 पैसे का भुगतान भी उसकी विधवा श्रीमती छोटी बेगम को किया जा चुका है।

स्व० श्री सलामत अली खां के सामूहिक बीमा योजना से सम्बन्धित समस्त कागजात संयुक्त निदेशक, सामूहिक बीमा, उत्तर प्रदेश को भेज दिए गये हैं और उनकी सहमति प्राप्त होने पर सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान के बारे में भी नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

4--श्री राजकुमार राय--
(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटाया गया ।)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, हरदोई द्वारा विकास खण्ड हरपालपुर, साण्डी व बिलग्राम में सड़कें व भवनों का निर्माण कार्य

5--श्री हरी शंकर--
क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा हरदोई द्वारा विकास खण्ड हरपालपुर, साण्डी, बिलग्राम, जिला हरदोई में गत तीन सालों में कितने किलोमीटर सड़कें व कितने भवनों का निर्माण कराया और कितने किलोमीटर सड़कें व कितने भवन निर्माणाधीन हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग हरदोई द्वारा विकास खण्ड हरपालपुर, साण्डी, व बिलग्राम में गत तीन वर्षों में किए गये निर्माण कार्यों एवं निर्माणाधीन कार्यों की स्थिति निम्नवत है :—

निर्मित

विकास खण्डों का नाम	सड़कें	भवन	पुलिया
हरपालपुर	..	6	9
साण्डी	..	5	..
बिलग्राम	2 कि0मी0	5	11

निर्माणाधीन

हरपालपुर	1.5 किमी0	4	3
साण्डी	..	..	..
बिलग्राम	..	3	..

जनपद आजमगढ़ में कामदारों की छटनी तथा पुनर्नियुक्ति

6—श्री पंचानन राय

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अगस्त, 75 में आजमगढ़ जनपद में बाइस कामदारों (कृषि) की छटनी की गयी थी और वर्ष 1979–80 में कामदारों के 15 पद सृजित हुए थे जिसमें छटनीशुदा कामदारों को नियुक्त किए जाने के आदेश शासन द्वारा दिए गये थे? यदि हां, तो कितने छटनीशुदा कामदारों को पुनःसेवा में लिया गया? क्या यह सही है कि श्री अतहर हुसैन जो वरिष्ठता क्रम में तीसरे स्थान पर थे, उन्हें आज तक काम पर नहीं लिया गया? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? और उन्हें कब तक सेवा में ले लिया जायगा?

श्री भानु प्रताप सिंह–

जी नहीं। केवल 21 कामदारों की छटनी की गयी थी।

जी नहीं। यह पद पुनर्जीवित हुए थे।

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

ये नियुक्तियां छटनीशुदा लोगों में से की गयी हैं जिसके लिए एक चयन समिति बनाई गयी थी। उक्त समिति ने जो सामान्य व्यक्तियों की मेरिट लिस्ट बनाई उसमें श्री अतहर अली का नाम 20वें नम्बर पर था। इस सूची में 11 व्यक्ति नियुक्त किए गये हैं अतः श्री अतहर अली को नियुक्त नहीं किया जा सका।

प्रदेश में आलू का उत्पादन तथा क्रय-विक्रय व रख-रखाव हेतु व्यवस्थाएं

7—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितना आलू उत्पादन होने का अनुमान है, क्या सरकार आलू की शीघ्रतम नाशवंता को देखते हुए उसके क्रय-विक्रय व रख-रखाव तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने की कोई व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल उपरोक्त व्यवस्थाएं करने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह—

प्रदेश में इस वर्ष लगभग 45 लाख मीटरिक टन आलू उत्पादन का अनुमान है। कृषकों से आलू के क्रय करने की व्यवस्था प्रादेशिक सहकारी संघ एवं नैफेड द्वारा की गयी है व आलू लदान के लिए भारत सरकार के माध्यम से रेलवे वैगन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ?

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर सैदाबाद एवं फूलपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कों पर निर्माण कार्य

8—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर, सैदाबाद एवं फूलपुर में सन् 1980–81 एवं 1981–82 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी तथा किन-किन सड़कों पर कार्य प्रगति पर है ? स्वीकृत सड़कों में से किन-किन सड़कों पर मिट्टी का कार्य एवं पुलिया तथा खड़ंजा का बिछाने कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर, सैदाबाद एवं फूलपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 एवं 1981–82 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य की स्वीकृति एवं उसकी फरवरी, 82 तक की प्रगति संलग्नक 'क', 'ख' एवं 'ग' के अनुसार है ।

वर्ष 1980–81 में स्वीकृत कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं ।

वर्ष 1981–82 में स्वीकृत कार्यों में से संलग्नक 'ख' के क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 संलग्नक 'ग' के क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं हो सकेगा ।

वर्ष 1981–82 में जनपद इलाहाबाद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 218–220 पर)

विकास खण्ड सरदार नगर, जनपद गोरखपुर के वरिष्ठ लिपिक श्री लौटू प्रसाद के भ्रष्ट अचारण के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

9—श्री जनार्दनप्रसाद ओझा, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड सरदार नगर, जनपद गोरखपुर के वरिष्ठ लिपिक (श्री लौटू प्रसाद) के भ्रष्ट आचरण से सम्बन्धित तीन विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरित कोई शिकायती-पत्र मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर को माह नवम्बर, 1981 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। शिकायती-पत्र में ग्राम्य विकास अधिकारियों के सम्बन्ध में गलत सूचना देने, भ्रष्टाचार फैलाने, खादान की ढुलाई एवं निकासी में गबन करने आदि के आरोप थे। ग्राम्य विकास अधिकारियों के सम्बन्ध में गलत सूचना देने के अतिरिक्त अन्य आरोप जांच कराने पर निराधार पाए गये। श्री लौटू प्रसाद को अनुउत्तरदायित्व पूर्ण कार्य के लिए एक चेतावनी दी गयी है ।

आबकारी विभाग में उप आबकारी आयुक्त, सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी निरीक्षक, आबकारी अधीक्षक के रिक्त पद

10—श्री माधव प्रसाद—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी विभाग म उप आबकारी आयुक्त, सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी अधीक्षक व आबकारी निरीक्षक के कितने पद अब तक रिक्त पड़े हैं? उक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गोवरधन तिवारी—

आबकारी विभाग में इस समय उप आबकारी आयुक्त के 4 पद सहायक आबकारी आयुक्कें के 2 पद, आअकारी अधीक्षक के 11 पद व आबकारी निरीक्षण के 97 पद रिक्त हैं।

तदर्थ नियुक्ति पर सामान्य रोक लगे होने के कारण उपरोक्त रिक्तियां भरी नहीं जा सकी हैं। शासन ने हाल में आबकारी निरीक्षकों के पद पर तदर्थ नियुक्तियां करने के लिए आबकारी आयुक्त को आवश्यक निदेश दे दिए हैं।

विकास खण्ड सरदार नगर, जनपद गोरखपुर के वरिष्ठ लिपिक श्री लौटू प्रसाद के भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही

11—श्री राम आसरे वर्मा, श्री श्याम नरायन तिवारी, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री हर गोविन्द वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के वरिष्ठ लिपिक (श्री लौटू प्रसाद) के भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु तीन विधायकों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र माह नवम्बर, 1981 में मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही कीगयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। शिकायती-पत्र की जांच कराकर श्री लौटू प्रसाद वरिष्ठ लिपिक को अनुत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने के लिए चेंतावनी दी गयी है।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास के अन्तर्गत हमीरपुर में नयी सड़कों का निर्माण

12—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर में कितनी नई सड़कों का निर्माण वर्ष 1980–81 में हुआ है और कितने सड़कों का निर्माण विचाराधीन है तथा ब्लाक वाइज ब्योरा क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर में 13 नई सड़कों का निर्माण वर्ष 1980–81 में हुआ है तथा 11 सड़कों का निर्माण वर्ष 1981–82 में विचाराधीन है। ब्लाक वाइज ब्योरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी (ख) आगे पृष्ठ 221–222 पर)

ब्लाक सुमेरपुर एव कुरारा, जिला हमीरपुर में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में भवनों के बनाने का बजट

13—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक सुमेरपुर एवं ब्लाक कुरारा, जिला हमीरपुर में कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के बनाने का बजट ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, हमीरपुर को सन. 1978–79, 1979–80 एवं 1980–81 में दिया

गया है? किन ग्रामों में इमारतें बनी हैं और किन-किन ग्रामों में बनन शेष हैं? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिले में दिया गया बजट किस आधार पर ब्लाक वाइज बांटा जाता है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1978–79, 1979–80 तथा 1980–81 में विकास खण्ड सुमेरपुर तथा कुरारा में निम्नानुसार प्राइमरी पाठशाला भवनों तथा जूनियर हाई स्कूल भवनों के बनाने का बजट ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, हमीरपुर को किया गया था —

प्राइमरी पाठशाला भवन संख्या

वर्ष	विकास खण्ड सुमेरपुर	विकास खण्ड कुरारा
1978–79	``	``
1979–80	26	26
1980–81	1	1

जूनियर हाई स्कूल भवन संख्या

1978–79	``	``
1979–80	1	1
1980–81	1	1

निम्न ग्रामों में इमारतें बनी—

विकास खण्ड सुमेरपुर में—प्राइमरी पाठशाला भवन

1—सुमेरपुर, चांदथोक 2—घुन्घपुर 3—मुण्डेरा 4—टेंढा 5—टिकरौली 6—सुरौली बुजुर्ग 7—सुरौली खुर्द 8—कैथी 9—मऊहर 10—पारा ओली 11—सुमेरपुर 12—पन्धरी 13—बिलहड़ी 14—बांकी 15—धरमपुर 16—ईगोहटा 17—बिदोखर 18—अतरार 19—छानी 20—स्वासी 21—मुण्डेरा (कन्या) 22—कछेदा 23—बांक 24—पौथिया 25—चन्दुलीतीर 26—सिकरी ।

जूनियर हाई स्कूल भवन—

1—टेढ़ा

विकास खण्ड कुरारा में प्राइमरी पाठशाला भवन—

1—नेठी 2—बेरी 3—इन्दुपरी 4—पारा 5—कन्डौर 6—कनौटा 7—पतारा 8—रिठौरा 9—केयोटरा 10—सिवनी 11—शखपुर 12—पिरापर 13—अटपुरा 14—जल्ला 14—बेचरौली 16—मौली 17—सिकरोढ़ी 18—मनकीखुर्द 19—अमरहटा 20—बिलौटा 21—मिश्रीपुर 22—देवीगंज 23—शीतलपुर 24—बरुवा 25—कुसमरा 26—चन्दूपुर

निम्न ग्रामों में कार्य प्रगति पर है—

विकास खण्ड सुमेरपुर में—

प्राइमरी पाठशाला भवन—

1—पत्योरा

जूनियर हाई स्कूल भवन

1—मुण्डेरा

विकास खण्ड कुरारा में—

प्राइमरी पाठशाला भवन

1—रमेड़ी

जूनियर हाई स्कूल भवन

1—मिश्रीपुर

2—बिलौटा

जिले में दिए गये बजट को जनपद में गठित शिक्षा समिति बनने वाले भवनों का खण्ड-वार चयन करके विकास खण्डवार ही धन को आवंटित करती है ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–२ द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारियों को जारी किए गये निर्देश

14—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगें कि ग्राम्य विकास अनुभाग–2 द्वारा जारी पत्र संख्या 1122/36–2–1979, दिनांक 16 मार्च, 1979 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को कोई निर्देश जारी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गये हैं ?

15–16—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

(15–3–82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 33 द्वारा उत्तरित)

सोमैया आर्गेनिकस (इंडिया) लिमिटेड बाराबंकी में अल्कोहल का उत्पादन

17—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या आबकारी मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाराबंकी सोमैया आरगनिक में वर्तमान समय में कितना अल्कोहल बनता है और वितरण किस प्रकार होता है ? क्या यह सत्य है कि सोमैया आरगनिक का बना अल्कोहल शराब के ठेके पर तथा अन्य जगहों पर शराब के रुप में प्रयोग किया जाता है ? यदि हां, तो इस अवैध व्यापार पर रोक लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोवर्धन तिवारी—

सोमैया आरगनिक (इंडिया) लिमिटेड बाराबंकी में अल्कोहल का उत्पादन नहीं होता है। प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर को दिए गये शिकायती-पत्र की जांच तथा कृत कार्यवाही

18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने जो शिकायती-पत्र पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 30–10–81 को दिया था तथा जिसकी जांच रिपोर्ट कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक 1277/पंचायत, स्था080–81, दिनांक 7 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रश्नकर्त्ता को दी गयी, से सम्बन्धित जांच कब और किसने की ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नकर्त्ता ने जो शिकायती-पत्र दिनांक 30–10–81 को जिला पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर को दिया था तथा जिसकी जांच रिपोर्ट प्रश्नकर्त्ता को दी गयी थी, उसके सम्बन्ध में जांच सहायक अधिकारी (पंचायत) ने नवम्बर, 1981 में की थी।

19–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त पत्र कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक 1277/पंचायत-स्था0 80-81, दिनांक 7 दिसम्बर, 1981 के संदर्भ में प्रश्नकर्ता ने जांच रिपोर्ट पर आपत्ति की, जिस पर पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर दिनांक 19-1-82 को मौके पर जांच करने हेतु गये थे? यदि हां, तो किन-किन लोगों से मौके पर बयान लिया गया और निष्कर्ष के आधार पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता द्वारा आपत्ति करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वयं मौके पर सर्वश्री कृष्णानन्द, इफ्तेखमन, जगत यादव, अब्बास अली, रामजी यादव, जनार्दन शुकई, जोखन प्रसाद मिश्र, जोखू, उग्रह, सूर्यमन, भागवत प्रसाद तथा रामाश्रय सिंह का बयान लिया गया बयानों के आधार पर की गयी जांच शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाए गए आरोप निराधार पाए गए । अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

20–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

(9वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोरखपुर में भूमि संरक्षण इकाई, निचलौल द्वारा निर्माण कार्य में अधिक बालू इस्तेमाल करने की शिकायत

21–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निचलौल के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा गूल एवं नाली निर्माण में तृतीय श्रेणी की ईंट तथा सीमेन्ट में अधिक बालू की मात्रा से नाली निर्माण कराये जाने पर जैश्री ग्राम के कृषकों ने विरोध किया जिस पर भूमि संरक्षल अधिकारी, निचलौल ने कृषकों को अपमानित किया इस पर जनता पार्टी के मण्डल मंत्री श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा 1-7-81 को आमरण अनशन भारी घोटाले को लेकर किया गया था जिस पर गण्डक समादेश के उपायुक्त ने श्री शुक्ल से आरोप-पत्र लेकर जांच का आश्वासन देकर अनशन तोड़वाया था ? यदि हां, तो वह आरोप-पत्र क्या था और जांच अधिकारी की रिपोर्ट में किन-किन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया ? उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, की गयी तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद गोरखपुर में भूमि संरक्षण इकाई, निचलौल द्वारा निर्माण कार्य में तृतीय श्रेणी के ईंट तथा सीमेन्ट में अधिक बालू की मात्रा से नाली निर्माण कराये जाने पर श्री घनश्याम शुक्ल तथा अन्य व्यक्तियों ने विरोध किया था, परन्तु इस संबंध में कृषकों को अपमानित नहीं किया गया । इस संबंध में श्री शुक्ल द्वारा अनशन किया गया जिसे गण्डक समादेश के अतिरिक्त कृषि निदेशक तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच कराने का आश्वासन देकर तोड़वाया गया । श्री शुक्ल द्वारा नालियों के निर्माण कार्य में कच्चे भट्टे के ईंटे लगाये जाने तथा मसाले में अधिक बालू इस्तेमाल करने के आरोप लगाये गये थे, तथा कुछ कर्मचारियों की शिकायत भी की गयी थी । जांच कराने पर निम्न कर्मचारियों को दोषी पाया गया–

1–श्री रघूबीर सिंह, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक
2–श्री राजेन्द्र पाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक
3–श्री राम नरेश सिंह, भूमि संरक्षण निरीक्षक
4–अधिदर्शक
5–प्राविधिक सहायक ।

इनमें से सर्वश्री रघुवीर सिंह तथा राजेन्द्र पाल सिंह सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक एवं श्री राम नरेश सिंह, भूमि संरक्षण निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है, तथा अधिदर्शक एवं प्राविधिक सहायक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। भूमि संरक्षण अधिकारी एवं सम्बन्धित सहायक लेखाकार का स्थानान्तरण भी अन्य इकाई में कर दिया गया है ।

ग्राम विशुनपुरा मटियारा के प्रधान के विरुद्ध ग्राम समाज की धनराशि के दुरुपयोग, गबन आदि की शिकायतें

22—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के ग्राम विशुनपुरा मटियारा व तहसील महाराजगंज के ग्राम दरहटा के वर्तमान प्रधान के विरुद्ध ग्राम समाज की धनराशि के दुरुपयोग, गबन आदि के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें स्थानीय अधिकारियों व शासन को वर्ष 1974 से अब तक प्राप्त हुई हैं ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम विशुनपुरा मटियारा के प्रधान के विरुद्ध दो तथा ग्राम दरहटा के प्रधान के विरुद्ध 5 शिकायती-पत्र स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुए। जांचोपरान्त प्रधान, विशुनपुरा मटियारा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए और प्रधान दरहटा के विरुद्ध जांच के आधार पर कार्यवाही परगनाधिकारी महाराजगंज के न्यायालय में विचाराधीन है ।

पिथौरागढ़ जनपद में अन्त्योदय योजना अन्तर्गत परिवारों का चयन

23—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ़ जिले में किसी भी परिवार को नहीं चुना गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वहां पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि कुल कितने ऐसे परिवार हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

पिथौरागढ़ जनपद में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 7218 परिवारों का चयन किया गया जिसके समक्ष फरवरी, 1982 तक 3222 परिवारों को लाभांवित भी किया गया। 1-8-81 से इस योजना में नए व्यय रोक दिए गये हैं। किन्तु अनुसूचित जाति के अन्त्योदय परिवारों को स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता जारी है जिसमें फरवरी, 1982 तक 613 अनुसूचित जाति के परिवार लाभान्वित किए गये हैं ।

गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों की जानकारी हेतु जनपद के सभी विकास खंडों में सर्वे हो रहा है और चयनित परिवारों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना व विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है। अतएव जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

देवरिया जनपद के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदान के रूप में दी गयी धनराशि

24—श्री गोरीनाथ वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जिला उद्यान अधिकारी जनपद देवरिया की देवरिया जनपद में बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लघु एवं सीमान्त कृषकों में अनुदान वितरण हेतु कितनी धनराशि वर्ष 80-81 तथा 81-82 में प्राप्त हुई है ? तथा उसके सापेक्ष जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा किन-किन कृषकों को कितनी-कितनी मात्रा में सब्जी बीज वितरण किया

गया तथा वितरण की तिथि क्या है ? तथा क्या बीज भी लघु एवं सीमान्त कृषकों में वितरण किया गया ? यदि नहीं, तो जांच कराके दोषी अधिकारी को दंडित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

देवरिया जनपद के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लघु एव सीमान्त कृषकों को वर्ष 1980–81 में रुपा 2750-00 तथा वर्ष 1981-82 मे रु0 15000-00 की धनराशि अनुदान के रूप में वितरण हेतु जिला उद्यान अधिकारी, देवरिया को आवटित की गयी थी ।

वर्ष 1980–81 में उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची† के अनुसार लघु एव सीमान्त कृषकों को वांछित मात्रा में सब्जी बीज विभिन्न तिथियों मे वितरित किया गया तथा वर्ष 1981–82 में अनुदान वितरण का कार्य सब्जी बीज के रूप में प्रगति पर है ।

किसी को दंडित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् के सहायक भूगर्भ शास्त्री श्री नबी हसन की प्रदेशीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम श्रेणी जियोहाईड्रोलाजिस्ट के पद पर प्रतिनियुक्ति

25—श्री खुशहाल सिंह रांगड़—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1973 में भारत सरकार केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् के एक सहायक भूगर्भ शास्त्री (श्री नबी हसन) को राज्य सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेशीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम श्रेणी जियोहाईड्रोलाजिस्ट के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया था तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के समाप्त होने पर उन्हें भारत सरकार को वापस नहीं किया ? क्या यह सही है कि उनका संविलयन उनका प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने की तिथि 4–12–77 से प्रथम श्रेणी के पद पर किया है जिस पर कि वर्ष 1973 से कार्यरत थे और जिसके शासनादेश तारीख 21-7-81 को जारी कर दिए गय थे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट/जियोहाइड्रोलाजिस्ट पद की मान्य अर्हताएं तथा संविलियन के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय में परिवर्तन

26—श्री खुशहाल सिंह रांगड़—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सीनियर हाइड्रोज्योलाजिस्ट जियोहाईड्रोलाजिस्ट पद की क्या मान्य अर्हताएं हैं और क्या श्री हसन 1973 में चयन के समय यह अर्हताएं रखते थे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जहां तक सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट/जियोहाईड्रोलाजिस्ट के पद की मान्य अर्हताओं का प्रश्न है भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन मे श्रेणी प्रथम के अन्तर्गत तीन प्रकार की श्रेणी या सिविल, मैकेनिकल, एवं जियालाजी/जियोफिजिक्स है जिसके लिए एम0एस0सी0 या इजीनियरिंग की डिग्री की योग्यता के साथ श्रेणी द्वितीय में 7 वर्ष अनुभव की अर्हता निर्धारित की गयी है। श्री नबी हसन को 1973 में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था। श्री हसन एम0 एस0 सी0 (जियोलाजी) की अर्हता तथा 7 वर्ष का अपने तैनाती विभाग में अनुभव भी रखते थे।

---

†छापी नहीं गयी ।

27—श्री खुशहाल सिंह रांगड़—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री नबी हसन के विभाग में संविलयन के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गये निर्णय में कोई परिवर्तन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव——

जी हां, क्योंकि पूर्व में जारी संविलयन आदेश त्रुटिपूर्ण हैं।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम सैदपुर मिटरी में हरिजन कालोनी का निर्माण

28—श्रीदूधनाथ राजभर,
श्री प्रियदर्शी जेतली,

श्री शेर बहादुर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—34 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मद में कितना धन किस-किस अधिकारी के पास किस-किस खाते में जमा है? क्या बकिया मकान शासन पूरा बनवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

खण्ड विकास अधिकारी, अकबरपुर, फैजाबाद के क्षेत्र निधि लेखे में रुपए 10,273—10 पैसे तथा कलेक्ट्रेट, फैजाबाद के रजिस्टर नम्बर 4 में रु0 31,000—00 जमा है। निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत उक्त हरिजन कालोनी के निर्माण के लिए धन का कोई प्राविधान नहीं है, अतः उक्त योजना में शासन द्वारा मकान पूरा कराने का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग में प्रथम श्रेणी के रिक्त पद तथा पदोन्नति

29—श्री गौरी देवी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में सितम्बर, 80 को द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी में पदोन्नति दिए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र 8 जनवरी, सन. 82 को माननीय कृषि मन्त्री को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या इस समय कृषि विभाग में प्रथम श्रेणी के 14 पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उन रिक्त स्थानों की आपूर्ति कब तक की जायगी?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री फतेह बहादुर सिंह, जिला कृषि अधिकारी, बदायूं के विरुद्ध आरोपों की जांच

30—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फतेह बहादुर सिंह, जिला कृषि अधिकारी, बदायूं द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न करने, अमानवीय व्यवहार एवं गाली-गलौज के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा संघर्ष के पथ पर अग्रसर होकर पोस्टर एवं आवेदन पत्र माह दिसम्बर, 1981 में कृषि मन्त्री को दिया गया है? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां।

आरोपों की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गये हैं।

श्री अरुण कुमार सक्सेना, इंचार्ज कृषि सेवा केन्द्र, द्वारा बिना सृजित पद पर कार्य करने के विरुद्ध कार्यबाही

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि श्री अरुण कुमार सक्सेना, इंचार्ज कृषि सेवा केन्द्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी विकास निगम, बरेली बिना सृजित पद पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार इन्हें बिना सृजित पद से हटाने का विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री अरुण कुमार सक्सेना, असिस्टेंट इंचार्ज कृषि सेवा केन्द्र का कार्य देख रहे हैं। ऐसा कोई पद सृजित नहीं है। इस कार्यवाही के उत्तरदायी अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

न्यायालय के स्थगनादेश के कारण इन्हें इस पद से हटाया जाना सम्भव नहीं है।

विकास खण्ड नसीराबाद में कार्यरत, जीप ड्राइवर श्री वकार हैदर की मृत्य तथा आश्रितों को सामूहिक बीमा की धनराशि, जी०पी० एफ० तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सलवन, जिला रायबरेली के विकास खण्ड नसीराबाद में कार्यरत जीप ड्राइवर श्री वकार हैदर का दिनांक 26-1-81 को सेवाकाल में ही देहान्त हो गया था? क्या उसकी पत्नी को सामूहिक बीमा की धनराशि जी0 पी0 एफ0 तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो उक्त समस्त अवशेषों का कब तक भुगतान करा दिया जायगा? इसमें विलम्ब के लिए उक्त अधिकारी दोषी है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। उनकी विधवा पत्नी को मिलने वाले सामूहिक बीमा के कागजात मण्डलीय कार्यालय जीवन बीमा निगम लखनऊ को तथा पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी, भविष्य निधि के कागजात महालेखाकार उत्तर प्रदेश को भेजे जा चुके हैं उनकी स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायगा। अस्तु विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

विकास खण्ड सरदार नगर, महाराजगंज, मिठौरा व परतावल में पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत चावल, सूखा दूध एव सोयाबीन के तेल का वितरण

33—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर, महाराजगंज, मिठौरा व परतावल में वर्ष 1980-81 में पुष्टाहार या स्वल्पाहार योजना में चावल, सूखा दूध एवं सोयाबीन का तेल कब-कब व कितनी मात्रा में दिया गया? ग्राम स्तर पर इसके प्रयोग से सम्बन्धित पुष्टिकरण के साथ बनी सूची क्या है? क्या इन सब मामलों को लेकर कोई आडिट रिपोर्ट अनियमिताओं के सम्बन्ध में है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खण्ड सरदार नगर, महाराजगंज, मिठौरा व परतावल में वर्ष 1980-81 में पुष्टाहार योजना में चावल, सूखा दूध एवं सोयाबीन का तेल निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिया गया :—

तालिका

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	प्राप्त सामग्री का विवरण व दिनांक						अन्य विवरण
		दिनांक	चावल (कु0 में)	दिनांक	खाद्यान्न (कु0 में)	दिनांक	सोयाबीन तेल (ली0में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—सरदार नगर		8-7-80	100-00-000	7-7-80	3-25-000	1-8-80	194-600	
		23-9-80	100-00-000	4-10-80	3-17-052	20-10-80	194-600	
		12-12-80	298-45-800			23-12-80	105-000	
		24-12-80	90-00-000			8-2-81	194-600	
	योग		588-45-800		6-42-052		688-800	
2—महाराजगंज		24-4-80	94-96-100	1-8-80	3-17-500	1-8-80	195-000	99-86 मात्र निन्नावे कुन्टल छियासी किलो चावल मु0वि0अ0 गोरखपुर के आदेशानुसार वि0 खण्ड सिसवा को स्थानान्तरित किया गया शेष इस खण्ड में 604—75—100 प्रयोग हुआ ।
		29-4-80	99-38-700	24-9-80	3-17-500	24-9-80	195-000	
		1-5-80	305-65-200			24-12-80	115-550	
		25-11-80	204-61-100					
	योग		704-61-100		6-35-020		503-550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3—मिठौरा		21-4-80	98-70-800	25-7-80	3-25-000	25-7-80	200-000	
		21-4-80	99-12-000	7-10-80	3-50-000	7-10-80	200-000	
		7-6-80	95-16-200					
	योग		292-99-000		6-75-000		400-000	
4—परतावल		8-5-80	199-98-500	24-6-80	3-25-000	12-8-81	200-000	
		19-9-80	97-30-900		3-50-000	16-10-81	200-000	
		30-9-80	202-70-600					
	योग		500-00-000		6-75-000		400-000	

अतारांकित विधान सभा

विकास खण्ड सरदार नगर में ग्राम स्तर पर प्रधान के माध्यम से इसका उपभोग किया गया है तथा उपभोग से सम्बन्धित पुष्टिकरण की सूची सम्बन्धित प्रधान के पास उपलब्ध है। विकास खण्ड महाराजगंज में 45 ग्रामों में पुष्टाहार योजना चलाई गयी है जिसकी पुष्टि हेतु उपभोग रजिस्टर रखा गया है। विकास खण्ड मिठौरा में प्राप्त स्टाक 20 केन्द्रों पर पुष्टाहार कार्यक्रम चलाकर नियमानुसार वितरण किया गया है। विकास खण्ड परतावल में प्राप्त स्टाक ग्राम स्तरीय कार्य-कर्ताओं को विभिन्न केन्द्रों पर वितरण हेतु दे दिया गया था। विकास खण्ड सरदारनगर में आडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। विकास खण्ड महाराजगंज में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई आडिट रिपोर्ट नहीं है। विकास खण्ड मिठौरा में आडिट दिसम्बर, 80 में हुआ है किन्तु कोई अनियमितता नहीं पाई गयी। विकास खण्ड परतावल में सम्बन्धित अभिलेखों का अभी तक आडिट नहीं हुआ है।

चूंकि विकास क्षेत्र सरदारनगर, महाराजगंज तथा परतावल में आडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है इसलिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। इसी प्रकार विकास क्षेत्र मिठौरा में आडिट रिपोर्ट में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी। इस प्रकार किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री बमई, ग्राम भोलनापुर गोडारी का भवन निर्माणार्थ अनुदान से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

34—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बमई पुत्र श्री मुल्लू ग्राम मौलना-पुर गोडारी का भवन निर्माणार्थ अनुदान से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 7-7-81 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। श्री बमई पुत्र श्री गुल्लू निवासी ग्राम भोलनापुर गोडारी का प्रार्थना-पत्र माननीय विधायक श्री पंचानन राय के पत्र दिनांक 7-7-81 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसकी जांच नायब तहसीलदार द्वारा कराई गयी है। जांच से स्पष्ट हुआ है कि प्रार्थी का मकान बाढ़ अथवा अतिवृष्टि से नहीं गिरा था इसलिए वांछित गृह अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व सदस्य, श्री रनबहादुर सिंह व श्री बांके लाल के निधन पर शोकोद्गार

(12 बजकर 23 मिनट)

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, 14 मार्च, 1982 को श्री रन बहादुर सिंह जी का निधन हृदयगति रुक जाने से हो गया। श्री रन बहादुर सिंह क्रांति के दूत रहे और श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन के आवाहन पर सन् 1937 में उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया। फिर श्री सुभाष चन्द्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर उनके क्रांतिकारी संगठनों में उन्होंने अपना योगदान दिया। 1942 के आन्दोलन में 3 वर्ष के लिए वे जेल गये और इधर जब श्रीमती इन्दिरा गांधी जेल भेजी गयीं तो उनके विरोध में भी उन्होंने जेल की यातनायें सहीं। बस्ती की बहुत सी शिक्षा संस्थाओं से उनका सम्बन्ध रहा है जहां उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर रहकर जनता को सेवा की। मान्यवर, उनके निधन से बस्ती जिले का और इस प्रान्त का एक जनसेवी चला गया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शोक सन्तप्त परिवार को हम लोगों की समवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे एक और साथी श्री बांके लाल जी 27 मार्च, 1982 से हम लोगों के बीच से चले गये। श्री वर्मा जी इतनी जन विश्वास प्राप्त व्यक्ति थे कि सन् 1962, 1969, 1974 और 1977 में जनता का विश्वास प्राप्त कर के इस माननीय सदन में निर्वाचित होकर आये। श्री वर्मा जी की रुचि तकनीकी विषयों की ओर रही और वह स्वतन्त्रता संग्राम में भी भाग लेते रहे और जेल की यात्रा की। वह सोशलिस्ट पार्टी के एक जाने माने नेता थे जिन्होंने बड़ी लगन और कर्मठता से जनता की सेवा की। मान्यवर, शोक सन्तप्त परिवार के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की भावना उन तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र सिंह

अध्यक्ष महोदय, पिछले मार्च के महीने में हम लोगों ने दो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों व कर्मठ राजनीतिज्ञों को खोया। श्रीमन्, उनमें से एक थे श्री रन बहादुर सिंह जो बस्ती जनपद के हरैया विधान सभा क्षेत्र से दो बार इस माननीय सदन में चुन कर आये। दो वर्ष के लिए वह विधान परिषद् के भी सदस्य रहे। श्रीमन, बस्ती जनपद के बराबर में है जनपद देवरिया। उसी देवरिया जनपद से श्री बांके लाल जी इस माननीय सदन में चार बार चुन कर आये। दो बार हाटा क्षेत्र से चुने गए और दो बार रामपुरा से चुन कर आये। दोनों ही स्वर्गीय व्यक्तियों ने इस देश को आजाद कराने में अपना सहयोग दिया, योगदान दिया। बांके लाल जी अपने क्षेत्र में बांके भैय्या के नाम से मशहूर थे। मुझे उनके साथ रहने का सन् 1974 में मौका पड़ा। मैंने उनके अन्दर एक अद्भुत चीज देखी। सन् 1974 में हमारे पीठासीन अधिकारी माननीय वासुदेव सिंह जी थे। जब कभी वह क्षणिक आवेश में आ जाते थे तो बांके लाल भैय्या के खड़े होने पर माननीय अध्यक्ष जी का गुस्सा शान्त हो जाता था।

श्रीमन, इन दोनों में एक अच्छो अण्डरस्टैंडिग थी, एक निष्ठा थी, अनुभव था अपनी निष्ठा और अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए दोनों दृढ़ व्यक्ति थ। जहां रन बहादुर जी सन् 1977 में जनता शासन के अन्दर श्रीमती गांधी के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए जेल गये, वहीं बांके भैय्या ने आपातकाल के दौरान जबकि देश में काली घटा छायी थी, मानवाधिकारों को छीना था, आजादी खतरे में थी, अपना पूर्ण योगदान इस आपातकाल से निपटने के लिए दिया और जेल में यातनाएं सहीं।

जो अपने कर्त्तव्य में अपने राजनीतिक उद्देश्य में दृढ़ निष्ठ रहे हों, मैं और मेरा दल उनके निधन पर अपनी समवेदना व्यक्त करता है। मैं आपने अनुरोध करता हूं कि आप हमारे दल की भावनाओं को उन दोनों महानुभावों के शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष जी, मालूम ऐसा होता है कि सन् 1982 का साल जबरदस्त मौत का पंजा लेकर आया है और हमारे पुराने साथी, बड़े-बड़े पुराने काम करन वाले और लोग जिनकी इस मुल्क को, इस देश को बड़ी जरूरत थी हमसे बिछड़ते चले जा रहे हैं। मान्यवर, उसी सिलसिले में की एक कड़ी है। माननीय रन बहादुर सिंह और बांके लाल वर्मा हमसे छूट गये। ये दोनों ऐसे साथी थे और काम करने वाले थे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और मुल्क की खिदमत करते हुए इस तरीके से आगे बढ़े थे कि किस मौके पर किस तरह से उन्होंने मुल्क की सेवा की। वे कभी भी कौम की सेवा करने में नहीं चूके थे। रन बहादुर जी आखिरी दम तक कौम की सेवा करते रहे और बांके बिहारी जी अपने तरीके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से मुल्क की सेवा करते रहे। ये दोनों ही व्यक्ति देश की सेवा करते थे और देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया और हर तरह से आजादी की लड़ाई में योगदान देते रहे। मैं और मेरा दल इन दोनों व्यक्तियों के चले जाने से संवेदना व्यक्त करता है और आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस समवेदना को उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें कि हम भी उनके दुख में पूरी तरह शरीक हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी श्री रन बहादुर सिंह तथा श्री बांके लाल जी के निधन में जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, तथा नेता, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इन दोनों महानुभावों के दिवंगत हो जाने से पूर्वांचल को और हमारे प्रदेश तथा देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे बीच से ये दो समाजसेवी व्यक्ति उठ गये। मान्यवर, जैसा कि सर्वविदित है श्री रन बहादुर जी अपने ही क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अत्यन्त लोकप्रिय व्यक्ति थे। आजादी की लड़ाई में और समाज के निर्माण में उन्होंने जो भूमिका निभाई, जितने वे क्रियाशील रहे, वह किसी से छिपा नहीं है। माननीय बांके लाल जी को मैंने इस सदन में कार्य करते हुए देखा है। वे प्रतिपक्ष के एक प्रमुख स्तम्भ थे। उनकी आवाज सदन में समाज में फैले अत्य चार और शोषण के खिलाफ हमेशा उठती थी। इधर काफी दिनों से वे बीमार थे और उनका शरीर काफी शिथिल होने के बावजूद भी वे अपने काम में बराबर लगे रहते थे और जनता की समस्याओं को लेकर यहां पर खड़े होकर बड़ी निर्भीकता से अपनी बातें कहते थे। इन दोनों महान विभूतियों के हमारे बीच से चले जाने से पूर्वान्चल के राजनैतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में जो रिक्तता आई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसकी पूर्ति हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इन महापुरुषों के प्रति अपनी तथा अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी इस समवेदना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन., मैं स्वर्गीय श्री रन बहादुर सिंह तथा स्वर्गीय श्री बांके लाल जी के सम्बन्ध में जो भावनाएं नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेता ने व्यक्त की हैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, श्री बांके लाल जी सन् 1962 में पहली बार मेरे साथ इस सदन में चुनकर आये थे। वे हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी थे। हमारी पार्टी के सदस्य थे। हम साथ-साथ काम करते रहे। अपने खयालों को बड़ी निर्भीकता और स्पष्ट रूप से यहां पर वे रखते थे। यही उनमें विशेष क्वालिटी थी। हमने देखा है कि हालांकि उन्होंने गेंदा सिंह जी के जरिये ट्रेनिंग पायी थी फिर गेंदा सिंह जी के मुकाबले में जो भी बात उनके दिमाग में जमती थी उसको वे कहने में हिचकते नहीं थे। जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उसमें भी उन्होंने निर्भीकता से अपना रोल अदा किया। 1969 में जब वे चुनकर नहीं आये तो मैंने उनसे कहा कि आप दिखल ई नहीं पड़ते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं हार जाता हूं तो मैं अपने ही क्षेत्र में रहता हूं जब तक कि दूसरी बार चुनकर न आ जाऊं। इस तरह की लगन और विश्वास रखने वाले व्यक्ति हमारे बीच से उठ गये हैं। इन दोनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी इस संवेदना को उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट---

मान्यवर, श्री रन बहादुर सिंह जी और बांके लाल जी वर्मा के विषय में माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये है उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इन दो व्यक्तियों से मेरा स्वयं भी सम्पर्क रहा है और श्री बांके लाल जी 1974 में जीतकर आये थे। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा ऐसा लगता था कि जब वे हाउस में नहीं रहते थे तो हाउस में कोई मजा नहीं आता था। और ऐसा लगता था कि जब बांके लाल जी यहां पर है तो माननीय अध्यक्ष और बांके लाल जी के बीच में क्या अण्डरस्टैंडिग थी वह मैं नहीं जानता लेकिन इतना अवश्य है कि उनका व्यक्तित्व इतना जीवंत था कि सदन में एक स्फूर्ति रहती थी। वह बहुत जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे स्वतंत्रता आन्दोलन से उनका बहुत नजदीकी सम्बन्ध रहा है। इसी प्रकार रन बहादुर सिंह जी के लिये जैसा माननीय नेता सदन ने कहा स्वतंत्रता आन्दोलन में उनका बहुत योगदान रहा और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आह्वान में उन्होंने कार्य किया। बस्ती जनपद से उनके उठ जाने से केवल वहां रिक्तता नहीं आई बल्कि पूरे प्रदेश में रिक्तता आई है जिसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने और अपने दल की ओर से दोनों महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन है कि शोक संतप्त परिवार को हमारी भावना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री ऊदल---

मान्यवर, अभी माननीय रन बहादुर सिंह बस्ती और बांके लाल जी देवरिया के बारे में जो भावनायें नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त की है उसके साथ मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, स्वर्गीय रन बहादुर सिंह जो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनका सम्बन्ध देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से था। मेरा भी सम्बन्ध उनसे सन् 1946 में हुआ था। हम दोनों आर0 एस0 पी0 के सदस्य थे और वह हमारे नेता थे इसलिये मेरा उनसे पुराना सम्बन्ध था और नजदीकी सम्बन्ध था। जो उनके सम्पर्क में आता था उसको प्रेरणा मिलती थी। देश कें आजाद कराने में उन्होंने किस तरह से कार्य किया यह सब लोग जानते है। आजादी के बाद उन्होंने इस सदन में और बाहर रहकर भी बस्ती जनपद और पूरे प्रदेश की जो सेवा की है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसी तरह से स्वर्गीय बांके लाल जी भी एक निर्भीक व्यक्ति थे, देवरिया जनपद में वह कितने लोकप्रिय थे इसका अन्दाज इससे लगाया जा सकता है कि वह तीन-तीन बार इस सदन में चुन कर आये और निर्भीकता से अपनी बातों को सदन में वह रखते थे मुझे भी उनके साथ यहां पर रहने का मौका मिला है। इन दोनों महान व्यक्तियों के उठ जाने से मैं समझता हूं जो हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रिक्तता आई है उसकी पूर्ति निकट भविष्य मे होना सम्भव नहीं है। श्रीमन्, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन दोनों आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमार और हमारे दल की ओर से समवेदना उनके दुखी परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सभी माननीय नेताओं ने जो अपने विचार स्वर्गीय रन बहादुर सिंह और स्वर्गीय बांके लाल जी के संबंध में व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मुझे भी इन दोनों दिवंगत व्यक्तियों के साथ सदन में कार्य करने का अवसर मिला है और दोनों अपने-अपने विचारों की परिपक्वता में निपुण थे और निर्भीकता से सदन और सदन के बाहर अपने कर्त्तव्य का पालन करते थे। ऐसे व्यक्ति जो निर्भीकता से अपने विचारों को व्यक्त करते है और जो आम आदमी के लिये चिंतित रहते है उनके उठ जाने से हम सब के लिये और खासतौर से पूर्वांचल के इन दोनों व्यक्तियों के जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी साधारणतया पूर्ति होना सम्भव नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं उनको आपकी तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक समवेदना उनक परिवार तक पहुंचाऊंगा। कृपया अब आप दो मिनट के लिय मौन खड़े हो जाएं।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

पिथौरागढ़ के मख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री हरीसिंह के घर पर पुलिस द्वारा हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि पुलिस की निरकुंशता इतनी बढ़ गई है कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो न्यायिक सेवाओं में कार्यरत दण्ड विकारियों के भी प्राण लिए जा सकते हैं? मान्यवर, दिनांक 22 मार्च, 82 को पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री हरी सिंह अपने निवास पर रात्रि में सो रहे थे कि पुलिस के एक अधिकारी अपने साथ कुछ पुलिस कर्मियों को साथ लेकर उनके घर पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाना चाहा। श्री सिंह ने दरवाजा खोलना उचित नहीं समझा तो आक्रोश से वशीभूत पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। श्री सिंह पर हमला किया गया। पुलिस अधिकारी ने अपने अधानस्थ सिपाहियों को आदेश दिया कि इन्हें गोली से उड़ा दो। श्री सिंह ने किसी तरह भाग कर अपने प्राण बचाये। उनका अपराध यह था कि राज्य पुलिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी के लड़के की जमानत मंजूर करने का दबाव श्री सिंह पर डाला गया था परन्तु कानून के तहत उन्होंने मामला जमानत योग्य नहीं समझा।

इस प्रकार पुलिस द्वारा न्यायिक दण्ड धिकारी पर हमला एक गम्भीर मामला तथा पुलिस की बरबरता का ज्वलन्त उदाहरण है। इससे प्रदेश की सम्पूर्ण न्यायिक सेवा में उत्तेजना तथा असन्तोष व्याप्त है। शासन का ध्यान आकृष्ट कर दोषी जनों को दंडित करने तथा न्यायिक दण्ड धिकारी को समुचित संरक्षण देने की मांग करता हूं।

बलिया जनपद के ग्राम बहेरी निवासी श्रीमती असमा खातून पत्नी स्वर्गीय अलगू उर्फ रईस को उसके बच्चों सहित पुलिस द्वारा गायब किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के के अन्तर्गत सूचना

*श्री गौरी शंकर मैय्या—

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती आसमा खातून पत्नी स्वर्गीय अलगू उर्फ रईश ग्राम बहेरी दिनांक 28 मार्च से अपने 6 बच्चों के साथ गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा गायब कर दी गयी है। श्रीमती आसमा खातून, जिसके पिता का घर गायखाट है, कि शादी सन 1960 में अलगू से हुई थी, तभी से इसका नाम वोटर लिस्ट एवं कुटुम्ब रजिस्टर में सन् 1960 से दर्ज है। आसमा खातून उत्तर प्रदेश सरकार से 50 रुपया विधवा पेंशन पाती है। इसके नाम बलिया जनपद के ग्राम सभा बहरन में एक लाख पचाह हजार रुपये की सम्पत्ति भी है। उपरोक्त की पति के मृत्यु के बाद इसके पट्टीदारों ने स्थानीय पुलिस से मिलकर आसमा खातून की सम्पत्ति हड़पने के लिए इसे बंगला देश की नागरिक करार देकर पुलिस से गिरफ्तार करवा कर बच्चों समेत गायब कर दिया है। जबकि ऐसा न करने के लिये उच्च न्यायालय इलाहाबाद का स्थगन आदेश भी है। पुलिस द्वारा श्रीमती आसमा खातून तथा उसके 6 बच्चों को गायब कर दिये जाने से नगर में रोष उत्पन्न हो गया है। आज तक उन मां-बेटों के बारे में पुलिस कुछ भी नबता रही है। इससे आसमा खातून उसके 6 बच्चों सहित सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर भैय्या—]

पुलिस द्वारा की गयी इस कार्यवाही से बलिया नगर की जनता में घोर अविश्वास, भय एवं आतंक की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

हरदोई जनपद के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के गंगा की तलहटी के गांवों में ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत भयंकर ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मार्च, 1982 के अन्तिम सप्ताह में अभूतपूर्व ओलावृष्टि से जनपद हरदोई के कई क्षेत्रों में भयंकर बरबादी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तहसील बिलग्राम में मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के गंगा की तलहटी एवं उससे ऊपर आबाद सैकड़ों गांव जहां खरीफ की सिर्फ एक ही फसल होती है, एक-एक दान के लिए मोहताज हो गये हैं। इस क्षेत्र में 50 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक वजन के पड़े ओलों ने फसल को तो बिलकुल समाप्त ही कर दिया है, साथ ही पेड़ों की पत्तियों एवं छिलकों तक को भून जैसा दिया है। गरीबी की गोद में पलने वाला हमारा यह क्षेत्र भविष्य की निराशा में गोता लगाने के लिए विवश हो गया है।

लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने, समस्त वसूलियां स्थगित कर इस वर्ष का लगान माफ करने एवं छात्रों की फीस माफ करने की मांग करता हूं।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी व माधोगढ़ में हुई उपल वृष्टि से फसल की क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह—

महोदय, दिनांक 24-3-82 की शाम जनपद जालौन में भारी उपल वृष्टि हुई जिस के कारण कालपी तथा मधोगढ़ बिधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामों में खड़ी रबी की फसल शतप्रतिशत नष्ट हो गयी है। ओले का प्रकोप इतना भयानक था कि उसकी चपेट में पड़े, सैकड़ों पशु तथा बकरियां, भेड़ें आदि भी मर गयी हैं। ग्राम भगौरा की एक महिला ओलों की चपेट में आकर अपनी जान दे बठी। जनपद जालौन में रबी की फसल ही मुख्य फसल होती है। इसके नष्ट हो जाने से किसान के पास और कोई जीविका चलाने का साधन शेष नहीं रह गया है। उपल वृष्टि हुए 10 दिन से अधिक हो गये हैं परन्तु अभी तक वरिष्ठ अधिकारी गांव में जाकर किसान की क्षति का निरीक्षण नहीं किये हैं। किसानों में भारी क्षोभ तथा निराशा का वातावरण व्याप्त है।

मैंने जनपद के अधिकांश ओले से प्रभावित गांवों का दौरा किया है। किसानों की मांग है कि उनके लगान व आबपासी तथा अन्य सरकारी देयों को पूरी तरह माफ कर दिया जाय। केवल वसूली स्थगित करने से किसान का बोझ और बढ़ेगा। सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में राहत कार्य शुरू किए जायें जिससे मजदूरों तथा छोटे किसानों को रोजगार मिल सके। सस्ते गल्ले की दुकान खोला जाना भी बहुत ही आवश्यक है। किसानों की मांग है कि उनके क्षेत्रों में जो सरकारी नलकूप खराब पड़े हैं उनको तुरन्त ठीक किया जाय और ऐसे नलकूप जिनको बोर हुए काफी समय हो चुका है और अभी तक चालू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं कियें गये हैं उनको भी तुरन्त चालू किया जाय जिससे कि किसान जायद की कोई फसल ले सकें। जिन क्षेत्रों में नलकूप नहीं हैं वहां नहर द्वारा पानी दिलाने की व्यवस्था की जाय। किसानों को जायद फसल के लिए बीज तथा खाद अनुदान दिया जाय। किसानों को कृषि के दूसरे कार्यों के लिए सरकार द्वारा तकावी दिया जाना भी निहायत जरूरी है। इस बीच किसानों को अहेतुक सहायता तथा अनुदान तुरन्त वितरित कराये जायें।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभागाध्यक्ष डा0 डी0 पी0 सिंह द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत

*श्री रूपराम—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष डा0 डी0 पी0 सिंह द्वारा गम्भीर आर्थिक अनियमिततायें, भ्रष्टाचार एवं कतिपय सी0 आई0 ए0 से सम्बन्धित नागरिकों को आश्रय देकर राष्ट्र विरोधी क्रिया-कलाप किये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों एवं छात्रों में गंभीर आक्रोश व असंतोष व्याप्त है।

डाक्टर सिंह ने लोक प्रशासन विभाग के अतिथि गृह को अय्याशी एवं भ्रष्टाचार का केन्द्र बना दिया है जिसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि विभिन्न अतिथियों के लिए निहित स्वार्थ हेतु हजारों रुपये की शराब खरीद कर पिलाई जा रही है जिसका भुगतान शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान से किया जा रहा है। इसके प्रमाण स्वरूप मदिरा की रसीदों की संलग्न फोटो स्टेट प्रतियों से स्वतः स्पष्ट है। डाक्टर सिंह द्वारा बाह्य व्यक्तियों को मिथ्या भाषण दिखाकर उन्हें मानदेय के रूप में हजारों रुपये का भुगतान किया जा रहा है जिसे डाक्टर सिंह स्वयं प्राप्त करते हैं। डाक्टर सिंह ने नौ (9) वर्षों से अभी तक किसी कक्षा को नहीं पढ़ाया है।

उपरोक्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुलाधिपति महोदय, मुख्य मंत्री जी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों को माननीय सदन के पक्ष एवं विपक्ष के लगभग 50–60 माननीय विधायकों द्वारा संयुक्त रूप से और पृथक पृथक कई शिकायती पत्र अनेकानेक प्रमाणों सहित प्रस्तुत किये जा चुके हैं किन्तु अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। इन शिकायती पत्रों की प्रक्रिया स्वरुप डाक्टर सिंह कतिपय शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों को डरा-धमका रहे हैं तथा किसी भी प्रकार के संभावित नुकसान का प्रयास किया जा रहा है। आपत्तिजनक फाइलों एवं दस्तावेजों को नष्ट किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में काफी लम्बे अरसे समय से दैनिक समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हो रही हैं।

अतः मान्यवर से निवेदन है कि डाक्टर सिंह के उपरोक्त भ्रष्ट कार्य-कलापों एवं राष्ट्र विरोधी आचरण की अविलम्ब जांच के आदेश दिलवाने एवं शासन द्वारा तुरन्त वक्तव्य देने की व्यवस्था करने की कृपा करें। साथ ही डाक्टर सिंह के निलम्बन की कार्यवाही भी की जाय ताकि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग को तबाही से बचाया जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बरेली जनपद के ग्राम भीरपुर व ठगरास में अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य पाल सिह—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं कि जिला बरेली के ग्राम भारपुर तहसील फरीदपुर में इसी पहली अप्रैल को भीषण अग्निकांड हो गया जिसमें 42 छप्परों के मकान तथा 20 पशु तथा घरेलू सामान जल कर राख हो गया। इसी प्रकार जिला बरेली के एक ग्राम ठगरास में पिछले सप्ताह दूसरा अग्निकांड हुआ जिसमें पचासों मकान व झोपड़ियां जलकर राख हो गयीं। अग्नि शमन दल के देर से पहुंचने के कारण ये आग दो दिन में बुझायी जा सकी। इस भीषण अग्निकांड में कुछ लोगों के जल जाने की भी सूचना प्राप्त हुई है। परन्तु प्रशासन द्वारा कोई राहत प्रदान नहीं की गयी है। कृपया अविलम्ब कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि प्रभावित जनता किसी प्रकार अपना घर बनाकर अपनी क्षतिपूर्ति करके अपना गुजारा कर सके।

आगरा जिले की तहसील किरावली व फतेहपुर के कतिपय ग्रामों में भयंकर पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिह—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक अति-अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को इस माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आगरा जनपद की तहसील किरावली के फतेहपुर सीकरी और अकोला ब्लाकों में भारी पेयजल संकट पैदा हो गया है। फतेहपुर सीकरी नगर में जल निगम द्वारा जमीन के अन्दर ऊंची व पतली पाइप लाइन डाल देने से पहाड़ पर बसे नगर में पानी नहीं पहुंच रहा है और तीस हजार की आबादी का यह नगर प्यासा मर रहा है। पेय जल की इससे भयावह स्थिति उन गांवों की है जो राजस्थान सीमा से लगे हैं। फतेहपुर सीकरी ब्लाक में गोठरा, बसेरीकाजी, पंचक्की, नाजिरपुरा, नगर मेहवऊ, अकोसनगरिया, नगला धीमर, सोनपर, निठारी, चुरियासी, डाडूकरा, रसूलपुर, कराही, घिलोच, चीमा, शाहपुर, पाली, पतसाल, बदरौली, सहनपुर, जाजौली, मदनपुरा, बनजारा, सराय बलेसिरौली, सराय उन्नू, घिरौली जहांनपुर, नं0 दह, न0 सोमनाथ तेहरा रावत, जौताना मंडी मिर्जाखां, भोपुरखेड़ा, डाट नं0 जग्गे, न0 दधिराम, दुल्हास, गुजरापुर, ओलेडा, मंगौली कलां, भगौती खुर्द, नं0 मगौली आदि 60 गांव ऐसे हैं जहां के तालाब व पोखर सूख गये हैं और कुओं में सूख कर इतना कम पानी रह गया है कि महिलायें दो दो, तीन तीन किलोमीटर दूर से दिन भर मेहनत करके अपने परिवारों को दो चार घड़े पानी जुटा पाती हैं। इस जलाभाव से मनुष्य पशुधन को प्यासे मर जाने के भय से औने पौने बेंच रहे है या अपनी रिश्तेदारियों में भेजने में व्यस्त हैं। उक्त गांवों में हाय हाय और त्राहि त्राहि मची हुई है। यही दशा अकोला ब्लाक के रिठौरा असवाई गहरा खुर्द, गहर किला, खेडिया नारोला, इकरामनगर, बसैया रायमल, बसैया बोबला और बसैया ज्योतिराज आदि बीस गांवों की है। ग्रीष्मकाल में उपरोक्त गांवों में पेयजल की इस भयावह स्थिति से निबटना बेकाबू और असम्भव हो जायेगा। जिला प्रशासन इस समय इस क्षेत्र को बचाने में असहाय और अक्षम सिद्ध हो गया है। अतः समय रहते शासन तुरन्त इस पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर तोड़ने की रिग मशीन भेज कर कुओं का पत्थर तोड़ कर पेयजल व्यवस्था करें और नहरी पानी के पहुंच के गांवों पोखर, तालाबों नहर चलवा कर भरवा दें ताकि क्षेत्र का पशुवन मरने से बच सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर-फैजाबाद मार्ग पर मझोला के निकट बस दुर्घटना में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

गोरखपुर-फैजाबाद मार्ग पर मझोला के निकट बस दुर्घटना में कतिपय व्यक्तियों

*श्री राम गोविन्द—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4 अप्रैल को जनपद फैजाबाद से 18 किलोमीटर दूर फैजाबाद–गोरखपुर मार्ग पर स्थित मझोला गांव के निकट गत दिवस अपराह्न दो बजे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की दो बसों में भिड़ंत हो जाने से 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 40 से अधिक लोग घायल हो गये हैं। मृतकों में एक बस चालक भी है। घायलों को जिला अस्पताल बस्ती में भर्ती कराया गया है जिनमें 17 की हालत अब भी गम्भीर बतायी जाती है। बस नं0 यू0 टी0 डी0 9123 अयोध्या से खलीलाबाद जा रही थी। इस पर 84 लोग सवार थे। ये सभी लोग अयोध्या से रामनवमी के मेले से स्नान करके अपने घर वापस लौट रहे थे। दूसरी ओर से सामने से आ रही एक खाली बस बस्ती से अयोध्या जा रही थी। बसों के तेज रफ्तार के कारण बसें कन्ट्रोल में न रहीं जिससे उक्त दुर्घटना हो गयी। इसमें दो की मृत्यु तत्काल घटनास्थल पर ही हो गयी तथा कुछ को रास्ते में तथा कुछ ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना से उस क्षेत्र की जनता में खास तौर से गंगा स्नान करने वाले लोगों में आतंक, असुरक्षा, चिन्ता एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है। अतः इस लोक महत्व के निश्चित विषय की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान नियम 301 के अन्तर्गत आकृष्ट कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस्ती डिपो के कार्यशाला में व्याप्त भ्रष्टाचार से बस दुर्घटनाओं में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बस्ती डिपो की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। यहां कर्मशाला में घटिया स्तर के सामान सप्लाई किये जाते हैं। फोरमैन कभी भी स्वयं कर्मशाला में नहीं जाते है। इसके परिणाम स्वरूप गत वर्ष से ही कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें लोगों के काफी संख्या में हताहत होने की खबर है। इसी संदर्भ में 4 अप्रैल की बस्ती डिपो की दो बसों के टक्कर में 30 लोगों की जानें गयी हैं। काफी संख्या में लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। आये दिन नियमों की उपेक्षा करके निर्धारित संख्या से अधिक मात्रा में यात्रियों को बसों में टिकट जारी कर बैठाने से यात्रियों को जहां विशेष परेशानी होती है, वहां दुर्घटनाएं भी अधिक मात्रा में होने की सम्भावनायें रहती हैं।

अतएव आपके माध्यम से मांग करता हूं कि 4 अप्रैल, 1982 को बस्ती जनपद में हुई बस दुर्घटनाओं में मृत तथा घायल लोगों को उचित मुआवजा देने तथा बस्ती डिपो के कार्यशाला की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करता हूं।

बाराबंकी जनपद की तहसील फतेहपुर के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जमुना प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे जनपद बाराबंकी में मेरे निर्वाचन क्षेत्र तहसील फतेहपुर में दिनांक 24–3–82 की भीषण ओला वृष्टि हुई जिसके कारण विकास खण्ड फतेहपुर के हजारों गांवों की फसल शत प्रतिशत नष्ट हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जमुना प्रसाद—)

गयी और मेरे क्षेत्र के विकास खण्ड निदूरा के सैकड़ों गांवों की फसल चौपट हो गयी है। दिनांक 24-3-82 को लगभग डेढ़ घंटे तक ओला वृष्टि हुई और इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में ओला वृष्टि हमारे उपरोक्त क्षेत्र में कभी नहीं हुई और सौ ग्राम से लेकर ढाई सौ ग्राम वजन के ओले गिरे। इस ओला वृष्टि से कई लोगों की मृत्यु हो गयी तथा क्षेत्र में कई गांव के पशु भी ओला वृष्टि की चपेट में आकर मर गये। आम की फसल भी इस दैवी आपदा के कारण नष्ट हो गयी और अब किसानों के सामने आर्थिक संकट आ गया है। इस अप्रत्याशित दैवी आपदा से हमारे क्षेत्र में किसानों में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये मांग करता हूं कि किसानों की वर्तमान फसल, जो ओलावृष्टि से हुई हानि के कारण नष्ट हो गयी है, का मुआवजा दिया जाय व किसानों का लगान माफ किया जाय व सरकारी वर्तमान कर्जों को माफ किया जाय, सिचाई भी अविलम्ब माफ किया जाय व राहत कार्यों में लोगों को खाद्यान्न की व्यवस्था की जाय और सरकारी तथा सहकारी देयों की वसूली अविलम्ब इस सदन व सरकार के माध्यम से निरस्त की जाय।

जनपद गाजीपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों को वेतन वितरित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय—]

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान अधोलिखित अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:—

जनपद गाजीपुर के पांच हजार बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्य करने वाले शिक्षकों को जनवरी, 1982 से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। भीषण महंगाई के युग में शिक्षकों के परिवार भुखमरी की स्थिति में पहुंच गये हैं। विस्फोटक स्थिति के कारण गाजीपुर के समस्त बेसिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य ठप्प हैं, शिक्षक संघर्षरत हैं। हजारों शिक्षक प्रतिदिन बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना दे रहे हैं, किन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, जूनियर हाई स्कूल की परीक्षायें सन्निकट हैं। अधिकारियों की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण यह भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि शिक्षकों के वेतन एवं अन्य अवशेषों का अविलम्ब भुगतान कराया जाय तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

लखनऊ जनपद की तहसील मलिहाबाद के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—]

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में दिनांक 24-3-82 को जबरदस्त ओला गिरा है। जिस में निम्नलिखित गांवों-उमरिया, मुखपियोरी, हालूपुर, हिम्मतपुरवा, गोघना, हन्सापुरवा, कुनौरा, विश्रामपुरवा, शाहपुर, दसपट्टी, दिलवासी, दुल्हापुर, अमानीगंज, लालपुर, 15 बनौगा भगौतीपुर, अनौगा, तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ की फसल ओलों से कट कर समाप्त हो गयी है। पूरे क्षेत्र में हाहाकार नैराश्य और दुख का वातावरण व्याप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ जनपद को तहसील मलिहाबाद के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि स क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

है। इस ओलों से खेतों में एक भी पेड़ नहीं बचा है, वहां के निवासियों के सम्मुख अगली फसल मिलने तक भोजन तथा पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गयी। यहां यह स्थिति है, जिन परिवारों ने सामाजिक कार्य निश्चित किये थे, उन्हें स्थगित कर दिया है। श्री कृपाल सिंह निवासी ग्राम हाजीपुर की एक गाभिन भैंस तथा गाय मर गयी। मान्यवर, आपके माध्यम से शासन और राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि इन ग्रामों की समस्त सहकारी, सरकारी ऋणों की वसूली रोक कर उन्हें लगान सिंचाई की माफी की जाय, जिससे वह अपना नित्य का जीवन चला सकें। इसके लिए ग्रामीण रोजगार की योजनाएं इस क्षेत्र में प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। यहां के निवासियों को विशेष अनुदान तथा सहायता देने की मांग आपके माध्यम से मान्यवर, मैं करता हूं।

लखनऊ क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा चावल मिल मालिकों से घटिया किस्म के चावल की खरीद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कुमार भार्गव—

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। इस वर्ष क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा चावल मिल मालिकों से घटिया किस्म का चावल खरीद कर खाद्य निगम को बेंच दिया गया जो कि मण्डल के कई खाद्य गृहों में जैसे, लखीमपुर, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव आदि जनपदों में अभी भी उपलब्ध है। उक्त क्रय किया चावल अब सस्ते गल्ले की दुकानो के माध्यम से प्रदेश की जनता को दिया जायगा। उत्तर प्रदेश की लाखों जनता के जनजीवन के साथ यहा खिलवाड़ तो किया ही जा रहा है साथ ही साथ सरकार को भी उक्त विभागीय अधिकारियों के माध्यम से लाखों का नुक्सान उठाना पड़ता है।

मैं चाहूंगा कि आप उपरोक्त जनपदों के साथ भण्डार गृहों में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अविलम्ब जांच करायें चावल का नमूना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

जिला मथुरा में आबकारी एवं बिक्रीकर अधिकारियों की सांठगांठ से हरियाणा से शराब उत्तर प्रदेश में आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह—

मैं आपके एवं सम्मानित सदन के संज्ञान में अति लोक महत्वपूर्ण घटना की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। जिला मथुरा में आबकारी एवं बिक्रीकर अधिकारियों की सांठगांठ से हरियाणा से शराब भारी मात्रा में अवैधानिक तरीक से आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की तुलना में हरियाणा में इस शराब के दाम कम होने के कारण बहुत से असामाजिक तत्वों ने इस अवैधानिक धंधा को अपना व्यवसाय बना लिया है। कस्बा कोसी कलां इस धंधे का मुख्य अड्डा है लोकल पुलिस भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करती है। इस प्रकार की शराब भारी मात्रा में जनपद के धार्मिक स्थलों मथुरा शहर, वृन्दावन, नन्दगांव, बरसाना के मथुरा रिफाइनरी आदि स्थानों में बिक्री होती हुई देखी गई है। इस अनैतिक धंधे से वहां के निवासियों विशेषकर नौजवानों पर बुरा असर हो रहा है। कोसी कलां में तो अनकों युवक इस दुर्व्यसन से भारीपीड़ित है तथा सैकड़ों युवक इस काले धंध में व्यस्त है।

आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस अनैतिक धंधे को रोकने के कारण कारगर कदम उठाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खैरुल बशर—

हम लोगों की सूचना पढ़ी हुई मान ली जाय।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं होता है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 1977–78‡

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 1977–78 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अमोद और पणकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982‡

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग की अधिसूचना संख्या तीस0 ई0 बी0–6 (2)–82 वित्त (मनोरंजनकर) अनुभाग, दिनांक 1 फरवरी, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड का षष्ठम एवं सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1976–77 एवं 1977–78†

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड का षष्टम एवं सप्तम एवं लेखा विवरण 1976–77 तथा 1977–78 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1982†

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग–10 की अधिसूचना संख्या 6972 15 (10)–81–15–(90)–81, दिनांक 4 जनवरी, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1982 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 31–क की उपधारा (2) के–अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण†

उद्योग उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष समाप्ति–31 मार्च, 1981 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।
‡छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधयक, 1981 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों तथा मुद्रण की त्रुटियों क शोधन का विवरण सदन क पटल पर रखता हूं।

(संशोधनों क लिए दखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 223 पर)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 में किये गये आनुषंगिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(संशोधनों के लिए दखिए नत्थी 'घ' आगें पृष्ठ 224 पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति स उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधयक, 1982 में किये गये आनुषंगिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(संशोधनों के लिए दखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 225 पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष , मैं आपकी अनुमति स उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 226 पर)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 में किये गये श.ब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 277 पर)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 में किये गये आनुषंगिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(संशोधन के लिए देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 228 पर)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष,मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधन के लिये देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 229 पर)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालीन व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1982 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 मार्च, 1982 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान सभा से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 मार्च, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 3 फरवरी, 1982 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1982 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक,1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जनवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 12 फरवरी, 1982 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1982 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जनवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 12 फरवरी, 1982 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जनवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 12 फरवरी, 1982 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 फरवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 1982 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 सितम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 फरवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 फरवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 फरवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 5 मार्च, 1982 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनपूरक) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 मार्च, 1982 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 मार्च, 1982 को वापस प्रप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय को अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 मार्च, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 1982 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 फरवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 मार्च, 1982 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं, सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का ग्यारहवां विशेष प्रतिवेदन

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का ग्यारहवां विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का चवालिसवां प्रतिवेदन[1]

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का चवालिसवां प्रतिवेदन, जो वर्ष 1976 की अवधि में दिए गये आश्वासनों से सम्बन्धित हैं, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का पैंतालिसवां प्रतिवेदन, जो वर्ष 1977 की अवधि में दिए गय आश्वासनों से सम्बन्धित हैं, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981-82) का प्रतिवेदन[1]

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से, मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981-82) का प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के 1977–78 एवं 1978–79 के सिविल तथा 1977–78 एवं 1978–79 के राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

प्रतिवेदन के कतिपय मुख्य बिन्दुओं पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए विभागीय कार्य-प्रणाली में सुधार की अपेक्षा करता हूं—

1—एकीकृत जनजाति क्षेत्र विकास परियोजना, लखीमपुर खीरी—

इस योजना का कार्यान्वयन कई विभागों के द्वारा होना था परन्तु समिति ने पाया कि थारुओं की आर्थिक दशा सुधारने हेतु चालू की गयी योजना का उचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया गया। विभागीय समन्वय के अभाव में योजना का उद्देश्य और उसके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई ।

2—ग्रामीण हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के लिए कुओं और डिग्गियों का निर्माण—

इस योजना के कार्यान्वयन में भी विभाग की ओर से घोर उपेक्षा बरती गयी। त्रुटि-पूर्ण कार्यों की सामयिक जांच नहीं की गयी। धन का पूर्ण प्रयोग नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ष धन का आवंटन करके ही विभाग ने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझी है ।

3—समिति ने देखा कि उसके द्वारा की गयी लगातार संस्तुतियों की उपेक्षा करते हुए सार्वजनिक निर्माण, सिचाई आदि विभागों में आरक्षित स्टाक की सीमा को नियं-त्रित करने की कोई कार्यवाहीं नहीं की गयी। अधि कांश प्रखण्डों में सीमा से अधिक स्टाक रखने, समय पर लेखाबन्दी न करने की आपत्ति प्रत्येक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में आती रहती ह परन्तु स्थिति में सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता। प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

---

[1]छापा नहीं गया ।

स्वामी नेमपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा का सदन से अनुपस्थित रहने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर सहमति का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन के समक्ष माननीय सदस्य स्वामी नेमपाल सिंह का प्रार्थना-पत्र रखना चाहता हूं जोकि राजकीय अस्पताल, बुलन्दशहर से 8–3–82 को उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि—

"मैं गम्भीर बीमारी के कारण दिनांक 30–11–81 से राजकीय अस्पताल, बुलन्दशहर में भर्ती हूं, निर्धारित प्रपत्र पर 15–3–82 तक लिखकर दे दिया हूं लेकिन डाक्टरों की राय के अनुसार अभी मुझे अप्रैल सन् 82 तक और चिकित्सालय में रहना जरूरी है।

कृपया नियमानुसार स्वीकार करने की कृपा करें।"

अब प्रश्न यह है कि सदन इस पर अपनी सहमति प्रदान करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मुझे आपके समक्ष एक सूचना प्रस्तुत करनी है।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 5 अप्रैल, 1982 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के उपवेशन के पश्चात् दिनांक 7 व 8 अप्रल, 1982 को उपवेशन न हों और सदन के आगामी अधिवेशन के कार्यक्रम के प्रारम्भ में ही 4 असरकारी दिन रखे जायें।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, इस पर मेरा विरोध है। मेरा विरोध यह है कि जो गैर सरकारी दिन होते हैं, वे पांचवें दिन शुक्रवार को इसलिए रखे जाते हैं कि जो परिस्थितियां होती हैं, उन पर प्रस्ताव आते हैं, क्या सरकार सोच रही है और क्या विरोधी दल सोच रहा है, इस सम्बन्ध में अच्छा ज्ञान हो जाता है। 4 दिन मात्र ऐसे रखे जायेंगे तो इसका अर्थ यह होता है कि जैसे सरकारी काम होता है वैसे गैर सरकारी काम होता ह। अब की बार चाहे स्वीकार कर लें लेकिन आइन्दा से प्रार्थना है कि गैर सरकारी दिवसों को जैसे होना चाहिए, वैसे ही रखे जायें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने जो बात कही है, कार्य-मन्त्रणा समिति में इन बातों पर विचार हुआ। यह इस सत्र के गैर सरकारी दिवस हैं, जो अबकी बार नहीं हो पाए। इसलिए कार्य-मन्त्रणा समिति में यह तय हुआ कि इन्हें अगले अधिवेशन में अवश्य ले लिया जाय नहीं तो यह टल जाते हैं, इसीलिए इन्हें लगातार रखा गया है। कार्य-मन्त्रणा समिति फिर जब बैठेगी और जैसा निर्णय लेगी, वैसा किया जायगा।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज सदन में अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

दीवानी कचेहरी, देवरिया के कर्मचारियों द्वारा पुलिस ज्यादती के विरुद्ध हड़ताल किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(1 बजकर 25 मिनट)

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5—3—82 को श्री प्रद्युम्न मिश्र, अमीन, दीवानी न्यायालय, देवरिया के आदेश दिनांक 10—9—81 के अन्तर्गत ग्राम भलूअनी में श्री जगरनाथ नामक एक व्यक्ति से डिग्रीदार को कब्जा दिलाने की कार्यवाही करने गये थे। उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रतिपक्षी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16—2—82 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि विपक्षी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उक्त कार्यवाही का विरोध किया गया जिससे दोनों पक्षों—अमीन एवं जनता के लोगों में झगड़ा उत्पन्न हो गया। उक्त सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को जिसमें अमीन और चपरासी भी थे मौके पर ही शान्ति भंग होने की आशंका को देखते हुए गिरफ्तार किया गया और धारा 151/107/116 जा0फौ0 के अन्तर्गत उनका चालान किया गया। मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने पर गिरफ्तार व्यक्तियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत स्वीकृत की गयी किन्तु उसी दिन उनकी जमानत मन्जूर कर ली गयी और उन्हें जेल से छोड़ दिया गया।

जिला जज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 6—3—82 को स्थल का निरीक्षण किया। इसी बीच दीवानी कचहरी के कर्मचारी संघ ने हड़ताल कर दी तथा सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं पुलिस कर्मियों को तुरन्त निलम्बन की मांग की। इस मामले में जिलाधिकारी के आदेशानुसार परगना मजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा घटना की जांच की जा रही है। मजिस्ट्रेट की प्राथमिक जांच रिपोर्ट से फिलहाल कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं जिनके आधार पर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक हो। दिनांक 16-3-82 को सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ ने हड़ताल समाप्त कर दी है तथा न्यायालय का कार्य पूर्ववत चल रहा है।

अब स्थिति सामान्य है और इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच जारी है।

दिनांक 15 फरवरी, 1982 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या—14 के अनुपूरक प्रश्न पर शोधन वक्तव्य

कृषि उप मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15—2—82 को श्री कुंवर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 के सम्बन्ध में श्री कुंवर सिंह नेगी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्तियां की गयीं हैं, जिनका नाम सेवायोजन कार्यालय में नहीं है और उसका नाम बताने की कृपा करेंगे?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, इस बात की मुझे निश्चित जानकारी नहीं है कि उनके नाम, जिनकी नियुक्तियां की गयीं हैं, सेवायोजन कार्यालय में हैं या नहीं। लेकिन 13 व्यक्तियों के नाम मेरे पास हैं जिनकी नियुक्तियां की गयी हैं, उन का पता मेरे पास नहीं है। उनके नाम पढ़ देता हूं।

1—जगत सिंह घनई
2—सत्य नारायण ध्यानी
3—भरत राय
4—सूरज मणि नौटियाल
5—अरुण कुमार जुयाल
6—अंगद सिंह राय
7—केदार सिंह

[श्री सीताराम निषाद]

8—सुमेर सिंह
9—हरीश कुमार
10—राम सरन नौटियाल
11—रमेश चन्द्र जोशी
12—रामपाल सिंह चौहान
13—जगदीश सिंह

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है।

मान्यवर, इस बात की मुझे निश्चित जानकारी नहीं है कि उनके नाम जिनकी नियुक्तियां की गयी हैं, सेवायोजन कार्यालय में हैं या नहीं। लेकिन 13 व्यक्तियों के नाम मेरे पास हैं जिनकी नियुक्तियां की गयी हैं, उनका पता मेरे पास नहीं है। उनका नाम पढ़ देता हूं—

1—जगत सिंह धनई
2—सत्य नारायण ध्यानी
3—भरत राय
4—सूरज मणि नौटियाल
5—अरुण कुमार जुयाल
6—अंगद सिंह राय
8—केदार सिंह
9—सुमेर सिंह
9—हरीश कुमार
10—मनमोहन काण्डपाल
11—रमेश चन्द्र जोशी
12—रामपाल सिंह चौहान
13—जगदीश सिंह

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ङ' आगे 230 पृष्ठ पर)

विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट श्री अजय सिंह पुलिस अधीक्षक, देवरिया व डा० सूर्य प्रसाद, तत्कालीन जिलाधिकारी, गोरखपुर के मामले को निपटाने हेतु समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं चूंकि श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जांच हेतु दिनांक 3 मार्च, 1981 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था, जिस पर समिति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अनुसार दिनांक 3 अप्रैल, 1981 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था और दिनांक 3 अप्रैल, 1981 को सदन के निश्चयानुसार उक्त प्रश्न पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के 1981 के द्वितीय सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था;

और चूंकि श्रीमती गौरी देवी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित डा० सूर्य प्रसाद, तत्कालीन जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जांच हेतु दिनांक 2 अप्रैल, 1981 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अनुसार दिनांक 2 मई, 1981 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत

किया जाना था और उक्त अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 24 मई, 1981 को उक्त नियमावली के नियम 268 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत उक्त प्रश्न पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय विधान सभा के 1981 के द्वितीय सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था;

और चंकि उक्त दोनों मामलों में उस बढ़े हुए समय के भीतर भी समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी अतः 22 सितम्बर, 1981 को सदन के निश्चयानुसार उक्त प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्तमान आय-व्ययक सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था;

और चूंकि उक्त दोनों मामलों में इस बढ़े हुए समय के भीतर भी समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है,

अतः यह सदन निश्चय करता है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उक्त दोनों मामलों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अभी जो कारण माननीय सभापति विशेषाधिकार समिति ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं उसके सन्दर्भ में प्रश्न यह है कि मा0 सभापति विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उक्त दोनों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन में दिए गये आश्वासन के बावजूद विधायक, श्री माता प्रसाद पाण्डेय को प्रताड़ित करने वाले दरोगा को निलम्बित न किए जाने तथा उनको शैडो न प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ आपका एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, 22 मार्च को यहां पर विधान सभा में, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय के मामले को लेकर विचार हुआ था जिस पर माननीय गृह मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि उस दरोगा को निलम्बित कर दिया जायेगा। मान्यवर, 22 मार्च से लेकर आज 15 दिन हो गये हैं परन्तु अभी तक माननीय माता प्रसाद जी को शैडो नहीं दिया गया है और न ही उस दरोगा को निलम्बित किया गया ।

मान्यवर, यह एक अहम मामला है। 22 तारीख को यहां पर सदन में विचार हुआ और 29 तारीख को उस दरोगा को दूसरे थाने का चार्ज दे दिया गया है और वह थाना वह है जो हमारे क्षेत्र में भी पड़ता है और माननीय माता प्रसाद जी के क्षेत्र में भी है। दोनों आदमियों के क्षेत्र के अन्दर वह आदमी तैनात है। यह मान्यवर, फिर गुमराह करने वाली बात हुई। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तीन विधायकों ने श्री मसरूर जाफरी, मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ और श्री जमुना प्रसाद ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, माननीय गृह मन्त्री यहां पर सदन में उपस्थित हैं, वह कदाचित इस पर प्रकाश डालना चाहें तो वे कृपया बता दें।

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, यह जो आदेश हुए थे सदन के समक्ष और जो गृह मन्त्री जी ने आज्ञा दी थी उसके कार्यान्वियन में अगर कोई दिक्कत हो गयी होगी तो शीघ्र देख लेंगे।

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, हमारा कहना यह है कि जब आपकी पीठ से कहा गया और गृह मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक शैडो नहीं मिला और उन्हीं के थाने में उनको तैनात कर दिया गया। अगर वह मार दिए गये तो कौन जिम्मेदार होगा? मान्यवर, यह सारा धंधा एस0पी0 करा रहा है।

(व्यवधान)

*श्री मोहन सिंह--

जो परिस्थिति है उसमें लगता है कि मन्त्री जी ने जो घोषणा की थी वह सम्पूर्ण सदन और आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए लेकिन आप स्वयं देख लें कि सदन की और आपकी भावनाओं की कितनी प्रतिष्ठा यह सरकार करती है कि आज 15 दिन के बाद मन्त्री जी वक्तव्य दे रहे हैं कि उसको देख लेंगे। आज सदन उठ रहा है और पता नहीं कब तक इसकी छानबीन करेंगे। इसलिए सदन उठने के पूर्व ही इनके सम्पूर्ण आदेश और शासनादेश की कापियां होंगी वायरलेस मैसेज से मंगा लें कि वह तामील हुआ या नहीं। इनकी सुरक्षा के लिए शासन ने क्या कार्यवाही की। सदन उठने से पहले, घंटे, दो घंटे में, विस्तृत रिपोर्ट दे दें, कि जो सदन में घोषणा हुई थी उसका किस हद तक पालन हुआ है इसका भी हम जायजा ले लें।

श्री रियासत हुसैन--

मुझे बड़ा दुःख है, जो वाकया हुआ, यहां आया था, गृह मन्त्री जी ने सबकी भावनाओं का आदर करते हुए घोषणा कर दी थी कि उनको सस्पेण्ड कर दिया गया। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि क्या सस्पेण्ड की कोई नई डिफनीशन इस शासन ने निकाल ली है। क्योंकि इस सम्बन्ध में वाकयात जो हुएहैं बजाए उनके सस्पेण्ड होने के इस घोषणा के तुरन्त बाद उन्हें दूसरे थाने का चार्ज दे दिया गया और वह भी उसी क्षेत्र में है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन सारी चीजों के बाद में सस्पेन्शन और जो सदन में घोषणा हुई, एश्योरेंस तो अलग चीज है, घोषणा हुई है उसके बारे में तो पूरा एक्स्प्लेनशन आना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह चिन्ता की बात तो है कि आदरणीय सदन के निर्णय और आपकी पीठ से हुए आदेश का पालन यह शासन कैसे करे, माननीय सदस्यों का हित और उनकी सुरक्षा खतरे में है, मान्यवर। यही नहीं जुडिशियरी के भी माननीय सदस्यों पर पुलिस के हमले हो रहे हैं। मैं मोहन सिंह जी से सहमत हूं लेकिन स्थिति की जानकारी मात्र हम नहीं चाहते। हम यह चाहेंगे कि वह (सम्बन्धित दरोगा) सस्पेंड हुए या नहीं, उसके क्रियान्वयन की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिपोर्ट पढ दें। अगर आज तक सस्पेंशन के आर्डर नहीं गये तो गृह मन्त्री को इस सदन के समक्ष क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमसे यह त्रुटि हो गयी और सदन के समक्ष करें। रेडियोग्राम की प्रतिलिपि आपके पास भेज दें। रिपोर्ट नहीं उसका इक्जीक्यूशन क्या हुआ है। शासन की गलती का जो परिमार्जन हो सकता है इसलिए क्षमा याचना करनी चाहिए।

*श्री मोती लाल देहलवी—

22 मार्च को यह मामला सदन में प्रस्तुत हुआ था। यहां कांग्रेस के, सत्तारूढ़ दल के, उसी जिले के विधायकों ने भी इस सदन में कहा था कि हां, इस थानेदार ने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है और उस थानेदार से माननीय माता प्रसाद जी पाण्डेय को खतरा है। तब माननीय गृह मन्त्री को पूर्णतया विश्वास हुआ था कि वहां माता प्रसाद जी की जान को खतरा है। इसलिए गृह मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था इस सदन को और घोषणा की थी मान्यवर, कि उस दरोगा को आज ही सस्पेण्ड कर दिया जायगा और वहां से हटा दिया जायगा।

मान्यवर, उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि माता प्रसाद पाण्डेय को आज शाम तक शैडो दे दिया जायगा। मान्यवर, न तो उस थानेदार को हटाया गया न सस्पेण्ड किया गया और न ही माता प्रसाद पाण्डेय जी को शेडो दिया गया। मान्यवर, यहां पर जो घोषणाएं की जाती हैं उन पर हम सदस्यगण विश्वास करते हैं और विश्वास ही नहीं करते, आश्वस्त भी होते हैं, मान्यवर। यह कितनी दुखद स्थिति है, कितनी असहाय स्थिति है कि सरकार जो घोषणा करती है उसका पालन नहीं करती है और मान्यवर, पालन करना तो दूर उससे चिन्ताजनक बात तो यह है कि न तो शेडो दिया गया और न उस दरोगा को वहां से हटाया गया तो मान्यवर, जाहिर है कि माता प्रसाद पाण्डेय की जान को खतरा है क्योंकि उस दरोगा के अन्दर प्रतिशोध की भावना अवश्य होगी।

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र से भी सम्बन्धित है। उस दरोगा के खिलाफ बहुत शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए।

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

श्री जगपतिनाथ, थानेदार थाना त्रिलोकपुर, जनपद बस्ती को तत्काल निलंबित करने और माननीय विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय की यथोचित सुरक्षा हेतु आदेश टेलीफोन के ऊपर 24 मार्च, 1982 को दे दिए गये एवं 29 मार्च, 1982 को लिखित रूप में यह आदेश भेज दिए गये थे। बाकी उसमें कृत कार्यवाही में कोई विलम्ब हुआ है तो मैं उसको अवश्य देखूंगी और जिसने इस आदेश का पालन करने में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य की जायगी।

श्री रामआसरे वर्मा—

मान्यवर, अभी एक कार्यवाही पूरी नहीं हुई, और दूसरी कार्यवाही की घोषणा माननीय मन्त्री जी करने लगीं।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सर्वोच्च सत्ता है, प्रदेश की और इस प्रदेश की नाकारा गृह मन्त्री 24 तारीख को आदेश देती हैं और 29 तारीख तक उसका पालन नहीं हुआ। यही नहीं, ऐसा ही एक मामला था सरदार सिंह का मैंने इनसे कहा पहले सोचा कि पागल गृह मन्त्री से कहना बेकार होगा लेकिन फिर भी मैंने कहा माननीय सदस्य का मामला है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

जांच किसी उच्च अधिकारी को दे दीजिए ऐसे पागल गृह मन्त्री से कुछ कहना जो अपने कंडक्ट से मुख्य मन्त्री को भी बदनाम करती चली जा रही हैं। इनके कहने पर सरदार सिंह को उनके पास भेजा तो यह आई0जी0 को आदेश देती हैं कि आई0जी0 पुलिस नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। ऐसे आदेश यह देती हैं बाद में मैंने आई0जी0, से कहा और सब स्थिति बताया तो उन्होंने दूसरा काम किया। इनके आदेशों को कोई सुनता नहीं हैं। सब समझते हैं कि यह पागल मन्त्री हैं। दिस इज पार्लियामेंट्री वर्ड अगर यह कहेंगी कि आज सदन के उठने तक यह कार्यवाही की जा रही है और उसकी सूचना सदन को देंगी तो यह सदन नहीं चलने दिया जायगा। सदन नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जायं। कृपया शान्त हो जायं।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर—

ऐसे गृह मन्त्री से प्रदेश तबाह हो जायेगा। इनका एक मिनट के लिए भी इस पद पर रहना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कृपया शान्त हो जायं।

यह वास्तव में एक गम्भीर विषय था और उस दिन जब सदन में यह विषय उठा था तो विरोध पक्ष के सदस्यों ने और तरह से सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए थे और आज भी यह विचार व्यक्त हुए हैं। माननीय नेता, विरोधी दल, जाहिर है कि आज तक सदन में बहुत सी बातें हुई हैं, मगर कभी भी इतना उग्र नहीं हुए, और बहुत सी तरह की बातें हुई हैं मगर मैंने माननीय नेता विरोधी दल को कभी भी इतने आवेश में नहीं देखा और उनका सभी शब्दावलियों का प्रयोग भी ऐसा कभी नहीं देखा निश्चित ही अत्यन्त भावनाओं से प्रेरित होकर, इन घटनाओं से अत्यधिक उत्तेजित होकर उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। जो भी हो, मगर इस सदन में 'पागल' शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, शान्त रहिये।

इसके साथ ही साथ 22 तारीख को सदन में यह प्रकरण आया था और 22 तारीख को थानेदार को निलम्बित करने की घोषणा हुई थी। माननीया गृह मन्त्री ने बतलाया कि 24 तारीख को टेलाफोन के जरिए और 29 तारीख को लिखित रूप से आदेश किया गया है और आज 5 तारीख है। तमाम बातें जो आपके सामने रखी गयी हैं उनमें दो प्रश्न निहित थे। एक तो जो विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी हैं, उनकी सुरक्षा का प्रश्न और दूसरा उस थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न, जिसकी सदन में घोषणा की गई था। इन दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। विरोध पक्ष से जो कहा जाता है उससे मालूम होता है कि अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है बल्कि थानेदार दूसरी जगह का थानेदार बना दिया गया है। तो मैं आप सभी सदस्यों से, शासन से भी अनुरोध करूंगा कि इतने विचारणीय विषय के सम्बन्ध में जिसमें कि एक सदस्य की जान का भी खतरा है और शासन की आज्ञाओं के पालन के सम्बन्ध में भी यह प्रश्न उठता है, इन सभी प्रश्नों पर विचार करते हुए सदन के उठने से पूर्व कि इस आश्वासन की पूर्ति कहां तक हुई, क्या हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आप विशेष विवरण दे दें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मोती लाल देहलवी—

गृह मन्त्री जी के वक्तव्य का हम लोगों ने कई दिन बहिष्कार किया। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी का बयान बिल्कुल असत्य है। दो बातें आती हैं। टेलीफोन किसने किसको किया, लिखित आदेश किसने किसको जारी किया।

श्री अध्यक्ष—

सारी बातें आ जायेंगी।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल के बाद कोई बात बाकी नहीं रह जाती है। बैठ जाय।

उन्नाव में परियर बांध के सम्बन्ध में नियम ३०१ की सूचना का उत्तर सरकार द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

दूसरा औचित्य का प्रश्न माननीय सन्त बक्स रावत जी ने एक प्रश्न के सम्बन्ध में दिया है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा परियर बांध का निर्माण कराया जा रहा है। इस को आपने नियम 301 में दिया था और आप कहते हैं कि इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसका अन्तिम रूप से उत्तर एक महीने के अन्दर मिलना चाहिए था, लेकिन एक महीना बीत चुका है, उत्तर नहीं मिला।

मैं आपके इस प्रश्न को शासन के पास भेज रहा हूं और शासन से मैं यह भी आशा करता हूं कि एक महीने के अन्दर उत्तर आ जाना चाहिए था, अब उसको तत्काल भेजने का कष्ट करें।

श्री सन्त बक्स रावत—

मान्यवर, यह जो बांध बनाया जा रहा है इसमें 6 गांव नदी की गोद में जा रहे हैं और 10,000 एकड़ कृषि भूमि नष्ट हो जायगी। शासन की तरफ से बराबर यह जो सदन की कार्य-संचालन नियमावली है उसका उल्लंघन और आपके आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी तरह से 301 में और भी माननीय सदस्यों की सूचनायें हैं जिनका उत्तर इस शासन की तरफ से नहीं मिला है। मेरा आग्रह है कि मेरे इस प्रश्न के साथ-साथ उन माननीय सदस्यों को भी उत्तर दिलवाने की कृपा करें ताकि भविष्य में इस तरह का न कर सकें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

एक विशेषाधिकार का मेरा भी था माननीय सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध . . . .

श्री अध्यक्ष—

भेज दिया गया है कार्यवाही के लिए. . . .

श्री मुहम्मद आजम खां—

दो, तीन, घंटे . . . .

श्री राम गोविन्द—

13-3-82 को दिया था और आज 5-4-82 है, उत्तर नहीं आया, आज सदन भी उठ रहा है

श्री अध्यक्ष—

वह लम्बित रहेगा, समाप्त नहीं होगा.....

श्री मुहम्मद आजम खां—

6 बजे सदन उठ रहा है। माननीय गृह मन्त्री के द्वारा दिये जाने वाले बिवरण के बारे में दो घंटे, तीन घंटे, समय निर्धारित कर दीजिए. . . .

श्री अध्यक्ष—

सदन उठने से पहले कह दिया है। जो कहा जायगा वही तो किया जायगा जितना कुछ है किया जा रहा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्दर 24 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, और माननीय गौरी शंकर भैय्या, श्रीमती गौरीदेवी, श्री मोहन सिंह, श्री सत्यपाल सिंह, श्री राम गोविन्द, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह मण्डारी, श्री विद्यासागर नौटियाल इनकी अलग-अलग सूचनाएं हैं—प्रदेश के राज्य कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में नियम 51 में 8-4-82 को वक्तव्य के लिए हो चुका है

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस सम्बन्ध में एक मिनट सुन लें। वक्तव्य के लिए लगा है लेकिन 7 और 8 को सदन है नहीं इसलिए वक्तव्य तो आयेगा नहीं। कार्य-स्थगन तो हम ने इसलिए दिया था क्योंकि पूरे प्रदेश में प्रशासन ठप्प है। जटाशंकर सिंह जी ने मुझे सूचना दी है कि आज स्थिति बदल गयी है, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हजारों लोग सेवा निवृत्त किए गये हैं वन विभाग के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। मैं समय की सीमा समझ रहा हूं। अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है। आज विशेष आदेश दे कर सदन के उठने से पहले इस की सूचना भी सदन में दिलवाने की कृपा करें चाहे 8 तारीख का ही बयान दिलवा दें। अविलम्बनीय महत्व का विषय है। प्रशासन पेरेलाइज हो गया है सारा काम ठप्प हो गया है, कर्मचारी मारे जा रहे हैं। बजाय इसके कि सरकार कोई रास्ता निकाले, दमन और अप्रजातांत्रिक परम्पराओं का सहारा ले रही है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, नियम 51 में मैंने भी सूचना दी थी और वह स्वीकार की गयी थी। लेकिन 8 तारीख को विधान सभा की बैठक होने वाली नहीं है लिहाजा इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर यहां कैसे विचार हो सकता है। इसलिए मान्यवर, इसके बारे में अब तक की क्या स्थिति है। प्रदेश के सात लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं और पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायें। निश्चय ही यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए इस पर नियम 51 में वक्तव्य के लिए इस प्रश्न को स्वीकार किया गया था। अब चूंकि वक्तव्य होना तो सम्भव नहीं है लेकिन माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं को देखते हुए मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है, उसके बारे में शासन आज सदन उठने से पहले अवगत करा दे।

7वीं और 8वीं सूचना श्री मुख्तार अनीस, श्री शंकर सिंह तथा श्री दलगंजन सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्री सी० एस० पी० सिंह को गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में दी है। इस सम्बन्ध में मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन 18 कार्य-स्थगन प्रस्ताव सदन में आये थे और उन पर विचार किया गया था। इसलिए यह अस्वीकार किया गया है . . . (व्यवधान)

आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए ।

श्री शंकर सिंह—

श्रीमन्, मैं आपका आदर करता हूं लेकिन. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें। एक बार यह चीज सदन में आ गई। आप मेरी भावना का आदर कीजिए और इस बात पर आगे न कहिए। इसके बाद श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह की देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा जिलों का गन्ना खेतों में पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर पहले वक्तव्य हो चुका है। श्री राम आसरे वर्मा तथा खैरुल बशर ने लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन के अध्यक्ष श्री सिंह द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की सूचना दी। इसी तरह की सूचना श्री अकबाल हुसैन और श्री मसरूर जाफरी ने दी है। इस सम्बन्ध में नियम 301 में सूचना पढ़ी जा चुकी है। एक सूचना श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री राधेश्याम पटेल, श्री शंकर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय ने जिला सीतापुर में श्री लाल जी प्रसाद वर्मा को गोली मारकर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में दी है. . .

*श्री हरगोविन्द वर्मा—

इस पर मुझे एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना श्री मसरूर जाफरी श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपीनाथ वर्मा ने गोला में हरिजन महिला के साथ बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में दी है। श्री प्रदीप कुमार यादव ने जनपद बाराबंकी में तेज वर्षा एवं उपल वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में दी है। श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने जनपद बनारस में हरिजन परिवार के मुखिया का मकान जला दिए जाने के सम्बन्ध में तथा श्री सूबेदार सिंह ने मैनपुरी एवं फर्रुखाबाद जनपदों में तेज वर्षा तथा उपल वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में सूचना दी है। इस सम्बन्ध में यहां पर वक्तव्य हो चुका है. . .

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, सीतापुर में श्री लालजी प्रसाद एक प्रमुख कार्यकर्त्ता थे उनकी हत्या जान-बूझकर की गयी है. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जायें श्री राम गोविन्द चौधरी ने जनपद लखनऊ में डालीगंज में असामाजिक तत्वों द्वारा एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसी तरह की सूचना श्री रियासत हुसैन ने भी दी है। ये सभी सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं. . .

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं धरना दे दूंगा। वहां पर चोरी डकैती, राहजनी रोज दिन दहाड़े हो रही हैं। अगर आप लाल प्रसाद की हत्या की चर्चा नहीं करायेंगे तो हाउस में धरना दे दूंगा। वहां का शहर नरक बन गया है. . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें। श्री दलगंजन सिंह तथा श्री शंकर सिंह ने तथा श्री राधेश्याम वर्मा व राजेन्द्र अग्निहोत्री नें ओलावृष्टि तथा तूफान से सारे प्रदेश में तबाही होने के सम्बन्ध में सूचना दी है। श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह ने पूर्वी जिलों में गन्ना मिलों द्वारा गन्ना न पेरे जाने के सम्बन्धमें सूचना दी है। इस सम्बन्ध में भी वक्तव्य हो चुका है। श्री जमुना प्रसाद ने बाराबंकी में उपलवृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में तथा श्री लल्लू सिंह चौहान ने मैनपुरी में उपलवृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में सूचनायें दी हैं। इन सब के बारे में वक्तव्य हो चुका है। इसलिए ये सारी सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं?

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, आप मुझे 5 मिनट का समय अवश्य दे दें। नहीं तो हाउस में धरना दे दूंगा . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने पांच मिनट कहा दूसरे माननीय सदस्य खड़े होकर कहेंगे कि मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए तो यह कैसे होगा?

(व्यवधान)

आप सुन लीजिए. . . .

आपने कहा धरना दूंगा नहीं तो समय दीजिए तो यह नियम में जोड़ दें कि धरना देने की धमकी दी जाय तो समय देना पड़ेगा. . .

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मैं धमकी नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

फिर आप कहिए कि धरना नहीं दूंगा, मैं समय लेना चहता हूं।

(व्यवधान)

मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं आपको उसमें कहना. . . .

(व्यवधान)

हो तो कहें। दर्शक दीर्घा की ओर न देखें।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से हमें इस सरकार से अनुरोध करना है कि सीतापुर जिले के अन्दर, सीतापुर, बिसवां और पूरे देहात में कत्ल, राहजनी और डकैती का बोल-बाला है। बिसवां में लालजी वर्मा को थाने से एक फर्लांग की दूरी में जहां पर उनका मकान है गोली से मार दिया गया। 4–15 बजे उनकी हत्या 27 मार्च को कर दी गयी, फायरिंग की आवाज स्वयं थाना इंचार्ज ने सुनी, वह कहते हैं ट्रैक्टर के टायर फटने की सी आवाज हमें मालूम हुई इसलिए हम मौके पर नहीं गये। 6-30 बजे तक कोई पुलिस का आदमी वहां नहीं पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तब जाकर पुलिस वहां आई और 27 तारीख की चार बजे से 30 ता0 तक वहां कोई नहीं गया और 30 तारीख की रात दो बजे थाना इंचार्ज हैं जिनका हत्या करने वाले लोगों से साजिश है इस तरह की परिस्थिति पैदा करते हैं कि उन्हीं के लड़के को पकड़ते हैं और कहते हैं कि जो हत्या हुई है वह उस स्थान पर नहीं हुई। दूसरी जगह पर हुई है और लड़के का उसमें हाथ है। इस प्रकार वहां कार्यवाही हो रही है और लोकदल के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैंने और हमारी पार्टी के लोगों ने इस बात की मांग की है जिसकी सूचना आपके पास भी आई होगी। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है

मैं पढ़ कर सुना दूंगा। उन्होंने सी0बी0आई0 से जांच की मांग की है और कहा है कि पुलिस से उनका विश्वास हट गया है इसलिए सी0बी0आई0 से जांच की जाय। हम चाहते हैं कि उस हत्या की जांच सी0बी0आई0 से कराई जाय जिससे पूरी प्रदेश में स्थिति साफ हो जाय कि उनकी हत्या पुलिस के माध्यम से बदमाशों ने मिलकर की है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि रामपुर कलां थाना के जो इंचार्ज श्री राधेश्याम शर्मा हैं, वह इस घटना से जुड़े हुए हैं।

*श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, इस वर्ष जो तूफान और ओलावृष्टि से किसान की तबाही हुई है वैसी सदियों गुजर गये तबाही कभी नहीं हुई। इस मुल्क में मुगलों की हुकूमत रही, अंग्रेजों की हुकूमत रही और इस किस्म के संकट के समय में किसानों को राहत दी गयी लेकिन मौजूदा सरकार ने कोई राहत ऐसे संकट के समय नहीं दी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सदन में लगान माफी और सिंचाई की माफी का ऐलान किया जाय। दूसरा जो सोसायटीज का किसानों पर है उस पर ब्याज माफी की घोषणा की जाय। जब तक यह घोषणा नहीं की जायगी मैं सदन के सामने धरना दूंगा।

(इसके साथ ही श्री दलगंजन सिंह तथा श्री राधेश्याम वर्मा सदन के बीच में आकर अपने कानों में उंगली लगाकर बैठ गये)

श्री मसरूर जाफरी—

हमारे यहां जो चन्द्रावती हरिजन महिला थी उसके साथ दरोगा उदय प्रताप सिंह ने ....

(व्यवधान)

एक हरिजन लड़की के साथ उस दरोगा ने बलात्कार किया है और उसके फलस्वरूप पूरे क्षेत्र में हरिजन अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वह भयाक्रांत हैं. . . .

(व्यवधान)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से श्री राधेश्याम वर्मा अपने स्थान पर चले गए।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय दलगंजन सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। इस तरह से यह नहीं होगा।

श्री मसरूर जाफरी—

सरकार हरिजनों पर इस तरह के बर्बर आक्रमणों को रोके. . . . . .

(व्यवधान)

(कई सदस्य विरोध पक्ष से अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करते रहे)

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

(कुछ सदस्यों तथा श्री मोती लाल देहलवी के कहने पर श्री दलगंजन सिंह सदन के बीच से उठकर अपने स्थान पर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त हो जाइए, बैठ जाइए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह—

चूंकि आज से सदन एडर्जन होने जा रहा है कल से यह सदन नहीं होगा, माननीय सदस्यों के पास कुछ ऐसे ज्वलन्त प्रश्न हैं, जिनको वह सदन में रखकर सरकार के सामने लाना चाहते हैं, उनको वह आज ही व्यक्त करने के लिए व्यग्र हैं, उसके कारण से आज मर्यादित चीजें नहीं हो पा रही हैं। पिछले दो–तीन महीनों में जिस शालीनता से यह सदन चला, उसमें आज बाधा पैदा हो रही है, उसका मुझे भी दुःख है जैसा अभी माननीय दल-गंजन सिंह ने प्रश्न उठाया कि . . . .

श्री अध्यक्ष—

यहां मेरी एक बात सुन लें। जिन प्रश्नों को आप ज्वलन्त समझते हैं और जिनके बारे में आप चाहते हैं कि उन पर शासन का ध्यान आकर्षित हो, उन पर सब सदस्य न बोलकर, कृपया केवल आप ही कह दें और मैं उन पर शासन को निर्देशित कर दूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं यह चाहता था, जैसा कि ओला के बारे में यहां आया, उससे सारे प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शासन की नीयत होती है, प्रत्येक शासन की होती है कि जब कभी ऐसी दैवी आपदा आये, वह तरह-तरह की सहायता भेजती है। लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार होता है, उसके बारे में शासन के पास और हमारे पास हजारों शिकायतें आती हैं, लेकिन आप उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं कर पाये हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे अवसरों पर जो उसे सहायता दी जाती है उसका 20 प्रतिशत भी उस आदमी तक नहीं पहुंचता है। लगान माफी की बात आती है उसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। जहां ओलावृष्टि हुई हम ट्यूबवेल की आबपासी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि उसे शासन कैसे दे सकता है। इन प्रश्नों पर सरकार अपनी नीति, वक्तव्य देकर निर्धारित कर सकती है कि हमारी सिंचाई से यदि नुकसान हुआ होगा तो हम इस तरह से क्षतिपूर्ति करेंगे। यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यदि शासन चाहे तो अब भी अपनी नीति की वह घोषणा कर सकती है। इस बारे में तमाम हमने जनता शासन में किया था। आप चाहे उसे न मानें, अपनी तरह से करें, लेकिन करें अवश्य। गन्ने के बारे में कहना चाहता हूं, ट्रकों की हड़ताल हुई। उसके कारण से इसमें और भीषण स्थिति पैदा हो गयी है, उस पर कुबेर भंडारी ने कहा था और जब मैंने उस बारे में अपने भाषण में कहा था कि इस वर्ष में इस बार गन्ना जलाया जायेगा, इसलिए इस सम्बन्ध में आप अभी से कोई प्रक्रिया शुरू कर दें, लेकिन मन्त्री जी ने अपने डेढ़ घंटे के भाषण में उस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। ट्रक नहीं चलीं तो गन्ना कैसे डाइवर्ट किया जाय यह प्रश्न ऐसा है, दुर्भाग्य से गन्ना मन्त्री जी इस समय उपस्थित नहीं हैं, अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी कल या परसों में विधायकों की एक मीटिंग बुला लें और उसमें इन बातों पर विचार विमर्श हो जाय।

मान्यवर, आप भी चाहते हैं कि प्रदेश में खुशहाली हो, किसानों को राहत पहुंचे तो कम से कम हम आपस में बैठकर कुछ निर्णय लेंगे। इसी प्रकार से पुलिस दरोगा द्वारा एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किए जाने का मामला है। मैं मानता हूं कि बलात्कार के सकड़ों प्रश्न आते हैं लेकिन जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की, हो उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े होकर कुछ कह दें कि यह-यह करने जा रहे हैं, तो हमारी भावनायें भी शान्त हो जायं। तो कम से कम शान्ति व्यवस्था, ओलावृष्टि एवं गन्ने के बारे में शासन की कोई नीति बननी चाहिए। ये बहुत ही ज्वलन्त प्रश्न हैं, ये मेरे और आपके प्रश्न नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि कल या परसों कभी भी बैठकर और गन्ना क्षेत्रों के जो सदस्य हैं, उनसे विचार विमर्श कर लें कि कैसे गन्ने को डाइवर्ट किया जा सके। हमारे प्रदेश में गुड़ बनता है। उस पर आप परचेज टैक्स लेते हैं। पहले 1977–78 में यह माफ हो गया था तो आप किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। इससे आप को भी परेशानी होगी। आपकी ओर से भी बहुत से माननीय सदस्य गन्ना क्षेत्रों से होंगे।

तो ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को कैसे राहत दी जायगी, क्या-क्या मदद गन्ना किसानों को देंगे, यदि इन समस्याओं पर विचार हो जाय तो सभी माननीय सदस्यों को शान्ति मिलेगी। तो मेरी प्रार्थना है कि इस पर कोई निश्चय कर लें और जिस सद्भावना से यह सदन 2–3 महीने से चल रहा है उसी सद्भावना से हम अपने-अपने घरों को जायें।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जिन ज्वलन्त समस्याओं की की ओर इशारा किया है, मैं समझता हूं कि वे किसी दल से सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि पूरे प्रदेश की समस्यायें हैं और इन पर हम सबको विचार करना चाहिए। आपके आदेशानुसार माननीय नेता विरोधी दल को भी यह विदित होगा कि इस सदन के उपरान्त विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक होने जा रही है जिसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी भी मौजूद होंगे और उसमें माननीय नेता विरोधी दल और अन्य पार्टियों के नेतागण भी होंगे और आपस में बैठ कर इन तमाम समस्याओं पर विचार किया जायेगा कि किस प्रकार से इनका निदान हो सके। हम सबको आपस में बैठकर इसके हल की तलाश करनी होगी।

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, किसानों की स्थिति के बारे में नियम 301 में जो प्रश्न रखा गया था।

(व्यवधान)

मान्यवर, बिहार से गन्ना आ रहा है। अगर मेरी बात नहीं सुनी जायगी तो मैं भी सदन में (वेल में) बैठूंगा।

(इसके उपरान्त माननीय कुबेर भण्डारी अपने हाथ में अखबार लिए सदन के बीच खाली स्थान पर आने लगे पर श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ ने उनका हाथ पकड़ कर उनको अपने आसन पर बैठा दिया।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैंने भी बनारस जिले के चन्दौली थाने के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उसको रिपोर्ट शासन को भेज दिया गया है, जिस पर वह विचार करेगी।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, गन्नों की स्थिति इतनी नाजुक है कि 50 प्रतिशत कप्तानगंज से पड़वा तक पड़ा हुआ है। इसलिए इसकी कोई व्यवस्था आप करा दें ?

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982†

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है।

(इस समय 2 बजकर 11 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मान्यवर, हमारे संविधान में राज्य की कार्यकारिणी को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह अपरिहार्य आवश्यकता के समय, ऐसे समय जब कि सदन सत्र में न हो, और ऐसी परिस्थितियां

---

†दिनांक 16 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

सामने आ गयी हों जिनका सामना करना आवश्यक हो गया हो तो सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है और यह अधिकार राज्यपाल महोदय में निहित अधिकारों के तहत दिया गया है। मगर जिन परिस्थितियों में वह जारी किया जाना चाहिए वह परिस्थितियां शासन के सामने नहीं थीं। यह अध्यादेश सरकार की असफलता का नमूना है। इस ब्यूरोक्रेसी की अक्षमता का ज्वलन्त उदाहरण है और इसीलिए मैंने अपना यह संकल्प इसके अननुमोदन करने को प्रस्तुत किया है। जो मूल अधिनियम था उसमें 31 दिसम्बर, 1981 तक का समय जब था तो सरकार को यथासमय सदन की बैठक बुलाकर विधेयक पास कराना चाहिए था, यह सरकार तो इतने अधिक बहुमत में है कि वह पास करा सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मगर 29 दिसम्बर को आर्डिनेंस जारी करके उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। जहां तक कानून की मोटी धाराओं का सवाल है, उसके अनुसार मान्यवर, यह सही हो सकता है, लेकिन जहां तक संसदीय परम्पराओं का सवाल है, पार्लियामेंटरी इन्स्टीट्यूशन्स के प्रति हमारी आस्था का सवाल है, उसके प्रति इस आर्डिनेंस के द्वारा अवमानना हुई है और उनको आघात पहुंचा है। इसमें इस पक्ष का और उस पक्ष का कोई सवाल नहीं है, अगर आपकी प्रजातंत्र में आस्था है तो इन चीजों को रोकना होगा। मान्यवर, पिछले वर्ष 40-42 दिन ही सदन बैठा, जबकि 90 दिन सदन बैठना चाहिए था। अगर इन्होंने सदन को बुलाया होता तो यह अध्यादेश जारी न करना पड़ता। इसलिये मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारा जो 1973 का अधिनियम है उसकी धारा 50 में यह था कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को उन परिनियमों में संशोधन या परिवर्तन आदि करने का जो अधिकार दिया गया था, उसका समय 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने जा रहा था। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा कुछ निश्चित अर्हतायें निश्चित की जानी थीं। सरकार को यह आशा थी कि उसकी सूचना 31 दिसम्बर, 1981 तक मिल जायगी और यह अधिकार विश्वविद्यालयों को दे दिया जायेगा लेकिन यह सम्भव नहीं हुआ अभी अपेक्षित है जो सुझाव होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के, उनकी हम अपेक्षा कर रहे हैं और यही कारण है कि पुनः संशोधन करके सितम्बर, 1982 तक यह अधिकार शासन अपने पास रखना चाहता है, जिससे ठीक से सारी चीजों को हम एक बार नियमित रूप से कर सकें। इसी तरह से मान्यवर, अधिनियम की धारा 73 में यह जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम की धारा 28 थी, जिसमें बुन्देलखण्ड अवध विश्वविद्यालय, रुहेलखण्ड आदि विश्वविद्यालय का यह अधिकार शासन ने अपने पास रखा था, उसके लिए यह आवश्यकता पड़ी कि यह अधिकार शासन में 31 मार्च, 1982 तक रहे। यही कारण है कि यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह सदन इस संशोधन विधेयक को पूरा समर्थन देगा और इसे पास करेगा।

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत संग्रह के लिए एक माह तक परिचालित किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सदन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि श्रीमन्, स्वायत्तशासी संस्थाएं जो प्रदेश के अन्दर चलाई जा रही हैं, तो समय-समय पर कभी वह शिक्षा आयोग के नाम पर और वैधानिक कठिनाइयों को दिखाकर बार-बार सरकार उसमें अपना हस्तक्षेप क्यों जारी रखना चाहती है, यह बात जन-साधारण का समझ में नहीं आती है। एक बात तो आप ग्राम सभाओं के चुनाव की बात करते हैं और कभी यह आप कहते हैं कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, अगर माननीय राजेन्द्र कुमार जी कोई विश्वविद्यालय पर प्रश्न पूछते हैं, तो सीधा-सीधा जवाब दिया जाता है कि यह तो स्वायत्तशासी संस्था है और दूसरी चीज जब सरकार के लोग फंस रहे हैं, जब इनका आदमी विश्वविद्यालय का चेयरमैन नहीं हो पा रहा है या ऐडमिनिस्ट्रेटर अपने नहीं बना पा रहे हैं, तो विभिन्न कठिनाइयों के नाम पर साल दो साल तक ये अधिकार बढ़ाना चाहते हैं।

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार चौधरी नौनिहाल सिंह जी जो हमारे शिक्षा मन्त्री हैं, इनके मनमाफिक लोग अभी नहीं मिल रहे हैं, यही कारण है कि बार-बार कभी 6 महीने के नाम पर, कभी साल भर के नाम पर, यह सरकार उन नियुक्तियों के नाम पर, वह अधिकार अपने हाथ में लिए रहना चाहती है। जो रुहेलखण्ड, फैजाबाद का विश्वविद्यालय है जो वहां पर समय-समय पर नियुक्तियां की जा रही हैं उसको भी आप बढ़ाने जा रहे हैं। यह शिक्षा जगत को प्रभावित करने वाला मामला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसको जनमत संग्रह के लिए एक माह तक परिचालित किया जाए। मान्यवर, मैं भी जनता द्वारा चुनकर आया हूं और आप भी चुनकर अगर जनता कोई हल निकाल लेती हैं और बीच का कोई रास्ता निकल आता है, तो बढ़िया बात होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसे जनता के बीच में जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाय। जो टीचर्स यूनियन में काम करने वाले हैं और जो शिक्षाविद् हैं ताकि उनके विचार आ जायं, तब इसे मान्यवर, रखा जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैं अभी माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने जो बहाना किया, मुझे याद है इसके पहले यह विधेयक आया था और मैंने संशोधन का प्रस्ताव रखा था, उस समय स्वरूप कुमारी बख्शी जी शिक्षा मंत्री थीं तो उन्होंने वादा किया था कि आगे ऐसा मौका नहीं आयेगा, इसको लाना पड़ा कार्यकाल बढ़ाने के लिये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से अध्यापकों की अर्हता के बारे में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये थे इसलिये इसको रोकना पड़ा। माननीय मंत्री जी बुद्धिजीवी हैं और समझदार भी हैं। मान्यवर मूल अधिनियम की धारा 50 में यह कहा गया है "राज्य सरकार 31 दिसम्बर, 1981 तक किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संशोधित कर सकेगी, चाहे वे परिवर्तन प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हों और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनांक से हो सकेगा जो इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का न हो।"

मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक बात यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से नहीं मिली थी तो उसको रोक लेते और बाकी छोड़ देते इसमें क्या दिक्कत थी। लेकिन मुझे जानकारी है, अगर गलत हो तो आप सुधार कर दीजियगा, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनका आपके विभाग में जो स्टेच्यूट्स आये हैं उनको टच ही नहीं किया। श्रीमन्, हल्द्वानी में एक डिग्री कालेज है जिसका नाम है मोदी राम बाबू राम ट्रस्ट डिग्री कालेज उसको गवर्नमेन्ट ने अधिग्रहण कर लिया लेकिन जो आपके यहां से निर्देश गये हैं उसकी फोटो स्टेट कापी है हमारे

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

पास। आपने लिया है जिस तारीख से वह कालेज आपके अधिग्रहण में आयेगा, उनके पहले की उन सब की सेवा की शत समाप्त हो गई। अब आप देखें कोई अध्यापक 20 वर्ष से पढ़ा रहा है। अब जब आप अधिग्रहण करेंगे उसके बाद से उनकी सीनियरिटी देंगे, उसकी पहले की सेवा की शर्तें समाप्त हो जायगी। कालेज आपने ले लिया, इसके एसेट्स आपने ले लिया तो लाइबिलिटीज कौन लेगा। मान लीजिये किसी अध्यापक की दो महीने की तनख्वाह रुकी है तो उसको कौन देगा, उसको आप क्यों नहीं देंगे। इन सबको आप कृपा करके देखें। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि प्रत्येक अध्यापक को गवर्नमेन्ट कालेजों के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाना पड़ेगा। आप कल्पना करें जो 15–20 साल पहले सेलेक्ट हुये, यूनिवर्सिटी से एप्रूव हुये, उनकी एक रिटायरमेंट की ऐज है, उसमें कौन एप्लाई कर सकता है। आज नियम है कि 55 प्रतिशत से कम वाला एप्लाई नहीं करेगा, तो वह लोग कहां जायेंगे। इसलिये इन बातों पर आपको विचार करना होगा लेकिन आप विचार नहीं करेंगे चूंकि शिक्षा में अधिनायकवाद का नियंत्रण है। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि प्रदेश के कांग्रेस (आई) के पुराने अध्यक्ष जो थे वह केन्द्रीय सरकार में मन्त्री हो गये हैं, उनके एक लड़के को पास करके राज्यपाल जी ने अपने पद की गरिमा पर एक क्लर्क लगा दिया और कुलपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया जिसका परिणाम हुआ कि सुधार के बजाय और दशा खराब हुई। श्री धर्मबीर के सुपुत्र जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था उसको केन्द्र निरीक्षक ने नकल करते हुये पकड़ा लेकिन उनका साहस नहीं था कि कापी वह जमा करा लेते। नकल हो रही है। इसलिये आप मौके पर जाकर और उन लोगों को पकड़ें जो नकल करते हैं और आप स्वायत्ता का सम्मान करें।

मान्यवर, सीतापुर में बिरला कालेज है हरगांव में। वहां एक हरिजन चपरासी के पद पर काम करता था लेकिन जब उसके प्रोमोशन की बात आयी तो वहां के पूंजीपति के कहने पर कि हरिजन का लड़का प्रोमोशन पायेगा, यह नहीं होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये, इसलिये नियम के अनुसार 5 साल की सर्विस जो होनी चाहिये, उसमें दो महीने कम थे इसलिये सलेक्शन कमेटी में यह मामला भेज दिया गया और वहां गैर हरिजन व्यक्ति को प्रोमोशन दे दिया गया। इस संबंध में मैंने डी0 आई0 ओ0 एस0 से कहा तो उन्होंने कहा कि 2 महीने बाकी हैं, तब मैंने उनको सरकुलर रिजर्वेशन कोटे का दिखाया कि रिजर्वेशन कोटे की पोस्ट के लिये अर्ह व्यक्ति नहीं मिला तो वह पोस्ट खाली रखी जायगी लेकिन डी0 आई0 ओ0 एस0 ने हरिजन विरोधी नीति पर अपनी मोहर लगा दिया। मेरी बात से डिप्टी डायरेक्टर सहमत हुये और कहा कि यदि स्थान रिक्त था तो 2 महीने के लिये प्रोमोशन रुकवाना चाहिये था लेकिन पता नहीं डी0 आई0 ओ0 एस0 को किसका संरक्षण प्राप्त है कि डिप्टी डायरेक्टर की बात भी उसने अवमानना किया। तो ऐसे आधिकारी आपके यहां हैं।

मान्यवर, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि विदेशों से सूचनाएं आती हैं कि हमारे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की विदशों में मांग होती हैं और वहां भेजे जाते हैं। डायरेक्टर आफ फारेन एसाइन्स सेक्शन, डिपार्टमेन्ट आफ परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन एन्ड रिफार्म्स, गवर्नमन्ट आफ इंडिया के माध्यम से प्रतिभाशाली लोग बाहर विदेशों में भेजे जाते हैं। श्री रंजीत सिंह नामक व्यक्ति ने एप्लाई किया, वह सेलेक्ट हो गये और नाइजीरिया भेज दिये गये। वहां एजूकेशन के एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से नियुक्त हुये। वहां उन्होंने शानदार काम किया इसलिये नाइजीरिया गवर्नमेन्ट ने लिखा कि उनका समय और बढ़ा दिया जाय। यहां से शासन की अनुमति जाती है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की स्वीकृति हैं कि वह 5 साल वहां रहें। उसके बाद वह लौट कर यहां आये तो कालेज ने कहा कि हम आपको लेने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट्यूटस में व्यवस्था है कि 3 साल की इक्स्ट्रा लीव ग्रान्ट करते हैं लेकिन आपको

5 साल हो गये हैं इसलिये हम नहीं लेंगे । इस संबंध में मैं शिक्षा निदेशक और शिक्षा मंत्री से मिला और बात किया कि उसका क्या दोष है। नाइजीरिया गवर्नमेन्ट का उनको प्रशस्ति पत्र मिला है लेकिन यहां कालेज नहीं लेगा तो वह बरोजगार हो जायेंगे शिक्षा निदेशक हमारी बात से सहमत हुये कि ऐसा नहीं होना चाहिये। मान्यवर, वी0 एस0 एस0 डी0, कालेज, कानपुर के प्रिंसिपल ने श्री रंजीत सिंह को पत्र लिखा कि संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 1593/15–80(11)– 18(33)/80 दिनांक, 6 सितम्बर, 1980 के द्वारा यह सूचित किया है कि कानपुर विश्वविद्यालय की वर्तमान परिनियमावली के अन्तर्गत असाधारण अवकाश की अवधि में वृद्धि करना संभव नहीं है। शासन द्वारा इस संबंध में नियम में आवश्यक संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

मैं जानना चाहता हूं यदि आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे अच्छे लोग, कुछ लोग जानबूझकर बाहर भाग जाते हैं जैसे इंजीनियर जिन पर कार्फा पैसा खर्च किया जाता है उनको छोड़कर, वह लौटकर आएं लेकिन एक आदमी जो आपके माध्यम से डाइरेक्टरेट से परमीशन लेकर जाता है और लौटने पर वह बेरोजगार हो रहा है जो नहीं होना चाहिये इस तर्क से आप सहमत हैं तो मैं पत्रावली आपको दिखाऊंगा कि जो 3 वर्ष की नियम में अवधि है उसमें होना चाहिये कि डाइरेक्टरेट के माध्यम से कोई प्रतिभावान व्यक्ति बाहर गया है, आपकी अनुमति से गया है, तो वह जब लौटकर आयेगा तो उसको रखा जायगा। इसलिये उसे स्टेट्यूटस में परिवर्तन करने की जरूरत है ।

मान्यवर, मैं दो, तीन विसंगतियों की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहत हूं। मैं एच0 के0 पी0 डिग्री कालेज के संबंध में आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री क ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर 2 वर्षों से प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी हुयी है। हिन्दी प्रवक्ता की पोस्ट 7 वर्षों से खाली है। सोशियोलोजी के प्रवक्ता की पोस्ट 5 वर्षों से खाली है, संस्कृत प्रवक्ता की पोस्ट 10 वर्षों से तथा इंगलिश प्रवक्ता की पोस्ट 3 वर्षों से खाली है। बी0 एड0 की भी एक पोस्ट खाली है। लेकिन यह विद्यालय उन पर रेगुलर नियुक्ति नहीं करता है। 300–300 रुपये पर अध्यापिकाएं नियुक्त हैं। 500 रुपये बाबू पाता है लेकिन 300 रुपया अध्यापिकाओं को दिया जाता है। तो अगर कोई प्राइवेट मैनेजमेंट ऐसा कर रहा होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह विद्यालय 4 वर्षों से शासन के नियंत्रण में चल रहा है। वहां के जिलाधिकारी साधिकार नियंत्रक हैं। वहां पर 5, 7, 10 वर्षों से पोस्टें खाली पड़ी हैं लेकिन रेगुलर नियुक्ति नहीं की जा रही है क्योंकि अपने मन मुताबिक लोगों को रख नहीं सकेंगे इसलिये पोस्टें खाली हैं ।

एक विसंगित की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। नियम है कि साधिकार नियंत्रक का कार्यकाल 4 साल होगा । मैं जिस कालेज के संदर्भ में कहना चाहता हूं वहां 29 जून, 1982 अंतिम तिथि है। तो 30 तारीख को वहां पर क्या होगा। आपका यूनिवर्सिटी का जो अधिनियम है वर्ष 73–74 का उसमें भी मामला गोल है। तो इसके बाद क्या होगा । तो क्या आप इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिये नियम बनायेंगे। एक दिन का गैप देकर फिर बनायेंगे लेकिन एक दिन के गैप में साधिकार नियंत्रक कौन होगा मैं जानना चाहूंगा कि 4 वर्षों तक साधिकार नियंत्रक रहा तो उसका विधिवत चुनाव क्यों नहीं कराया गया । कोई हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में स्टे नहीं था। इसलिये मेरी मांग है कि 29 जून में अभी थोड़ा समय बाकी है तो आप चुनाव करायें ।

मान्यवर, पिछली बार मैं शिक्षा पर बोल रहा था तो मैंने कहा था, अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ इन्क्वायरी हुयी है । आपने मेरे सवाल का जबाव दिया था कि रिपोर्ट आ गयी है और उसका हिन्दी ट्रांसलेशन हो रहा है, उसके बाद उसको सदन

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

रख दिया जायगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट के आधार पर शासन ने क्या कोई कार्यवाही की है ? क्या शासन ने यह देखने की कोशिश की है कि उसमें कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन्स हैं जिन्होंने गंभीर वित्तीय अनियमितताये और प्रशासनिक अनियमितायें की हैं। महरानी लाल कुंवर महाविद्यालय, बलरामपुर गोंडा आदि बहुत से विद्यालय हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की गयी है। आप उस कमीशन की रिपोर्ट पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट का क्यों नहीं एक्जीक्यूशन किया जा रहा है। आप हिन्दी ट्रांसलेशन का बहाना लेकर कब तक उस रिपोर्ट को सदन में आने से रोकेंगे। रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद हमारे सदन में आना जरूरी है लेकिन उस पर सरकार कोई कार्यवाही इसलिये नहीं कर रही है कि हिन्दी अनुवाद होना आवश्यक है, तो आप उस कमीशन की रिपोर्ट पर कार्यवाही करें। मुझे आज ही सूचना मिली है कि सरकार ने महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों को देने के लिए स्वीकार कर लिया है। बनारस, की मेरे पास जानकारी है कि फरवरी, अप्रैल, जून की किश्तें देना स्वीकार कर लिया है। गोरखपुर, काशी विद्यापीठ शिक्षकों को मिलना शुरू हो गया है।

आज वाराणसी में डी0 आई0 ओ0 एस0 का कहना है कि दोनों किश्तों के आदेश नहीं आये हैं। आप देख लें कि आदेश क्यों नहीं पहुंचे हैं। वहां पर कई विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित डिग्री कालेजेज हैं। यह प्रशासनिक गलती है, डायरेक्टर की गलती है। होता यह है कि जब शासन से राजाज्ञा निर्गत होती है उसकी कापी राजकीय विद्यालयों में अलग अलग चली जाती है, लेकिन एक कापी निदेशक के यहां जाती है। निदेशक ने साइक्लोस्टाइल कराया, प्रिन्ट कराया तो समय लग जाता है। छोटी सी बात है कि जब डायरेक्टर के यहां कापी भेजिये तभी राजकीय प्रेस से प्रतियां मुद्रित कराकर भेजिये। इसी के साथ ही मैं इस बात पर बल देता हूं, मैं नीयत पर शंका नहीं करता लेकिन नीयत सही होने पर भी, अगर आप घोड़े पर सवार हैं और सवारी की ताकत नहीं है तो घोड़ा उठाकर फेंक देगा। इसे प्रवर समिति को दे दें चाहे इसमें आप अपने सत्तारूढ़ दल के आदमियों को ही रख लें। मैंने संक्षेप में कुछ बातें आपके सामने रखीं। आप इसे प्रवर समिति में भेज दें, हम विचार कर लेंगे। ऐसा करने से शायद हम ऐसा रास्ता सुझाने में सफल हो जायं, जिससे इन समस्याओं का हल निकल सके। इसी के साथ ही मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री लाल प्रताप सिंह का नाम नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको अधिक समय नहीं दे पाऊंगा, केवल 5 मिनट ही समय दे सकूंगा।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

ठीक है, मान्यवर।

यह बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है। इसको जनमत संग्रह के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सामान्य बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा के सम्बन्ध में। जो दुर्दशा शिक्षा के क्षेत्र में है, शायद किसी क्षेत्र में नहीं है। इस पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ तो यह कहा गया है कि हमारे संविधान के आर्टिकिल 45 में कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एक निश्चित समय के अन्दर ही दी जायगी, वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद इस शताब्दी के अन्त तक यह पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि प्राइमरी स्टेज से लेकर हायर सेकेण्डरी स्टेज तक कोई पढ़ाई का सिलसिला ही नहीं है। मुझे याद आता है कि—

हैय्या न हैय्या,
जैसी पढ़ाई वैसे पढ़ैया।

तो ऐसी हालत हो गयी है। हमारी शिक्षा संस्थाओं में प्राइमरी शिक्षा की कोई भी व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। भवन नहीं, मेज नहीं है, मास्टर नहीं है, कोई पढ़ाने जाता नहीं है। गांव में बहुत से लोगों ने नर्सरी स्कूल खोल दिये हैं .. ..

श्री उपाध्यक्ष—

यह विधेयक विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बन्ध रखता है।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि मैं कुछ सामान्य बातें कहना चाहता हूं, इसीलिये कह रहा हूं।

जो संशोधन मा0 गुप्ता जी ने और गौरी शंकर जी ने रखे हैं, मैं उसका विरोध करता हूं और जो विधेयक पेश किया गया है, उसका स्वागत करता हूं और उसी सिलसिले में मैं सामान्य और साधारण बातें कहना चाहता हूं। एक कम्प्रेहेन्सिव बिल लाने की आवश्यकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त और सख्त बनाने की जरूरत है। न तो "मास एजुकेशन" हो रही है और न क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। एक चीज की माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि मैं एक आई0 टी0 आई0 कालेज में गया तो वहां दो वर्ष के तालीम पाये हुये बच्चों से मैंने पूछा कि एक इंच में कितने सेन्टीमीटर होते हैं, तो वह इसे नहीं बता पाये। वहां पर दो-दो साल तक के पढ़े बच्चे यह नहीं बता सके एक इंच में कितने सेन्टीमीटर होते हैं। तो यह हमारे यहां शिक्षा का स्तर हो गया है यह तालीम हो गयी है।

प्राइमरी शिक्षा का जहां तक सवाल है, कोई तालीम रह ही नहीं गयी है। हम लोगों की एक पढ़ाई हुआ करती थी पर अब तो जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन रह ही नहीं गया है, कोई नियंत्रण नहीं है। इस कदर फ्री हो गये हैं कि स्कूल आयें न आयें, कोई नियंत्रण ही नहीं है। हायर सेकेण्डरी स्कूलों की भी यही दशा हो गयी है, वहां भी शिक्षा का स्तर ऐसा ही है।

शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये हमारा पहला कदम यह होना चाहिये कि राजनीति में टीचर्स का प्रवेश न रखा जाय। वह चुनाव के जरिये या फिर नामिनेशन के जरिये राजनीति में प्रवेश न कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। दुनिया में मैंने आज तक कहीं नहीं सुना कि शिक्षा देने वाला टीचर स्ट्राइक कराये, हंगर स्ट्राइक कराये और तरह तरह के स्लोगन्स लगाये जिस तरह से कि हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस दिशा में सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सख्ती के साथ, हिम्मत के साथ, अपने पूरे उद्देश्यों को और लक्ष्य को सामने रखते हुये आप इस ओर विचार करें और कदम उठायें। जो टीचर रिटायर्ड हो गये हैं उनको आप भले ही राजनीति में मनोनीत कर लीजिये लेकिन वह टीचर जब तक कि सर्विस में हैं उनको राजनीति में प्रवेश करने के लिये रोक दीजिये। टीचर्स के राजनीति में प्रवेश पाने से सारी शिक्षा, सारी तालीम चौपट हो गयी है और हो रही है। दुनिया में कोई भी मुल्क आधुनिक नहीं बन सकता है बिना शिक्षा के और हमारे यहां शिक्षा देने वाले टीचर्स सब राजनीति करते हैं और बच्चों को शिक्षा दे नहीं सकते हैं और इसीलिये तालीम गिर रही है, तो ऐसी तालीम से क्या फायदा ?

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है इसमें तरमीम की जरूरत है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 35 वर्ष हमारे देश को आजाद हुए हो गये। 1974 से यह शिक्षा का ऐक्ट बना था विश्वविद्यालय के लिये। आठ वर्ष इसे भी बने हो गये परन्तु अभी तक वहां नियमावली नहीं बन पायी है। 35 वर्षों के बाद देश में 30 प्रतिशत लोग शिक्षित हो पाये हैं और वे भी कैसी शिक्षा पा रहे हैं, इसे मैं ज्यादा न कह कर इतना कहूंगा कि अभी सत्ता पक्ष के विधायक ने यहां उसके बारे में बयान कर ही दिया है।

दुर्भाग्यवश हमारी सरकार अफसरशाही पर निर्भर करती है, वही इसे चलाने वाले हैं। मंत्रियों को फुर्सत नहीं हैं विचार करने के लिये तो विधेयकों के सहारे, विधेयकों का सहारा लेकर, हर विधेयक की मियाद बढ़ातें जा रहे हैं। तो मान्यवर, अभी मंत्रि मण्डल सो रहा है और अफसर अपनी अफसरशाही चला रहे हैं। इस देश का क्या होगा। यह बात विचारणीय है। आज माननीय गुप्ता जी ने एक मिसाल दी कि एक लेक्चरार विदेश गये। जब वे वहां से लौट कर आये हमारे देश में तो उन्होंने कहा कि इस का नियम नहीं है सरकार के विचार में कितने वर्ष और लगेंगे, यह सोचने की बात है। मैं निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि शिक्षा के प्रति सजग हों और ध्यान पूर्वक इस बात पर विचार करें कि आज हमारे प्रदेश में शिक्षा की क्या हालत है। प्राइवेट स्कूलों में दो-दो मैनेजमेंट बन गये हैं--एक हाई कोर्ट से स्टे ले आता है तो दूसरा सरकार से--बुरा हाल है। विश्वविद्यालयों में भी जो हालत है, वह सत्तापक्ष के माननीय सदस्य ने बता दी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मंत्रिमंडल सो रहा है इस बात पर सजग हो, इधर-उधर के काम छोड़कर, राजनीतिक काम छोड़कर, इस काम को पकड़ें ताकि हमारे प्रदेश का उद्धार हो और गुप्ता जी ने जो संशोधन रखा है प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री प्रभूनारायण सिंह--

मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो विरोध पक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, केवल थोड़ा सा समय बढ़ाने की बात कही गयी है। मैं सोचता था कि वे निश्चित ही इसका समर्थन करेंगे लेकिन चर्चा चल गई है इसलिए खड़ा हुआ हूं कुछ कहने के लिए। मैं सुन रहा था एक माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षक की जुबान बिल्कुल बन्द होनी चाहिये। वह बोल नहीं सकता, वह निर्णय नहीं कर सकता, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। शिक्षा संस्थायें प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज हैं लेकिन ये प्राइवेट अनलिमिटेड होते हैं। सारा काम सरकार करती है, संस्थाओं के नाम सभी सरकार घोषित करती है लेकिन अधिकार उस अनलिमिटेड कम्पनी को है। मैनेजमैन्ट चाहे, मैनेजर अंगूठाछाप हो, न कोई योग्यता न कुछ लेकिनशिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह इंकार करता है इसलिये बोल नहीं सकता। शिक्षक तो समाज का वह प्राणी है जो सचमुच में बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, दिशा निर्देश करता है, अगर उसको बोलने न दिया जाय, उसकी जुबान पर ताला लगा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि समाज की जुबान पर ताला लगा दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक, का जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने रखा है, समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें केवल थोड़ा सा समय बढ़ाने की बात है और कोई बात नहीं है।

*श्री राम गोविन्द--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुप्ता जी ने जो प्रवर समिति को भेजने की लिए संशोधन रखा है, उसका समर्थन करता हूं। यह आवश्यक है कि प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए कि स्वायत्तसेवी संस्थाओं को अपना अलग अस्तित्व कायम करने की छूट दी जाय और सरकार हर चीज में अपना जबरिया अस्तित्व कायम करना चाहती है। हर चीज सरकार अपने अन्दर लेकर पूरा आधिपत्य हर संस्थाओं पर जमाना चाहती है। यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यादेश प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये क्योंकि जो अनियमिततायें है और अव्यवस्था है उसको दूर करना सरकार का कार्य ह। अधिकांश महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आपस में मैनेजमेंट और अध्यापकों से झगड़ा चल रहा है। कहीं पर मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य के बीच में झगड़ा चल रहा है। हमारे यहां एक मुरली मनोहर स्नातकोतर महाविद्यालय है उसमें 15--20 हजार रु0 गबन कर लिया गया है और ईमानदार प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने गबन किया है जिसकी वजह से उस ईमानदार प्रिंसिपल को हार्ट अटैक हो गया। वह 13--14 वर्ष से आचार्य के पद का भार ग्रहण किये हुये थे। उस स्कूल की संख्या 300 से बढ़कर साढ़े चार हजार हो गई लेकिन बेईमानी के रास्ते पर चलने वालों के कर्मों से आचार्य की मृत्यु हुई। हम लोगों ने कई बार विधान सभा में इस मामले को उठाया कि जिन कारणों से आचार्य की मृत्यु हुई है उन कारणों की जांच होनी चाहिए। मैनेजमेंट को सरकार को तुरन्त भंग कर देना चाहिये।

हर जगह विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों की जूनियारिटी और सीनियारिटी का झगड़ा बना हुआ है। एक महाविद्यालय है वहां पर विश्वविद्यालय का आचार्य ने सबको आचार्य के पद पर बैठाने का काम कर रहा है। किसी को भी कह देता है कि यह सीनियर हैं और दूसरे मास्टर को आचार्य बना देता है और एक महीने के बाद दूसरा आदमी आचार्य हो जाता है। न जानें कौन सा सीनियारिटी का मापदंड उसने बनाया है। इस तरह से 15--16 लोग आचार्य की कुर्सी पर टर्न बाई टर्न बैठकर अपना काम चलाते रहे हैं। इसी कारण से वहां पर अव्यवस्था भी हो गई है और लड़के भी किसी मास्टर को कुर्सी पर बैठा देते है और कभी किसी मास्टर को। छात्रों में असन्तोष फैला हुआ है। हर जगह सरकार छात्रों के दमन का काम कर रही है।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि छात्रों और अध्यापकों की एक गोल मेज कांफ्रेंस बुलाकर असंतोष को समाप्त करें, उसमें विरोधी पक्ष के लोग भी हों और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के भी लोग हों ताकि गोल मेज कांन्फेस के जरिये असंतोष को समाप्त किया जा सके। क्यों छात्र आन्दोलन बढ़ता जाता है? जब छात्र अपनी मांग मनवाने की बात करते है, जब कभी टीचर्स अपनी मांग मनवाने की बात करते है तो बजाय उनकी बात मानने के सरकार उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाती है, उनको जेल भेजवाती है और तरह तरह की यातनायें देती है। लखनऊ विश्व विद्यालय में ही छात्रसंघ का चुनाव लगातार कई वर्षों से नहीं हुआ है और जब छात्रसंघ चुनाव की बात करता है तो छात्रों को जेलों में भेज दिया जाता है, उनको लाठी और डंडों से पीटा जाता है। इसलिये मैं आपके माध्यम सें माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन तमाम परिस्थितियों पर विचार करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय जिसमें इन तमाम बातों पर विचार हो जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैंने जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर जिन सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं उनका मै आभारी हूं। मान्यवर, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और इस अवसर का लाभ इसलिये उठाना चाहता हूं कि संयोग से माननीय नेता सदन भी सदन में उपस्थित हैं। यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। शिक्षा के प्रति शासन कितना जागरूक है इसका परिचय आपको इस बात से ही मिल जाना चाहिये कि इस बिल को पाइलट करने का भार मंत्रिमंडल के किस सदस्य के ऊपर है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रश्नोत्तर काल के समय भी मैंने यह प्रश्न उठाया था कि जब ग्राम्य विकास मंत्री विराजमान हैं तो उनके रहते हुए दूसरा मंत्री क्यों खड़ा हो, जिसका उस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है शासन की तरफ से उसका उत्तर शिक्षा मंत्री को ही

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

देना चाहिये और उसी को इस बिल को पाइलट करना चाहिये। आप कहते हैं कि मंत्रि-परिषद् का संयुक्त दायित्व है। जो मंत्री इसे पाइलट कर रहे हैं उनका नाम मैंने डायरी निकाल कर देखा तो पाया कि शिक्षा विभाग के सामने उनका नाम नहीं है। अब यह बात दूसरी है कि रात में पोर्टफोलियो बदल गया हो तो मैं नहीं जानता। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि कई मुद्दे थे उन पर मैं माननीय शिक्षा मंत्री का उत्तर जानना चाहता हूं कि सरकार किन बिन्दुओं पर किस लाइन पर चलना चाहती हैं।

मान्यवर, संसदीय परम्परा में यह संसदीय व्यवस्था के भी अनुकूल नहीं है कि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित किसी विषय पर चर्चा हो रही हो तो उसका जबाव देने के लिये कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाय जिसका शिक्षा विभाग से कोई सम्बन्ध न हो। लाबी में तो नहीं देखता कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा ह लेकिन मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि कोई सज्जन लाबी में शिक्षा मंत्री से मिलने आये थे, लेकिन वे नदारद थे, शिक्षा सचिव भी नदारद थे। कानून के अनुसार भी जो औचित्य का प्रश्न है उस पर विचार किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस तरह से उस विभाग के प्रति सरकार की अवमानना व निरादर का भाव प्रकट होता हैं।

मान्यवर, जिस विभाग का ताल्लुक है उसी से सम्बन्धित मंत्री को उत्तर देना चाहिये। सत्तारूढ़ दल के एक माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इस विधेयक पर विचार किया जाय। मेरा इसके लिये कोई दबाव नहीं पड़ रहा है और वर्तमान शासन भी देख रहा है कि दबाव की कोई बात नहीं है लेकिन यह उत्तर देते समय कि एक सूचना एकत्र की जा रही है, ऐसा उत्तर देते समय माननीय सदस्यों के सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिये। यह बहाना कर देना कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के विषय में कोई जानकारी नहीं है, काम नहीं चलने वाला है। किसी चीज को रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देने के मैं सख्त खिलाफ हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट न्यायालयों के भी ऐसे निर्देश हो चुके हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं होना चाहिये। लेकिन इन शब्दों के साथ मैं फिर अपनी बात पर जोर देता हूं कि कम से कम सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि ऐक्ट के अन्तर्गत जहां ऐसे इंस्टीट्यूट बनाये जायेंगे वहां अध्यापकों का प्रतिनिधित्व जरुर रखा जायेगा। यह आश्वासन देंगे। लेकिन आप तो बहुवचन हैं और सेकेन्ड, थर्ड परसन भी हैं। आप के लोग कहेंगे कि कैसे। शिक्षा मंत्री जी विराजमान हैं नहीं। आश्वासन कौन देगा। फिर भी आश्वासन शासन का है। जहां पर इन्स्टीट्यूट बनाये जायेंगे अध्यापक महासंघ से प्रतिनिधि रखे जायेंगे। इसके बारे में सरकार कोई जागरुक नहीं है, मैंने अपने भाषण में पहले भी कहा था।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं और मैं समझता हूं कि इस सदन में बैठे सब लोग जो शिक्षा की व्यवस्था के परिवर्तन में आस्था रखते हैं उनको चाहिए कि प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करें। वहां पर बैठकर विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के बारे में कोई अच्छी चीज बन सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें इस अध्यादेश और विधेयक के संबंध में आईं। मैं उनको दोहरा कर इस सदन का समय जाया नहीं करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं चाहता था कि इस बिल के बहस के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे रहते। मैं कई दिन से देख रहा हूं कि जब कोई बात आती है पहले तो इजाजत मिल जाती है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बैठ कर अपनी बात कह लीजिये और उसके बाद इजाजत मिल जाती है कि हाउस के बाहर रहें। जब जानकारी की जाती है तो कहा जाता है कि माननीय शिक्षा मंत्री बीमार हैं। यह कोई दवाखाना, हास्पिटल नहीं है। विधान सभा है। यहां किसी रोगी को न भेज कर स्वस्थ आदमी को भेंजे।

मान्यवर, जैसा कि अभी एल0 पी0 सिंह जी ने कहा कि बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सरकार की नीयत पर शुबहा नहीं कर रहे हैं। एक बात की ओर खास तौर पर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं इसलिये जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं। अभी राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि टाउन डिग्री कालेज के अन्दर 17 लाख रुपये का गबन हुआ है। हमने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया लेकिन सरकार का जबाव नहीं मिल पाया। सवाल बनाया। वह इन्सपेक्टर आफ स्कूल, बलिया के पास गया। उनके जबाव के बाद जबाव सेक्रेटरी को देना था। उन्होंने कहा हम भी लाला, शिक्षा मंत्री भी लाला है। कोई जबाव देने की जरूरत नहीं है। विधान सभा में रोज इस तरह सवाल उठते हैं। जबाव नहीं दिया। श्रीमन्, आप ने मंजूर किया था और आज तक शिक्षा मंत्री उस सवाल का जबाब नहीं दे पाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। 18 चार्ज है टाउन डिग्री कालेज पर स्पेशल आडिट के। एक आब्जेक्शन यह है कि टाउन डिग्री कालेज मैनेजमेन्ट विश्वविद्यालय से एप्रूव नहीं है। दूसरा चार्ज यह है कि जो प्राभूत जमा होता है डिग्री कालेज चलाने के लिए टाउन डिग्री कालेज में वह प्राभूत जमा नहीं है। तीसरा आब्जेक्शन यह है कि 6 लाख रुपये का ब्वाइज फण्ड। हमने पत्र लिखा माननीय मुख्य मंत्री जी को। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हम को लिखा कि आपका पत्र मिला और मैं इस पर कार्यवाही करा रहा हूं। श्रीमन्, हमने आपके माध्यम से सवाल किया कि क्या प्रश्नकर्त्ता का कोई आवेदन पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और क्या कार्यवाही की जा रही है, सदन के पटल पर रखी जाय? हाउस उठने वाला है। जबाव नहीं आया। दूसरा सवाल फिर किया कि कोई आडिट हुआ था इस कालेज का? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट क्या है वह सदन के पटल पर रखी जाय? तीन सवाल किये लेकिन यह भ्रष्ट प्रशासन और उसके सीने पर बैठे हुये शिक्षा मंत्री जबाव नहीं दे सके कि टाउन डिग्री कालेज को यह रियायत क्यों दी जा रही है। इसका कारण यही है कि यहां आप भी लाला है और टाउन डिग्री कालेज में काम करने वाले लोग भी लाला हैं इस तरह से शासन चल रहा है तो एक वर्ष इसकी अवधि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसको जनमत संग्रह के लिये भेज देना चाहिये जिससे जनता फैसला कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है। इसलिये कोई जरूरत नहीं है कि इनको एक वर्ष तक और अधिकार दिया जाय।

श्री सच्चिदानन्द—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र प्रसाद गुप्त ने इस विधेयक में अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुये यह कहा कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। दूसरी तरफ उन्होंने यह बात कही कि इस विधेयक की आवश्यकता नहीं थी और जो विश्वविद्यालय है उनकी स्वायत्तता बनाये रखने के लिये शासन कदम नहीं उठा रहा है। मान्यवर, यह उनको स्वायत्तता देने की दिशा में शासन का एक कदम है। गुप्ता जी ने नाइजीरिया को यहां से एक अध्यापक भेजे जाने के बारे में कहा कि इस तरह का कोई नियम कानपुर विश्वविद्यालय में नहीं है। इन परिनियमों में संशोधन करने के लिये और पूरे प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें जो भी नियम बनें उनमें एकरुपता रहे, इसलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। दूसरी तरफ शासन द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। विधान परिषद की एक प्रवर समिति है, उसके भी इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव आये हैं उन सब पर विचार करने के लिये और शासन की मंशा भी है कि हम 31 दिसम्बर

[श्री सच्चिदानन्द]

1982 तक ऐसे परिनियम बना दें जिससे सारे विश्वविद्यालयों में उनके परिनियमों मेंएक-रुपता रहे और उसको बनाये रखने के लिये ही इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे। यह ठीक है कि उनके इस सम्बन्ध में जो जो विचार हैं, जो सुझाव है, वे हमें दें ताकि उन पर भी विचार कर लें और एक साथ हम एक नये रूप में उसे यहां पर प्रस्तुत कर सकें। साथ ही जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन है उसके सुझाव भी शीघ्र ही हमें मिल जायेंगे कि अध्यापकों की अर्हतायें क्या हों, इन सारी चीजों का समावेश हम इसमें कर सकेंगे ताकि विश्वविद्यालय परिनियमों के साथ बाधक न बन सकें। इसी विचार से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मुझे विश्वास ह कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गुप्ता जी, आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और निवेदन किया था कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी को यहां पर होना चाहिए। मैं उनसे उम्मीद करता था कि वे संसदीय पद्धति का और उसकी भावना का आदर करेंगे लेकिन वे भी प्रशासनिक कार्य में उलझे रहे और वे समझ नहीं पाये। इन सब बातों से प्रभावित अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत संग्रह के लिए एक माह तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर खंडशः विचार होगा।

खण्ड 2, 3, 4

(2) धारा 2, 3 और 4 के उपबन्ध 29 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन, 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन, 1973 की धारा 50 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1-क) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिए जायेंगे, और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिए जायेंगे।

धारा 73 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (1) में, उसके परन्तुक में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिए जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन्, 1974 की धारा 28 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 में, उपधारा (1) में, उसके परन्तुक में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर 1982" रख दिए जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 5, खंड 1, प्रस्तावना एतं शीर्षक

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन, 1982

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या धारा 4 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन) तथा संशोधन अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1982 कहा जायेगा ।

श्री खानगुफरान जहिरी—

माननीय, मैं अपनी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 5 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाय

निरसन और अपवाद

"5(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या धारा 4 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 1982

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मन्त्री जी, क्या आपको यह संशोधन स्वीकार है ?

श्री सच्चिदानन्द—

स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 5 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय—

निरसन और अपवाद

"5(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या धारा 4 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 1982

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 5, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 यथा संशोधित पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९८२ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर स्वायत शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९८२ में विधान परिषद द्वारा किए गये संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव

(3 बजकर 15 मिनट)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर स्वायत शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, इसके पहले जो शिक्षा सम्बन्धी विधेयक था, उस अध्यादेश का भी अननुमोदन करने का संकल्प मैंने प्रस्तुत किया था। उसमें मैंने यह आरोप लगाया था कि वर्तमान सरकार, जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन्स हैं, जो परम्परायें हैं, उनका पूरी तरह से अनादर करने पर और उन्हें ध्वस्त करने पर तुली हुई है। यह शासन का अपना मामला है कि वह कहां कौन संशोधन करती है और कौन नहीं करती है। उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह सैद्धांतिक बात है कि आर्डीनेंस के माध्यम से कौन सी बातें सामने आयीं ? जिनमें टैक्सेशन मेजर है या जनता के मौलिक अधिकारों पर अपना असर डालने वाले विधेयक भी, क्या हम अध्यादेश के माध्यम से लायेंगे ? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। यह जो अध्यादेश पेश है हमारे सामने, संविधान के अन्तर्गत लोकल बाडीज में हमें मतदान करने का अधिकार है, उसमें परिवर्तन करने का इसमें मामला निहित है। यदि शासन समझता था, तो वह समय पर विधेयक लाकर इस सदन से उसे पास करा सकता था।आप इसके उद्देश्य और कारण को देखें, इसमें यह स्पष्ट है, इस समय सत्र नहीं हो रहा है इसलिए ले आये। लेकिन जो पास कर रहे हैं उसको आप लागू करेंगे 4 जनवरी से यानी भूतलक्षित प्रभाव से । मैं इसका सिद्धान्तत: विरोध करता हूं। आपके पास, आपके राज्यपाल के पास व्यवस्थापिका की शक्ति थी। वह आपके सुझाव पर निर्भर है। आप उनको इस बारे में सलाह देते, आप उनको यह सलाह दे देते कि वह कर दें तो वह कर देते। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मैं दो एक सुझाव भी इस अवसर का लाभ उठा कर यहां पर देना चाहता हूं। नेता सदन इसको देखें और भविष्य के लिए वह इस सदन को आश्वासन दें कि केवल काम चलाऊ मामला ही अर्डीनेंस के रूप में आगे से सदन में लायेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण मामले हैं, लेकिन जो टैक्सेशन मेजर के मामले या जनता के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामले हैं, वह कदापि भी आर्डीनेंस के माध्यम से नहीं आयेंगे। इस सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि या तो सरकार स्वयं ही अनिश्चितता की स्थिति में रही होगी या सरकार के सचिवों ने उसे सही समय-अवसर पर सुझाया नहीं होगा। यदि सरकार अनिश्चितता की स्थिति में रही है तो वह भी उसके लिए निन्दा की बात है और यदि सचिवों ने समय पर सलाह नहीं दी तो भी वह ठीक बात नहीं है और उस से यह परिलक्षित होता है कि नौकरशाही पर इस सरकार की पकड़ शिथिल हो गई है। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि महापालिकाओं के मेयर इनडायरेक्ट चुनाव के द्वारा हुआ करेंगे।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

मैंने प्रवर समिति में भेजने की बात इसलिए कही थी कि शायद सदन में यह चीज आ जाय कि इस चीज के पहले जो महापालिका अधिनियम है उसमें परिवर्तन होगा कि मेयर कार्यकारिणी का अध्यक्ष होगा जो जनता से डायरेक्ट चुना हुआ व्यक्ति होगा, वह मुख्य स्थान पर बिठाया जायगा। आपने यह तो कर दिया कि वह इंडायरेक्ट रूप से चुना जायगा, कार्यकारिणी में तो अध्यक्ष वही होगा। इस प्रकार एक इंडायरेक्ट चुना हुआ व्यक्ति अब एक्जीक्यूटिव कार्यों की प्रमुखता करेगा। आपने मेयर को हटा दिया इंडायरेक्ट उसे कर दिया। नगरपालिका की यह स्थिति है कि एक लाख से ऊपर की आबादी वाले के लिए आपने यह एक नीति बना दी है और उससे कम आबादी वाली नगरपालिकाओं में आपकी दूसरी नीति रहेगी। मैं समझता हूं कि इसको बदलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यदि बदला है तो उसमें और कौन-कौन अनुषांगिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इस पर आप को ध्यान देना था और उसे करना चाहिए था। जैसे आपने एलेक्शन की व्यवस्था कर दी। यह जो डिपार्टमेंटल ऐक्शन होते हैं, उसमें डिपार्टमेंटल कार्यों की अपेक्षा एलेक्शन के माध्यम से जो होते हैं उसमें ज्यादा असर होता है।

मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि लोकल बाडीज का जो चुनाव हो वह भी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से होना चाहिए। हम यह भी कह सकते हैं कि आप सरकार को लिखें, संशोधन भेजें और पार्टी मीटिंग में तय करें कि इनके चुनाव भी इलेक्शन कमीशन के परव्यू में होने चाहिए, दूसरा सुझाव यह भी है कि अगर कोई भी महापालिका, नगर पालिका को यदि भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने में उसका निर्वाचन करा दिया जाना चाहिए। आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और हम आपके ऊपर। हम नहीं चाहते हैं कि हम इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहें। आप नियमों में व्यवस्था करें कि अगर किसी महापालिका या नगरपालिका को किसी कारण से भंग करना हो तो 6 महीने में उसका चुनाव अवश्य करवा दिया जायेगा। वहां पर जो जन प्रतिनधि काम कर रहे होंगें, हो सकता है उनमें कोई कमी होने के कारण उस नगर पालिका को भंग किया गया हो। यह पोलिटिकल डिसिजन नहीं होना चाहिए। आज के प्रजातन्त्र में बहुमत पार्टी की सरकार होती है और जब हम मन्त्रि परिषद् में शपथ लेते हैं तो कहा जाता है कि हम राग और द्वेष् से परे होकर काम करेंगे लेकिन जो हमारी नीति परिलक्षित हो वह नियमों में होनी चाहिए। अगर किसी में चार्जशीट लगी हो तो कहीं पर जुडीशियल प्रोसेस अवश्य आना चाहिए। कोई कमेटी बनेगी जो उसकी व्यवस्था देखगी। जब पानी सिर से ऊपर पहुंच जायगा तब आप बोर्ड को भंग करेंगे। तो अगर 6 महीनों में फिर चुनाव नहीं होता है तो स्थिति सुव्यवस्थित न होगी। तो ये 2–3 बातें हैं जिन मुद्दों पर फिर से विचार करना आवश्यक है। स्थानीय निकायों को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है अत: इन चन्द बातों के साथ मैं अपने प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं। जहां 4 जनवरी से लागू होने की बात है इसमें 15 दिन या एक महीने की और डिले हो सकती है। हम इस पर अपनी सहमति भूतपरिलक्षित प्रभाव (रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट) से दे देंगे। इसमें पेटीशन की क्या व्यवस्था होगी, जिला जज नामिनेट किसको करेगा, नियमों में इसकी साफ-साफ व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारी हरिजनों की सीट्स हैं, उनकी क्या व्यवस्था होगी, इन सब बातों पर विचार करने के लिए मैं पुन: यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि इसे प्रवर समिति के विचारार्थ भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह संशोधन प्रवर समिति में भेजने के लिए नहीं आया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, ठीक है, मैंने अध्यादेश के अननुमोदन के संकल्प को लाकर कुछ सुझाव दिए हैं।

नगर विकास मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधन पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस पर पहले विधान सभा में काफी चर्चा की जा चुकी है और यह पहले पारित भी हो चुका है और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो बातें रखी थीं उनका उत्तर भी मैंने दे दिया था। एक छोटा सा संशोधन विधान परिषद् में रखा गया है, जो वहां पर स्वीकार हुआ है। वह वहां से सहमति के लिए आया है। यह बहुत छोटा सा संशोधन है, जिस पर विचार करना होगा तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार कर लें।

श्री गौरी शंकर मैय्या—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा यह लौट कर यहां पर आया है। जब पहले यह सदन में रखा गया था तो इसको प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव किया गया था लेकिन इस समय यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है। इसको आधार मानकर मैं चन्द बातें निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमन, यह मामला पहले यहां पर विधान सभा में आया था तो उस समय भी हमने इसे प्रवर समिति में भेजने की बात कही थी, पर चूंकि विरोध पक्ष की वह मांग थी सरकार ने उसे नहीं माना और अपर हाउस में जब यह गया तो वहां प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित हो गया.....

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

विधान परिषद् में प्रवर समिति में भेजने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया जो संशोधन है उसी तक अपने को सीमित रखें।

श्री गौरी शंकर मैय्या—

मान्यवर, पहले अगर यह प्रवर समिति में भेज दिया जाता तो यह संशोधन जो विधान परिषद् में पारित हुआ यह वहां करने की जरूरत ही न पड़ती।

मान्यवर, इन नगरपालिकाओं को जो अनुदान दिया जाता है, उनके सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है। जिसको यह सरकार जितना चाहती है, उतना देती है। किसी को एक हजार, किसी को 4 हजार, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। कहीं-कहीं के तो दो-दो मन्त्री हैं, वहां अधिक मिल जाता है, हम विरोध पक्ष के लोग जहां से चुनकर आते ह वहां कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कुम्भ मेले के नाम पर, तो कभी किसी मृत संस्था को जीवित करने के नाम पर, तो कभी किसी चीज पर यह सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देती है, पर यह जो नगरपालिकायें हैं उनकी मूल आवश्यकता पूरी करने के लिए यह सरकार पैसा नहीं देती है।

श्री उपाध्यक्ष—

फील्ड ओपेन नहीं है, आप कृपया संशोधन तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री गौरीशंकर मैय्या—

मैं अननुमोदन पर ही बोल रहा हू। इस संशोधन के जरिए यह इसे पिछली तारीख से करने जा रहे हैं ताकि इनके अधिकारियों ने जो जो काम गलत कर रखे हैं वे सब सही किए जा सकें...

श्री उपाध्यक्ष--

आप परिधि के बाहर जा रहे हैं। आप कृपया संशोधन देखें।

श्री गौरीशंकर भैय्या--

संशोधन यही है "ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट किसी मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमो के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।" यही तो है मान्यवर, इसमें। इसी पर मैं निवेदन कर रहा था श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष--

आर्डिनेंस के निरसन के सम्बन्ध में है।

श्री गौरीशंकर भैय्या--

जी हां, इसीलिए में निवेदन कर रहा था श्रीमन, कि आज वह हम पास कर देंगे। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं श्रीमन, कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन बिधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करे। इसलिए मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूं, जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर) --

श्रीमन, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक लाख से ऊपर की आबादी वाली नगरपालिका तथा नगर महापालिका में इनडायरेक्ट चुनाव होंगे, मानो पूंजीपतियों के हाथ में उन संस्थाओं की सत्ता चली जाय, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन् करते हुए यह संशोधन रखा गया। मान्यवर, जब एक प्रथा चुनाव की रखी गयी है, तो क्या जरूरत है कि उसमें जो सदस्य चुने जायेंगे, वह भी उस म्यूनिसिपैलिटी के या महा-पालिका के अध्यक्ष चुने। मान्यवर, उसमें खरीद और फरोख्त होती है। मेम्बरों को खरीदा जाता ह। जो पूंजीपति होता है, वही उसका अध्यक्ष बनता है। 20-20 वर्ष हो गये हैं नगरपालिकाओं के चुनाव के, मान्यवर, ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, जो उनके मन में आता है, वही करते हैं। एक परगनाधिकारी हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बलवीर सिंह जी, आप भी परिधि के बाहर जा रहे हैं।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, अगर आप कहते हैं तो हम नहीं बोलते हैं। मान्यवर, जो अननुमोदन रखा है, उसी पर मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, आज जो यह संशोधन रखा गया है, वह 4 जनवरी से लागू किए जाने के बारे में रखा गया है, कि वह 4 जनवरी से लागू माना जाय। मान्यवर, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गयी थी, क्या मन्त्री जी लोग इस पर विचार नहीं करते, देखते नहीं हैं, केवल अफसरों के आधार पर ही सब चीज रखी गयी हैं, मन्त्रि मण्डल को कोई चीज मालूम ही नहीं होती है चीजों की मियाद खत्म हो रही है, क्य हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या ऐसी हालत में इस सरकार को चला पायेंगे? ऐसा तो समझ में आता नहीं। मन्त्रि मण्डल के सामने जो भी अफसर चीज रख देते हैं, वही सदन में आ जाता है। क्या वजह है कि 15 जनवरी से यहां सदन बैठा हुआ, है नहीं रखा गया? मान्यवर, जैसे गौरी भैय्या ने बताया कि कुछ चीजें ऐसी पारित कर दी गयीं हैं, जिसके कारण इसको पिछली 4 जनवरी से लागू किया जाना है। मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह जो इनडायरेक्टर चुनाव की प्रथा संशोधन में रखा है, उसको वापस लीजिए और जो संशोधन हमारे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल——

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस पर पूरा विचार-विमर्श पहले हो चुका है। जैसा माननीय बलवीर सिंह ने कहा है कि इस पर खरीद-फरोख्त होगी, थोड़े दिन पहले देश में यह विचारधारा हुई थी कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट करा दिया जाय। उस समय यह कह रहे थे कि देश में डिक्टेटरशिप लगने जा रही है। अब एक साधारण सा संशोधन हमने रख दिया जिससे लोगों को सुविधा हो और ठीक से चुनाव हो जाय, एड-मिनिस्ट्रेटर नियुक्त इन्होंने किया जनतन्त्र का गला इन्होंने घोंटा, दोषारोपण हम पर करते हैं। आज मुख्य मन्त्री जी ने ऐलान किया कि प्रदेश में जितनी भी इकाइयां हैं उनकी चुनाव प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है हम चुनाव कराने जा रहे हैं। मान्यवर, नगरपालिका चुनाव करायें तो इनको आपत्ति हम अच्छा काम करें तो इनको आपत्ति। हम जो भी काम करें उसमें इनको आपत्ति है। मैं अनुरोध करता हूं कि विधान परिषद् ने जो संशोधन करके भेजा है उस पर यह सदन अपनी सहमति दे।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह ह कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(खण्ड 24)

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 24 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात्——

"24-(1) उत्तर प्रदेश नगर स्वाश्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1982

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट किसी मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्य-वाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

निरसन और अपवा

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्री कृष्ण गोयल——

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किए गये संशोधन से सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधन से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 10 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जो सभी अस्वीकृत की गयीं।

इलाहाबाद शहर की दारागंज पुलिस द्वारा श्री पुरुषोत्तम निषाद के परिवार को पिटाई तथा सर्वदलीय सभा पर लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26 फरवरी, 1982 को यह जानकारी होने पर कि थाना दारागंज, जनपद इलाहाबाद में धारा 324 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग का नामांकन अभियुक्त लल्ला पुत्र तेजई अपने साथी सन्तोष पुत्र स्व0 पुरुषोत्तम निषाद के घर मौजूद है, उप निरीक्षक श्री प्रभुनाथ पाण्डेय पुलिस दल सहित उसी दिन अभियुक्त की तलाश हेतु उक्त मकान पर गये लेकिन अभियुक्त नहीं मिला। उप निरीक्षक श्री प्रभुनाथ पाण्डेय द्वारा उक्त परिवार को मारने-पीटने व लूटने के आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए। यह सत्य है कि भू0पू0 मन्त्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय अपने कुछ साथियों सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहबाद से उपर्युक्त मामले के सम्बन्ध में मिले थे जिन्होंने मामले कीजांच करवा कर दोषी पुलिसजन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया था। चंकि जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई अतः किसी पुलिसजन के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है।

तत्पश्चात दिनांक 14–3–82 को विपक्षी दलों के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा 'दारागंज बन्द" का आह्वान किया गया। आयोजकों ने दारागंज क्षेत्र में दूकानें बन्द कराने का प्रयास किया, फलस्वरूप कुछ दूकानें बन्द भी हो गयीं किन्तु लगभग 11 बजे दूकानें पुनः खुल गयीं। इस प्रकार 'दारागंज बन्द' सफल नहीं हो सका। उसी तिथि को साय.-काल श्री सत्य प्रकाश मालवीय की अध्यक्षता में दारागंज में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 100 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा में उत्तेजनात्मक भाषण दिए गये इसी बीच परिवहन निगम की एक बस को भीड़ के कुछ व्यक्तियों ने घेर कर रोक लिया। राजकीय सम्पत्ति की क्षति की सम्भावना को देखते हुए निकट उपस्थित पुलिस ने इन व्यक्तियों को हटाकर बस को सुरक्षित वहां से आगे बढ़ा दिया। जांच से पुलिस द्वारा जन सभा में लाठी चार्ज किये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ और न किसी व्यक्ति को चोट लगने की जानकारी प्राप्त हुई है। स्थानीय पुलिस द्वारा श्री सत्य नारायण तिवारी, सदस्य, लोकदल को जान से मारने की चेंष्टा करने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। इलाहाबाद नगर में किसी प्रकार का आतंक नहीं है और स्थिति सामान्य है।

प्रदेश के स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों ने अपनी कतिपय मांगों के सम्बन्ध में 15–3–82 से विधान भवन के समक्ष अनशन और धरने का कार्यक्रम आरम्भ किया जो 19–3–82 को समाप्त हो गया है। शिक्षकों की प्रमुख मांगें महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों की संवैधानिक संगठन बनाए जाने, शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों एवं डिमांस्ट्रेटरों को प्रवक्ता वेतनमान दिए जाने, त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स भी कालेजों से समान रूप से एक साथ किए जाने, सभी शिक्षकों को समयबद्ध प्रोन्नति दिये जाने, रु0 500 प्रति माह की अंतरिम सहायता स्वीकृत करने, लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के

अन्तर्गत नियुक्त प्रतिस्थानी शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति दिए जाने तथा विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों में संशोधन हेतु महासंघ के सुझावों को सम्मिलित करने की थी।

(इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दिनांक 27-2-82 को शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से शिक्षा सचिव की वार्ता उक्त मांगों के सम्बन्ध में हुई थी। शासन द्वारा शिक्षकों की समस्याओं पर सदैव ही सहानुभूति-पूर्वक विचार करके सीमित साधनों के अन्तर्गत हर सम्भव सुविधा देने का प्रयास किया गया है। महाविद्यालयों के शिक्षकों को/विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को अनुमन्य दरों पर अंशदाई भविष्य निधि की सुविधा तथा राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य दरों पर पेंशन एवं जी0 पी0एफ0 की सुविधा स्वीकृत की जा चुकी है। शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों/सहायक अधीक्षकों को रु0 700-1600 का वेतनमान तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों को मकान किराए भत्ते की सुविधा भी स्वीकृत की जा चुकी है। परीक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों की पारिश्रमिक दरों को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में समान करने के आदेश दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रवक्ता वेतनमान रु0 700-1600 में रु0 1300 के स्तर पर लगाए गये मूल्यांकन को कतिपय शर्तों के अधीन समाप्त करके वेतनमान विश्वविद्यालय के प्रवक्ताओं के समान किए जा चुके हैं।

3—प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत डिमान्सट्रेटर्स कार्टोग्राफर्स को प्रवक्ता का वेतनमान दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। महाविद्यालय के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति डेथ-कम-रिटायर्मेंट ग्रेच्युटी दिये जाने पर भी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों में आवश्यक संशोधन विचाराधीन है। लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ करने के प्रकरण हर विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समिति विचार करेगी।

4—मेरा सदैव यह प्रयास रहा है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान आपसी विचार-विमर्श द्वारा किया जाय। इस हेतु शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक समस्या निवारण समिति का भी गठन किया गया है जिसकी आगामी बैठक 16-4-82 को बुलाई गयी है। इस बैठक में शिक्षकों की सभी समस्याओं पर विस्तार से विचार करके उनके समाधान का प्रयास किया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, अध्यापकों की डिमान्ड्स वगैरह के बारे में अभी मन्त्री जी ने काफी बड़ा वक्तव्य पढ़ा। मन्त्री जी ने कहा कि वार्ता भी चल रही है। तो क्या सरकार वार्ता में शिक्षकों को यह बतायेगी कि वह अपने कार्य के पालन में इस तरह का आचरण दिखाएं कि बच्चों को ट्यूशन न पढ़ना पड़े और वह बच्चों के भविष्य बनाने के जिम्मेदार हैं? इस इस सम्बन्धमें क्या कुछ बातचीत करेंगे?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो शासन की तरफ से उनके उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में भी निवेदन किया जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो ब्यान दिया उसमें उनकी मांगों को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो वह मांगें हैं जो स्वीकार हो गयी हैं और दूसरी वह मांगें हैं जिनके बारे में विचार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मांगें स्वीकार हो गयी हैं उनके कार्यान्वयन के लिए राजाज्ञा या निर्देश जारी किए गये तो उनकी तिथियां क्या हैं। जो मांगें विचाराधीन हैं तो क्या उनको सिद्धान्तः स्वीकर कर लिया गया है या उन मांगों के औचित्य के बारे में मामला विचाराधीन है?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, जो दूसरा प्रश्न किया गया है उस सम्बन्ध में निवेदन है कि मांगों पर विचार किया जा रहा है, सम्भव है या नहीं, तो विचार करने के उपरान्त ही कोई चीज कही जा सकती है। एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि वर्तमान शासन अध्यापकों के हित चिन्तन में सतत तत्पर है। दिनांक 31-3-82 के शासनादेश द्वारा प्राइमरी से डिग्री कालेज तक के शिक्षकों को फेमिली पेंशन देने का शासनादेश लागू कर दिया गया है। मान्यवर, 19 मार्च, 82 को सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालयों (गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा शासकीय दोनों में) कार्यरत सहायक शारीरिक शिक्षा अधीक्षक/शारीरिक शिक्षा अधीक्षक/निर्देशक के पदनाम तथा वेतनमान के पुनरीक्षण का शासनादेश हो चुका है। इसी प्रकार 13 अक्तूबर, 81 को अशासकीय सहायता प्राप्त सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में शासनादेश हो चुका है। इसी प्रकार से 28 अप्रैल, 80 को गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की पेंशन तथा भविष्य निधि की दरों का पुनरीक्षण किया गया है।

मान्यवर, 14 मई, 1981 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों तथा गैर शासकीय कालेजों के शिक्षकों के लिए स्वीकृत वेतनमानों को प्रदेश में लागू करने के लिए शासनादेश हो चुका है। इसी प्रकार से दिनांक 3 जुलाई, 81 को शिक्षकों को परीक्षा कार्य के लिए पारिश्रमिक देने के लिए शासनादेश हो चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मा0 मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यू0जी0सी0 की कमेटी की जो संस्तुति थी, जिसमें यह कहा गया था कि डिमांस्ट्रेटर्स की नियुक्ति बन्द कर दी जाय और उनको प्रवक्ता का वेतनमान दे दिया जाय, तो पहली बात तो मान ली कि डिमांस्ट्रेटर्स की नियुक्ति बन्द कर दी, लेकिन दूसरी बात उन्हें प्रवक्ता का वेतनक्रम न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द—

मैंने निवेदन किया कि इस वर्तमान शासन ने शिक्षकों के हित-चिंतन का ही ध्यान सर्वोपरि रखा है। इस सम्बन्ध में शासनादेश 19 मार्च, 1982 का है, उसमें सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालयों (गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा शासकीय दोनों में) कार्यरत सहायक शारीरिक अधीक्षक/शारीरिक शिक्षा अधीक्षक/निदेशक के पदनाम तथा वेतनमान का पुनरीक्षण किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने यह पूछा था कि आप शिक्षकों का हित चिन्तन कर रहे हैं, तो जो डिमान्सट्रेटर्स हैं, उनके विषय में यू0जी0सी0 की कमेटी ने कहा था कि इसको प्रवक्ता का वेतनमान दे दीजिए, तो इसको रोक क्यों दिया ? वेतनमान अभी तक न देने का क्या कारण है ? अगर कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार की तो जो अंश शासन के हित में था, उसे मान लिया, परन्तु जो शिक्षकों के हित में था उसे क्यों नहीं माना ?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर यह जो शासनादेश है इसमें लिखा है कि विशिष्ट परिस्थितियों में उपर्युक्त संस्थाओं में कार्यरत उक्त कर्मचारियों को प्रवक्ता का पदनाम तथा प्रवक्ता पद हेतु स्वीकृत वेतनमान स्वीकृत किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह जो विचाराधीन मांगें हैं, उसमें एक यह है कि लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने के प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति विचार करेगी। तो इसमें कोई आपत्ति मार तो है नहीं, फिर इसे तत्काल स्वीकृत न करने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द—

जो-जो सुझाव माननीय सदस्य देना चाहें, दे दें, निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे।

बस्ती के दरोगा श्री जयपथनाथ के निलम्बन तथा विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सुरक्षा के सम्बन्ध में मांगी गयी जानकारी पर गृह मन्त्री द्वारा सूचना

श्री अध्यक्ष—

मा0 गृह मन्त्री को सूचना देनी थी, क्या वे सूचना देना चाहेंगी ?

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां, मान्यवर। आपने एक सूचना मांगी थी, तो उस सम्बन्ध में सूचित करना है कि बस्ती के थानेदार जयपथ नाथ का सस्पेंशन हो चुका है और दूसरी यह सूचना मांगी थी आपने कि मा0 विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डे जी की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया है....

श्री रियासत हुसैन—

माननीया मन्त्री जी बता रही हैं कि यह सस्पेंशन 1—4—82 को हुआ है, तो यह कहीं 'अप्रैल फूल' वाली सूचना तो नहीं है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं आपको सूचना दे रही हूं।

दूसरी आपने आदेश दिया था सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या इन्तजाम किया गया है, तो 29—3—82 को रेडियोग्राम डी0आई0जी0 (पुलिस) हेडक्वार्टर्स को भेज दिया गया था, जिसकी प्रतिलिपि डी0आई0जी0 गोरखपुर रेंज को भी भेजी गयी थी कि एडेक्वेट सिक्यूरिटी अरेंजमेन्ट कर दिया जाय, वह कर दिया गया है। माता प्रसाद जी का जो पत्र आया था उसमें यह लिखा था कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाय, वह सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए वहां पर निदेश दे दिए गये हैं। अब किस प्रकार की वह सुरक्षा की व्यवस्था चाहते हैं, वह शैडो चाहते हैं, या और कोई उनका सजेशन या सुझाव हो इस सम्बन्ध में हमारे विधायक महोदय का, तो वह बताने की कृपा करें, उनके सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, आपत्ति यह थी कि जैसा आपने ऐलान किया था कि वह दरोगा सस्पेंड कर दिया जायेगा, दिन में यह बात चली थी कि उसके सस्पेंशन के अमल में एक्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ ? 29 तारीख के आदेश थे और विधायक महोदय को शैडो आज मिल गया है। दूसरे आपने पहली तारीख को आदेश कर दिया है पर उसकी अमल-दरामद आज तक नहीं हुई है, यह देरी क्यों हुई है ? क्या जमानत है इस बात की कि वह सस्पेंड हुआ ही है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कहा है कि 1—4—82 को वह सस्पेंड हो गया है। शैडो मिल जाने से माता प्रसाद जी की सुरक्षा का प्रबन्ध हो गया है। दोनों बात हो तो गयी हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं केवल एक सफाई चाहता हूं कि 22 तारीख को सदन में चर्चा हुई थी। आज जब पूर्व प्रहर में माननीय गृह मन्त्री बयान दे रही थीं तो उन्होंने बताया कि 24 तारीख को टेलीफोन कर दिया गया और 29 तारीख को लिखित भेज दिया गया।

हमारे मन में अब भी यह है कि यह बात हम लोगों को और सदन को गुमराह करने के लिए कही गयी है। आपने उस समय कहा था कि सब बातें उत्तर में आ जायेंगी तो.

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

माननीय मन्त्री जी इसकी सफाई दे दें कि 24 तारीख को जो टेलीफोन पर आदेश हुए तो वह आदेश किस अथारिटी ने दिए थे कि उसे सस्पेंड कर दें? दूसरे 29 तारीख को किसने किसको लिखा। 24 तारीख को किस व्यक्ति ने किसको टेलीफोन किया उसे सस्पेंड करने के लिए और 29 तारीख को किसने किसको चिट्ठी लिखी?

श्री अध्यक्ष—

जिस भावना को लेकर प्रश्न उठाया गया था उसमें मुख्य बात यह थी कि जो घोषणा यहां की गयी थी उसका कार्यान्वयन हुआ या नहीं? विधायक की सुरक्षा का प्रबन्ध हुआ या नहीं। तो घोषणा हो गयी कि वह सस्पेंड कर दिया गया है और विधायक की सुरक्षा का भी प्रबन्ध हो गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो यहां चर्चा हुई थी उसका पालन क्यों नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष—

दोनों बातें हो तो गयी हैं?

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में जो सूचना दी गई थी उसकी क्या स्थिति है?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, सरकारी कर्मचारियों का जहां तक सम्बन्ध है, सरकार वार्ता-लाप के माध्यम से सतत् प्रयास करती रही है कि उनकी समस्याओं का निदान किया जाय। सरकारी कर्मचारियों को अपना अंग मानकर जहां तक उनके वेतनमान और उनकी सुविधाओं को देने का प्रश्न है, जहां पर उनकी प्रोन्नति की सुविधा नहीं थी, उनकी प्रोन्नति में वृद्धि की गयी है। इसका परिणाम यह है कि पे-कमीशन ने 71 करोड़ की संस्तुति की थी वहीं पर लगभग 25 करोड़ रुपए और सरकार सरकारी कर्मचारियों पर जिसमें निकाय के कर्मचारी भी शामिल हैं और अध्यापक भी हैं, सब मिलाकर खर्च हो रहा है। जो वर्तमान हड़ताल है मान्यवर, जो भावनाएं सरकार की रही हैं उसको देखते हुए उनको अपनी हड़ताल वापस कर लेनी चाहिए और जनसेवा में उनको लगना चाहिए, ऐसी मेरी उनसे आशा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हम लोगों ने जो बात कार्य स्थगन के माध्यम से उठाई थी कि राज्य कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की है। जब तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं होता है तब तक कोई काम जनसेवा का नहीं हो सकता है और शासन का सम्पूर्ण काम पैरालाइज्ड हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस हड़ताल को वापस हो जाना चाहिए। उनकी मांगों के बारे में शासन ने कोई विचार किया है? कौन-कौन सी मांगें स्वीकार कर ली गयी हैं और कौन-कौन विचाराधीन हैं और कौन-कौन बिल्कुल स्वीकार करने वाली नहीं हैं? उनके प्रतिनिधियों से वार्ता हुई? जब वार्ता होगी तभी स्थिति साफ हो सकेगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, कई एक मांगें दी थीं उन पर विचार करके निर्णय लिया गया है और मांगें एक चीज हैं उन पर विचार करके निर्णय लेना एक चीज है और अनुशासन एक चीज है। जहां तक न्याय देने की बात है, चाहे मांगें आवें या न आवें, शासन उसके लिए कटिबद्ध है।

(तालियां)

लेकिन जहां तक अनुशासन की बात है, उस दृष्टि से उसको देखना है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के लिए सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना देनी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए 5 सदस्यों तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि 5 अप्रैल, 1982 नियत की गयी है।

उक्त दोनों विश्वविद्यालय की सभाओं के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 7 अप्रैल, 1982 के स्थान पर दिनांक 4 मई, 1982 को रखे जाने के सम्बन्ध में दलों के नेताओं की प्रार्थना पर अब उक्त दोनों विश्वविद्यालयों की सभाओं के लिए निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि दिनांक 4 मई, 1982 नियत की गयी है। तदनुसार अब उक्त विश्वविद्यालय की सभाओं के निर्वाचन हेतु मतदान 4 मई, 1982 को पूर्वाह्न 11 बजे 4 बजे सायंकाल तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं माननीय सदन के समक्ष आज दिनांक 5 अप्रैल, 1982 को प्रश्नोत्तर काल में लगभग 11.55 बजे सभा मण्डप की दर्शक दीर्घा नं0 2 से एक व्यक्ति ने सदन में पर्चे फेंके और नारे लगा कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उपत्न्न किया था। इस सम्बन्ध में मार्शल ने जो रिपोर्ट दी है, वह इस प्रकार है—

आज दिनांक 5 अप्रैल, 1982 को प्रश्नोत्तर काल में पूर्वाह्न लगभग 11.55 बजे सभा मण्डप की दर्शक दीर्घा नं0 2 से एक व्यक्ति ने, जोकि अपना नाम नक्छेद भारती बतलाता है जिसके पास से दर्शक दीर्घा की पहली पारी का दिनांक 5—4—82 का प्रवेश-पत्र संख्या 6224 श्री नक्छेद भारती (जिला वाराणसी) के नाम का श्री मसरूर जाफरी सदस्य, विधान सभा द्वारा जारी कराया गया, प्रवेश-पत्र प्राप्त हुआ है—उसने उक्त दीर्घा से 'इंकलाब जिन्दाबाद' के नारे लगाए और नीचे सदन में कुछ पर्चे फेंके जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ। दीर्घा में तैनात रक्षकों ने बीच पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया और उसे अपने कब्जे में करके नीचे ले आए। वह व्यक्ति उस समय से मार्शल की हिरासत में बैठाया हुआ है। उस व्यक्ति के पास से प्राप्त हुआ प्रवेश पत्र संख्या 6224 दिनांक 5—4—82 तथा फेंके हुए पर्ची की दो प्रतियां संलग्न हैं।

उक्त व्यक्ति पूर्वाह्न लगभग 11.55 बजे से मार्शल की अभिरक्षा में है। उक्त व्यक्ति ने सदन में पर्चे फेंक कर तथा नार लगा कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया और सदन का अवमान किया। यह कार्यवाही सदन के प्रत्यक्ष हुई है और इस प्रकार सदन का अवमान किया। यह कार्यवाही सदन के प्रत्यक्ष हुई है और इस प्रकार सदन इस पर कार्यवाही करने में सक्षम है।

यह घटना यहां सदन के समक्ष हुई और बहुत अशोभनीय घटना है। दर्शक दीर्घा में बैठकर ऐसी बात कर देने से सदन की कार्यवाही में तो व्यवधान होता ही है, लेकिन ऐसी बातों को नजरन्दाज करना ज्यादा मुनासिब होगा। अतः यदि सदन सहमत हो तो उक्त व्यक्ति मार्शल की अभिरक्षा में जितनी देर रह चुका है, उसे उसके अपराध का पर्याप्त दण्ड मान कर रिहा कर दिया जाये।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, श्री मसरूर जाफरी साहब का यह कहना है कि उन्होंने यह पास नहीं बनाया है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष—

मसरूर जाफरी साहब ने अपना एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उन्हों ने पास नहीं बनाया। उन्होंने जो पास बनाया है वह अर्जुन सत्तार का है, जो कापी नं0 1 लाख 8 हजार 101 से लिया गया था। इसपर हम जांच करायेंगे कि उनका नाम सही है या गलत है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

उस वक्त गार्ड ने थप्पड़ मारे हैं, यह ताकीद हो जानी चाहिए आपकी तरफ से कि इस तरह से किसी को वहां पर मारा पीटा न जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसमें मार्शल की रिपोर्ट है कि दीर्घा में तैनात रक्षकों ने बीच पंक्ति में बैठ उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया और उसे अपने कब्जे में करके नीचे ले गए। अब यह कब्जे में करने की प्रक्रिया में कोई घटना अगर घटी है तो घटी होगी। यह घटना सदन के समक्ष हुई और बहुत ही अशोभनीय घटना है किन्तु ऐसी बातों को नजरन्दाज करना ज्यादा मुनासिब होगा। अब इतनी देर वह मार्शल की हिरासत में रह चुका है, उसे उसके अपराध का पर्याप्त दण्ड मान कर रिहा कर दिया जाय।

(किसी ने आपत्ति नहीं की।)

बजट सत्र के सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त होने पर मुख्य मन्त्री व अन्य सदस्यों तथा श्री अध्यक्ष द्वारा बधाई एवं सदन के अनिश्चितकाल के स्थगन का प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, बजट सत्र के सत्रावसान के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को, माननीय विपक्ष के सभी नेताओं को, माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय उपाध्यक्ष जी को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि यह सत्र केवल राज्य के संसाधनों पर निर्णय लेने के लिए ही नहीं, बजट पास करने के लिए ही नहीं बल्कि बहुत बहुमूल्य सुझाव शासन के चलाने में और शासन की क्या दिशाएं होनी चाहिए, शासन को कहां और सतर्क होना चाहिए, इन सब बातों के बारे में विचार आये। हम लोगों में राजनीति में भले ही मतान्तर हो लेकिन इस प्रदेश के विकास में हम लोगों का कहीं भी मतान्तर नहीं है और प्रदेश के विकास के लिए विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए उनको मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। यह खुशी की बात है कि इतने वर्षों बाद समय से बजट पास हो रहा है, गत वर्ष भी हुआ। मेरा ख्याल है कि 14 वर्ष बाद ऐसा हुआ है।

(तालियां और मेजों की थपथपाहट)

यह एक अच्छी परम्परा है और इस परम्परा में विपक्ष का भी सहयोग रहा है। उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। यह अभी जो इस बजट सत्र में सौहार्द की भावना रही है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस वर्ष में जो क्रियान्वयन का विकेन्द्रीकरण किया गया है, जो जिला स्तर पर अनुश्रमण समितियां बनाई गयी हैं जिसमें इस प्रक्रिया के अन्दर हर विभाग के अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होंगे कि आज जो हम लोगों ने दो ढाई महीने बैठकर जो धनराशि इस माननीय सदन में स्वीकृत की है, उसको जिलों में भेजा गया है या नहीं और उसका कितना वित्तीय और भौतिक रूप से कार्यान्वयन हुआ है उसमें हम निवेदन करेंग कि वह परम्परा डालने का प्रयास हो रहा है कि जिला स्तर पर जो अधिकारीगण जन-प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों, उसमें विपक्ष के भी माननीय सदस्य हैं, जहां पर विकास के मामले हैं वहां पर पार्टी का सवाल नहीं है। इस परम्परा को हम और दृढ़ करें और यह परम्परा, चूंकि एक नई चीज का प्रयास किया जा रहा है, इसको वही प्यार और वही सुरक्षा देनी होगी, जो एक नवजात शिशु को दिया जाता है।

(4 बजकर 15 मिनट)

साथ ही मैं एक निजी आभार विशेष रूप से विरोधी पक्ष के नेताओं और सदस्यों के प्रति प्रकट करना चाहता हूं कि एक पारिवारिक विपत्ति में जिस समय मैं नहीं था, आप लोगों ने जो भावना प्रकट की है, उसके लिए मैं आभारी हूं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं और आपके विश्वास के प्रति आभार प्रकट करता हूं। एक इस देश में प्रान्त को आगे ले जाने में यह कहा जायगा कि यह एक नई परम्परा डाली गई है जिसमें केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों मिलकर इस प्रान्त को आगे ले जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

श्री मोहन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सत्र समाप्त होने की स्थिति में हम लोग हैं और लगभग तीन महीने से अधिक इस सदन में बैठकर हम लोगों ने सम्पूर्ण प्रान्त के वार्षिक बजट को पास किया है। विरोध पक्ष की यह मान्यता कभी नहीं रही कि वह प्रदेश के विकास कार्यों में अवरोध पैदा करने का रास्ता अख्तियार करे। इसीलिए विनियोग विधेयक हम लोगों ने सर्व सम्मति से पास किया। उसके पीछे जो भावना है वह यह कि प्रदेश के विकास में हम सभी लोग, जैसा कि माननीय नेता सदन ने अपने विचार प्रकट किए हम भी अपने को भागीदार मानते हैं, इस आग्रह के साथ कि जो आदरणीय सदन की समितियां हैं, उनका जो प्राविधान है, उनको शासन को पालन करना चाहिए। और दूसरा आग्रह मेरा यह है कि सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वे यहां जो अपने विचार प्रकट करते हैं, (1) बहुत पहले से यह प्रथा थी कि सम्बन्धित विभाग के कुछ अधिकारी बैठते थे तथा अपना नोट तैयार करते थे और सदन बैठने के बाद सम्बन्धित मन्त्री और सम्बन्धित विभाग के अधिकारी मिलकर सदन में जो विचार व्यक्त किए जाते थे उसके अनुरूप अपने विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार लाने की कोशिश करते थे। लेकिन यह दुखद स्थिति है कि धीरे-धीरे वह परिपाटी खत्म हो रही है, जिसका नतीजा है कि इस सदन में कही हुई बातों का कोई मूल्य हो या शासन व प्रशासन में उसकी स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती हो वह धीरे-धीरे बन्द होती जा रही है। इस बात पर हम लोगों सभी को सोचना चाहिए कि इस सदन में माननीय सदस्य जो कुछ भी अपने विचार प्रकट करते हैं या सुझाव देते हैं उन पर मजबूती के साथ (2) अमल हो।

जाहिर बात है कि हम लोग आलोचना करते हैं लेकिन आलोचना करने में हमारी नीयत में कोई बदनीयती नहीं रहती है। हमारी सूचनाएं गलत हो सकती है, हमसे बहुत से कहने वाले लोगों का स्रोत गलत हो सकता है लेकिन उन सूचनाओं को इस सदन के सामने रखकर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं ताकि उन सूचनाओं के आधार पर अमल होता रहे और भविष्य में प्रशासन पर इस सदन का नियन्त्रण रहे। देश और प्रदेश की तरक्की के लिए जो नियोजन के विकेन्द्रीकरण की नई प्रणाली प्रारम्भ की गयी है, मैं समझता हूं कि अब आगे चल कर प्रभावकारी व असरदार होगी और विपक्ष ही के लोग भी उस नियोजन प्रणाली में अपना सहयोग चाहते हैं और इस सम्बन्ध में आपने जो विचार प्रकट किए हैं उसके लिए मैं आपका अनुग्रहीत हूं। विपक्ष के लोग कभी भी इस कार्य में (3) आपसे अलग या बाहर नहीं जायेंगे। विकेन्द्रीकरण की जो नियोजन प्रणाली है उसकी विचारधारा को परिमार्जित करके धरातल के अन्तिम छोर पर जो समाज के आदमी हैं, उन तक हम तरक्की का अवसर उपलब्ध करा सकें तो मैं समझूंगा कि हम भी उस धारा में एक कारगर ढंग से साझीदार हो सकेंगे। और उससे हम समाज का ज्यादा हित कर सकेंगे।

[श्री मोहन सिंह]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विपक्ष की ओर से हमारे जो सत्ता पक्ष में बैठने वाले साथी हैं, सदस्यगण हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय मन्त्रीगण हैं, उन्होंने जो हम लोगों के बीच हास परिहास हुआ है, उसे सहिष्णुता के साथ सहन किया यह एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली के लिए शुभ लक्षण हैं। आये दिन दूसरे विधान सभाओं के जो समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि मार-पीट हुई, घूंसा बाजी हुई, कम से कम इस इतिहास में हम लोग नहीं हैं। सम्भवतः ज्यादा आक्रामक ढंग से हम लोगों ने बातें कहीं और ज्यादा सहिष्णुता के साथ सही। यह प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली का स्वस्थ लक्षण है।

इन शब्दों के साथ और इस विश्वास के साथ हम उठते हैं कि हम शीघ्र ही मिलेंगे। आपके पीठ से जो आशा और अपेक्षा की गयी है कि इस सदन के कम से कम वर्ष में तीन सत्र अवश्य होंगे और समय के अन्दर हुआ करेंगे, इसके प्रति माननीय नेता सदन, जो इस सदन के प्रति जिम्मेदार हैं, अवश्य ध्यान देंगे। गत वर्ष की तरह नहीं कि साल भर के बाद मिलें, मेरा विश्वास है कि हम लोगों को शीघ्र मिलने का अवसर मिलेगा।

जहां तक आपके व्यक्तिगत बात का सवाल है, हम सब लोगों की भावना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे माहौल में यह इन्सानियत और मानवता का तकाजा था कि हम लोग आपके साथ आपके दुःख में साझीदार होते। इसमें कोई अनुगृहीत होना नहीं है। यह तो हमारा कर्तव्य था। उसी का हमने पालन किया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से सभी माननीय सदस्यों का नए सत्र के शीघ्र बुलाने की अपेक्षा में अभिनन्दन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, सदन सौहार्दपूर्ण वातावरण में अनिश्चित काल के लिए उठ रहा है। यह बात बिल्कुल सही कही गयी है कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों हमने संसदीय लोकतन्त्र स्वीकार किया है। और संसदीय लोकतन्त्र में प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। इसलिए वैचारिक टकराव अपनी जगह पर होते हुए भी हम लोगों का उद्देश्य एक है कि हमारे प्रदेश का विकास हो, कमजोर वर्ग के लोग आगे बढ़ें जैसाकि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। हम इससे सहमत हैं। जो विकेन्द्रीकरण की योजना अपनाई गयी है के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लिए विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, हम दोनों आगे बढ़ेंगे, और हमारा, उनका, परस्पर सहयोग रहेगा।

लेकिन एक शंका प्रतिपक्ष के सदस्यों के मन में पैदा होती है और मैं समझता हूं वह भावना माननीय मुख्य मन्त्री जी तक भी पहुंचा होगी। विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत जो कमेटी मीटिंग होती है उसे तथा सप्लीमेंट्री बजट को देखने से प्रकट होता है और यह बात जरूर मन में आती है कि सत्तारूढ़ दल में एक विशेष स्थान पर लोग बैठे हुए हैं उनके क्षेत्र की ओर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे हम लोगों के मन में एक कुण्ठा पैदा होती है। जो नीडी है उसको प्राथमिकता दी जाय। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए कि प्रतिपक्ष के व्यक्ति की कानस्टीटूएन्सी है, सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति की कानस्टीट्यूएन्सी है।

माननीय मोहन सिंह जी ने सब बातें विस्तार से कह दी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत और हमारी नियमावली के नियम 14 के तहत इस बात को स्वीकार किया गया है कि सदन वर्ष में तीन सत्र और 90 दिन बैठा करेगा। 90 दिन की परम्परा रही है वह परम्परा बने और सदन 90 दिन वर्ष में बैठे और इस प्रकार सदन 90 दिन बठेगा तो कटुता हमारे अन्दर चर्चा में पैदा हो जाती है, पक्ष और विपक्ष को लेकर वह समाप्त हो जायगी क्योंकि मन भर कर अपनी बात कहने का हमें मौका मिलेगा। साथ ही जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा है कि मुख्य मन्त्री जी के ऊपर इस समय एक

पारिवारिक कष्ट है । श्रीमन, यह कष्ट सबके ऊपर है, आपके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। यह दुख आपके ऊपर भगवान ने दिया है । इसलिए जो भावनायें हमने यहां पर व्यक्त की हैं, वह हमारा कर्त्तव्य था, वही हमने किया है। इसको स्वीकार करते हुए इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन, आज हम लोग 2 महीने 20 दिन तक वहां बैठकर सत्र की समाप्ति कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में माननीय नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं सबसे पहले शासन के उन कर्मचारियों और समाज के साधारण नागरिकों तथा साथ ही साथ उसी सम्बन्ध में जस्टिस चन्द्र शेखर प्रताप सिंह जैसे लोगों ने इस प्रदेश में ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ हमारा यह सेशन एक ऐतिहासिक सेशन हो गया कि सबसे बड़ा बजट हमने पास किया और उसके पालन में कुछ ऐसे रत्नों को खो दिया जोकि इस सदन के भूतपूर्व अध्यक्ष, मुकुन्दी लाल जी, कृपालानी जी, फिराक साहब, जोश साहब, नवाब रामपुर, नवाब छतारी जैसी महान हस्तियां थीं उनको भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसलिए यह ऐतिहासिक सदन हो गया और इससे कुछ नई आशाएं भी बंधती हैं कुछ आश्वासन दिए गये हैं, कुछ घोषणाएं हुई हैं उनको लेकर हम उठेंगे उनका कार्यान्वयन शासन कर ले, यही उसके लिए सफलता की बात होगी। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि एक बार शासन को यह बात मजबूती से सोचने की जरूरत है कि यह माननीय सदन जोकि प्रजातन्त्र और हमारे सबके लिए एक मन्दिर या मस्जिद से कम नहीं है, उस हालत में हम सब जिन चीजों में एक राय के हो जायं, उनके एक्जीक्यूशन में देरी नहीं होनी चाहिए।

मुझे इस बात का दुःख है कि ज्यादा नहीं तो दो बार स्पष्ट रूप से इस सदन के अन्दर इस सदन के दोनों तरफ से आवाज उठी चाहे वह गृह मन्त्री जी की तरफ से घोषणा की बात हो और चाहे इस प्रदेश के स्टेट आफिसर के सम्बन्ध में कोई बात हो, मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि स्टेट आफिसर के सम्बन्ध में दोनों तरफ एक राय थी और एक आवाज थी लेकिन ऐसी चीजों के बारे में यदि उसके इम्प्लीमेन्टेशन के सम्बन्ध में देरी होती है तो उससे आत्मा को दुःख पहुंचता है। हम आज एक संविधान के आधार पर विधायिका के रूप में यहां पर बैठे हैं और हमारे किए गये निर्णयों और हमारे जो जजबात हैं उनकी कद्र कहां तक और कैसे होती है, यह देखने की बात है। इस बात की तरफ मैं शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनकी अमल-दरामद होनी चाहिए। हम जानते हैं कि हमने आलोचना और समालोचना की है, हमने अपने फर्ज का निर्वहन किया है ।

श्रीमन, अपने कपड़े पर धब्बा दिखाई नहीं पड़ता है। हमने उन धब्बों की तरफ इशारा किया है जोकि आपको दिखलाई नहीं पड़ता था। उनको हमने आपके सामने बैठकर दिखलाया है । आप उनको कहां तक धो पायेंगे, धो पायेंगे या नहीं, इसका आपको फैसला करना है । श्रीमन्, बड़ी- बड़ी समस्यायें हमारे सामने हैं उनके संबंध में मीटिंग में भी बातचीत हुई, गन्ने, आलू और मजदूरों की तथा हड़ताल की समस्यायें हैं जिनका निदान हम इस दो महीने बीस दिन में नहीं कर पाये हैं लेकिन उनको हल करना है। अन्त में मैं जोश साहब का एक शेर कहूंगा और आशा करता हूं कि नियम 14 के अन्तर्गत जिसका पालन करने का प्रयास यहां किया जायेगा उसकी अवहेलना नहीं होगी और हम फिर यहां जल्दी मिलेंगे इस उम्मीद के साथ में रिजवी साहब यहां पर बैठे हैं एक शेर सुनाना चाहता हूं--

कुछ फूल गिरेवां में कुछ बालों में, ये चमन के लूटने वाले गुलिस्तां बन बैठे हैं।

[श्री रियासत हुसैन]

तो श्रीमन्, यही हालत है इस चमन के लूटने वालों की? इस शासक दल के मंत्रियों ने बड़ी मेहनत की हम लोगों के सप्लीमेंटरी का जवाब देने में। उसमें से कितना सफल हुए और कितना विफल हुए यह भविष्य की बात होगी लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ी और आपने भी इस माननीय सदन को सुचारु रुप से चलाने का बड़ा प्रयास किया कभी कभी हम लोगों की तरफ से कष्ट भी हुआ आप उसको अपने व्यवहार से निभाये मैं आशा करता हूं कि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और हम लोगों को क्षमा करेंगे इस आशा के साथ कि जब हम आगें बैठेंगे और अच्छी तरह से इस प्रजातंत्र के मंदिर और मजिस्द में कुछ सीखेंगे। यही बात कह कर मैं अपने जजबात का इजहार करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

श्रीमन्, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल की ओर से माननीय मोहन सिंह जी ने और माननीय रियासत साहब ने जो विचार व्यक्त किये है मैं भी उनके विचारों से अपने को संबद्ध करता हूं। मान्यवर, एक बहुत लम्बे अर्से से हम यहां बैठे है और आज एक अच्छे माहौल में सत्रावसान हो रहा है। निश्चितरुप से सिर्फ सत्तापक्ष ही नहीं विरोधीपक्ष भी इसके लिये बधाई के पात्र है। हमने इस बजट को 31 मार्च से पहले पास किया विगत वर्ष भी किया था। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मात्र 31 मार्च से पूर्व बजट पास करने से इफैक्ट नहीं होता जब तक कि एक्जीक्यूशन की प्रक्रिया पूरी न हो जाय। विगत वर्ष भी 31 मार्च से पहले बजट पास किया था लेकिन इस वर्ष के 31 मार्च तक पैसा बटता रहा और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जब हमने विदिन दि टाइम बजट पास किया है तो उसका एक्जीक्यूशन भी उसी हिसाब से होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों से पी0 ए0 सी0 के समक्ष एक बैकलाग पड़ा हुआ था उसमें पी0 ए 0 सी0 के सदस्यों के स्नेहपूर्ण सहयोग से मैंने करीब 10 रिपोर्ट पेश की है और बहुत सारे गंभीर मसलों पर संस्तुतियां की हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके समाप्ति होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व बन जाता है कि उनकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा और उन संस्तुतियों का एक्जीक्यूशन होना चाहिये।

तीसरी बात जो इस बीच में बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई बहुत से भूतपूर्व सदस्य गण और बड़े-बड़े स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच से उठ गये उनका दुखद प्रकरण इस माननीय सदन में आया और हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी बीच जो सामाजिक विषमताओं के कारण कुछ घटनायें घटी और जिसके कारण आपके मन में दुख हुआ क्योंकि आप संवेदनशील है ,जिसमें बहुत से गरीबों को और सामाजिक विषमताओं को लेकर उन लोगों को कष्ट हुआ उसकी तरफ भी आपका ध्यान जायेगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप संवेदनशील है और वह संवेदनशील हम लोगों के लिए गौरव का विषय बन जायगी। नहीं तो श्रीमन., यह बहुत सारे कार्य होने हैं। ईमानदार अधिकारी हों, ईमानदार पोलेटिकल लोग हों और उसके बाद भी इफीशियेंसी नहों तो उससे क्या फायदा है। ईमानदार आदमी का प्रशासन ज्यादा कड़ाई से और उसकी भरपूर क्षमता के अनुसार होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं, कि आपको जो आघात लगा है, वह हम सबको लगा है। मैं एक परिवार की तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जीवन से लेकर अब तक उनके साथ जुड़ा रहा हूं। आपको मानसिक वेदना हुई है। इसके होते हुए भी पूरे प्रदेश का भार जो आपके कन्धे पर है, उसको चलाने में आपको शक्ति मिले, मैं ऐसी कामना करता हूं। इसके साथ मैं एक संस्कृत के श्लोक के साथ अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं।

"अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य, हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम्।
एकोहिदोषो गुण सन्निपात, निमज्जतीन्दोः किरिणेषवांकः"

बजट सत्र के सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त होने पर मुख्य मन्त्री व अन्य सदस्यों तथा श्री अध्यक्ष द्वारा बधाई एवं सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

पूरे हिमालय जिसकी गोद अनन्त रत्नों से भरी पड़ी है, उसका भी एक दोष यह है कि उसकी चोटियां सदा बर्फ से आच्छादित रहती हैं जैसे गुणों के समूह में एक दोष चन्द्रमा की किरणों में उसकी कालिमा की तरह लुप्त हो जाती है। उसी तरह से मुझे विश्वास है कि आपका जो प्रशासन है उसके नीचे यदि कोई छोटी मोटी बात होगी तो वह भी आपकी सक्षमता से दब जाएगी और लोगों के सामने उसकी चर्चा न होगी। अब एक अत्यन्त अच्छे माहौल में हम उठ रहे हैं मैं आप सबको और पूरे सदन को बधाई देता हूं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि बड़े अच्छे माहौल में सत्रावसान हो रहा है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

आज एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाने के बाद हम सब सदस्य यहां से उठ रहे हैं। इस बजट सत्र में बहुत से कार्य ऐसे हमने किये, जिससे हमने अपने कर्त्तव्य पालन को जनता के सम्मुख रखा कि हम इस लोकतंत्र प्रणाली में क्या योगदान कर सकते हैं। उसी प्रकार हम कार्य करते रहे। मान्यवर, हमने अपने देश में जिस प्रणाली को स्वीकार किया है, उस प्रणाली के अन्तर्गत सदन के अन्दर जो भी कार्य होते हैं, वह एक प्रतिबिम्ब की तरह जनता के सामने आते हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि यह जो सत्र चला, उसमें आपके योगदान से हमारे सभी साथियों के योगदान से हम लोग भली प्रकार अपने कर्त्तव्यों का पालन कर पाए हैं। मैं माननीय नेता सदन से विशेष कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन के अन्दर जो भी चर्चाएं हुई, जो भी ध्यान आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किये गये, और जो भी काम रोको प्रस्ताव के रूप में इस सदन में उसकी ग्राह्यता पर चर्चा हुई—भले ही आपने उसको स्वीकार न किया हो, उसको नेता सदन इस रूप में स्वीकार करेंगे कि उस पर विचार करने के लिये उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व है जिनका निर्वाह वे करेंगे।

मान्यवर, जितने भी सरकार के ध्यान आकर्षित किये जायं और जितने विषयों पर प्रश्न किए जायं, उन पर ही अगर सरकार पूरी तरह से छानबीन करके कार्यवाही करे, तो मैं समझता हूं कि इस सदन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। आज लोकतंत्र के प्रति जनता के मन जो भी आस्था गिरती जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि विरोध पक्ष के सदस्य जो भी बात सदन में रखते है, उस पर प्रशासन कीओर से उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जितना पहले कभी दिया जाता रहा है मुझे याद है कि इस सदन में और अन्य भी सदनों में यह परम्परा रही है कि जब कभी चर्चा होती थी तो उस विभाग से सम्बन्धित अधिकारी यहां बैठकर उसे नोट करते थे और कोई न कोई कार्यवाही उस पर अवश्य करते थे और उसके संबंध में अपने मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करते थे, लेकिन आज हम उसमें थोड़ी सी शिथिलता पाते हैं। मैं पूरे मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि आप पर उत्तरदायित्व है, आप उनकी अच्छी तरह से निर्वहन करें। सभी अच्छे कामों में हम सहयोग देते रहे है और देते रहेंगे, यह सदन में अपनी और अपने दल की ओर से देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, यहां पर बहुत सी बातें कही जा चुकी है लेकिन मैं केवल 2–3 बातों की ओर आपका और आपके माध्यम से नेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रजातंत्र को जिन्दा रखने के लिए और उसको चलाने के लिये जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, उससे कम जिम्मेदारी विरोध पक्ष की नहीं होती है। यदि विरोध पक्ष मजबूत हो, जैसा कि है नहीं, यदि बहुत मजबूत हो तो प्रजातंत्र को हम अच्छी तरह से और मजबूती के साथ चला सकते हैं। मैं पुरानी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर और जनरल बजट के ऊपर जो 8–9 दिन डिस्कशन होता था विभागाध्यक्ष और पूरा मंत्रिमंडल–1–2 को छोड़कर जो इधर उधर

[श्री ऊदल]

किसी काम से चले जाते थे, वह दूसरी बात थी, सदन में मौजूद रहते थे । बाबू सम्पूर्णानन्द, माननीय चन्द्र भानु गुप्त, माननीया सुचेता कृपलानी और पंत जी के समय में पूरा मंत्रि मंडल यहां पर बैठा रहता था यह सुनने के लिए कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर और जनरल डिस्कशन के समय क्या क्या सुझाव, क्या क्या आलोचनायें, सत्तापक्ष की ओर से या विरोध पक्ष की ओर से आयें। ऊपर से नीचे तक गैलरीज में जगह नहीं मिलती थी। आज इनकी उपेक्षा होती जा रही है। यह प्रजातंत्र की गाड़ी अच्छी तरह चले तो पिछले कई वर्षों से उपेक्षा हो गयी है, उसकी उसी स्तर पर फिर से लाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इस मंच से जो बातें यहां पर कही जाती हैं नियम 51 के अन्तर्गत और कामरोको प्रस्तावों के द्वारा कही जाती है उन सब की एक ही मंशा होती है कि हमारा प्रजातंत्र कैसे मजबूत हो।सब की नीयत चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर के सब की नीति यही रहती है।

दुर्भाग्य से मैं इस बजट सत्र में स्वयं महीनों गैर हाजिर रहा और हमारे उप नेता माननीय भीखालाल जी भी मार्च भर गैर हाजिर रहे। आज ही हम आये हैं। इस बीच में माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से बड़ा भारी सदमा आ गया। हमारे न्याय मूर्ति, हाई कोर्ट इलाहाबाद के श्री चन्द्र शेखर प्रताप सिंह, जिनके बारे में, मैं समझता हूं कि कहीं से भी किसी भी प्रकार की बात विरोध में सुनने को नहीं मिली। मैंने कई कर्मचारियों से सुना कि हमेशा वे न्याय प्रिय होते थे और सरकारी कर्मचारी, जो भी सरकार के खिलाफ अपनी बात को लेकर वहां गये, उनकी कोर्ट से यह पता चला कि ज्यादातर उन्होंने उनके पक्ष में ही अपने निर्णय दिए। वे हमेशा न्याय देने के पक्षधर रहे है। लेकिन यह जो सदमा उनके परिवार को ही नही बल्कि जब हम भी एक समाज के हैं और इस प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे परिवार को भी लगा है। मैं अधिवेशन में गये होने के कारण अपनी सहानुभूति प्रकट नहीं कर सका लेकिन हम आपके उस दुःख में आपके साथ हैं। आपको ऐसी शक्ति मिले कि उस दुर्घटना को आप सह सकें ? और इसी बीच में हमारे एक सज्जन साथी, संसदीय कार्यमंत्री श्री रामरतन सिंह जी के पुत्र की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी, उनके परिवार को जो भयानक दुख और विपत्ति पहुंची उसका भी हमें बहुत दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति भी हम अपनी सहानुभूति एवं दुख प्रकट करते हैं। यह सही है कि मरने वाले को कोई बचा नहीं पाया है, पर जिस तरह से यह घटना हुई वह दुख देने वाली है। इन शब्दों के साथ मैं फिर स्वर्गीय न्याय मूर्ति श्री चन्द्र शेखर प्रताप सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपकी सज्जनता के बारे में किसी को काई राजद्वेष नहीं है, आप भूर भूर प्रशंसा के पात्र हैं। आप अपना प्रशासन किस तरह से चलायेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। उसमें हमारा दखल देने का सवाल नहीं है। जहां कहीं भी आप हमारा सहयोग मांगेंगें हम उसे देने के लिये तैयार हैं। हम अ पके यहां सहानुभूति प्रकट करने नहीं जा सके, हम बहुत व्यस्त थे, उसके लिये हम आप से क्षमा मांगते हैं। हम माननीय अध्यक्ष जी के प्रति भी आभारी है, माननीय उपाध्यक्ष जी के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते है जो सदा ही यहां सदन में हमें हंसा हंसा कर सदन को शांतपूर्वक चलाते है और हमें अपनी बात कहने का भी अवसर देते है। सदन को जो सुचारु रूप से माननीय अध्यक्ष जी और माननीय उपाध्यक्ष जी ने चलाया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, हमारी विधान सभा देश की सबसे बड़ी विधान सभा है। आज दुनिया में प्रजातंत्र का लोप होता जा रहा है। हिन्दुस्तान के अगल बगल तानाशाही प्रवृति आती जा रही है, बल्कि सैनिक तानाशाही आ रही है, यह एक खतरे का सूचक है। इस खतरे के बीच में हमें अपने हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र को बनाये रखना है और उस प्रजातंत्र को बनाये रखना है जिसे हमने काफी कुर्बानियां के बाद हासिल किया है। उसको बचाने का फोरम यही विधान सभा है और उसको बचाने का दायित्व सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों के ऊपर है। हमें मिल कर इस बात का प्रयास करना चाहिये कि भविष्य में कभी भी

तानाशाही का इतिहास अपने यहां पनपने न पाये और स्वतंत्र वातावरण में अपनी बातों को कहते हुये हम प्रजातंत्र की नीव को मजबूत कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, अन्य दलों के माननीय नेताओं को और माननीय अध्यक्ष जी तथा माननीय उपाध्यक्ष जी को पुनः धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय मोहन सिंह, माननीय राजेन्द्र सिंह, माननीय हरीकिशन जी, माननीय रियासत हुसेन, माननीय गौरीशंकर एडवोकट, माननीय ऊदल जी, सभी ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है । मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, सभी दलों के माननीय नेताओं और इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का हृदय से आभारी हूं। मेरे पास कभी कभी लोग आते थे, उनकी एक धारणा बनी हुई है कि सदन में हल्ला होता है, सदन में झगड़ा होता है, सदन में कुछ होता नहीं है, सदन में कुछ गजब होता है और एक धारणा होती है कि नौजवान लोग इसमें आये हुये है, इसमें क्या होता है ? मुझे प्रसन्नता है कि तीन महीने यह सदन चला और कभी भी नियमों का उल्लंघन ऐसा नहीं हुआ कि हमको इस बात के लिए बाध्य होना पड़े कि सदस्य के लिए किसी ऐसे तरीके का प्रयोग करना पड़े जो कि हमारे लिए और आपके लिए रुचिकर न हो। सत्ता पक्ष के लोगों ने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया । आपने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया। सत्ता पक्ष की तरफ से आने वाली कार्य सूची पूर्ण रुप से समाप्त हुई। जितने प्रश्न प्रतिदिन निर्धारित थे, वह सारे के सारे प्रश्न हुए और यह स्वाभाविक है कि जहां विरोधी विचारधारा के लोग होते है, वहां पर इस तरह की अभिव्यक्तियां होती है, लेकिन वह सभी सीमाओं के अन्दर हुई और मैने बहुत प्रसन्नता से उसका अनुभव किया कि जब सीमा से बाहर जाने लगे, चाहे वह विरोधी दल के सदस्य हो या सत्ता पक्ष के सदस्य हों, उनके नेताओं ने स्वयं उनको सीमा के अन्दर रहने के लिए प्रेरित किया । आपके सहयोग के लिये मैं आपका आभारी हूं । मेरी तरफ से जो कुछ अनजाने भूल हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसी बात न होने पाये।

मैं अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों और अपने उपाध्यक्ष का आभारी हूं कि इन सबने मिल कर इस सदन को सुचारु रुप से चलाने में हमे सहायता दी और अन्त में मैं यह कहूंगा कि सदन की सारी प्रक्रिया को देखते हुये जिस तरह से यह सदन तीन महीने चला, भविष्य में जल्द से जल्द जब सरकार समझे, नियम को ध्यान में रखकर सदन को बुलाये और अगले सत्र में हम ऐसा आदर्श स्थापित करें कि देश की दूसरी विधान सभाओं को एक दिशा मिले कि सदन में विरोध पक्ष अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कह सके और सत्ता पक्ष पूरी कार्य सूची का परिपालन करा सके और इन सबके बावजूद भी आपस में कोई कटुता पैदा न हो। मैं पुनः आभार प्रकट करते हुये, जो नेता सदन ने प्रस्ताव रखा है, उस प्रश्न को प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 45 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
5 अप्रैल, 1982 ।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 144 पर)

(संलग्नक 'क')

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1980–81 से सम्बधित कार्य एवं कार्य की स्थिति

क्र0सं0	विकास खण्ड	सम्पर्क मार्ग का नाम	प्रस्तावित कार्य			पूर्ण कार्य			प्रगति पर			विशेष	विवरण
			मिट्टी कि0मी0	पुलिया संख्या	खड़ंजा कि0मी0	मिट्टी कि0मी0	पुलिया संख्या	खड़ंजा कि0मी0	मिट्टी कि0मी0	पुलिया संख्या	खड़ंजा कि0मी0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	सैदाबाद	फतुआ से बरेठी	1.70	—	2.45	1.70	—	2.45	—	—	—		
2	,,	जी0टी0 रोडसंरग्थूपुर	2.58	8	2.58	2.58	8	2.58	—	—	—		
3	,,	हमीरपुर से आसेपुर	2.70	9	2.70	2.70	9	2.70	—	—	—		
4	,,	बिगहिया रोड	1.95	6	1.95	1.95	6	1.95	—	—	—		
5	,,	ब्यूर खेरूआ से बढ़ौली	1.87	4	1.87	1.87	4	1.87	—	—	—		समस्त कार्य पूर्ण
6	,,	घूरूवा से चांदोपुर	3.50	7	1.50	3 50	7	1.50	—	—	—		
7	प्रतापपुर	चम्पापुर से जलालपुर	2.50	9	—	2.50	9	—	—	—	—		
8	,,	अनुआ से वनूथ	2.90	11	—	2,90	11	—	—	—	—		
9	,,	पुरेरूदईपुर से विन्द्रावन	2.00	6	1.50	2.00	6	1.50	—	—	—		
10	फूलपुर	ब्लाक कालोनी फूलपुर से ठोकरी	0.35	—	-1.283	0.35	—	-1.283	—	—	—		
			22.05	60	15.833	22.05	60	15.833					

संलग्नक 'ख'

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1981–82 में प्रस्तावित कार्यों की प्रगति

क्र0सं0	विकास खण्ड	सम्पर्क मार्गों का नाम	प्रस्तावित कार्य			पूर्ण कार्य			प्रगति कार्य			अन्य विवरण
			मिटटी कि0मी0	पुलिया संख्या	खड़ंजा कि0मी0	मिट्टी कि0मी0	पुलिया संख्या	खड़ंजा कि0मी0	मिट्टी कि0मी0	पुलिया संख्या	खड़ंजा कि0मी0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सैदाबाद	फतुआ से बरेठी	—	—	0.75	—	—	0.75	—	—	—	
2	,,	ब्यूरे खेरूआ से बढ़ौली	2.00	8	—	2	—	—	—	8	—	
3	,,	घुरूंवा से चयदोपारा	3.00	12	2.00	3	6	2.00	—	6	—	
4	,,	अषढिया से हरिहरपुर	4.50	15	2.00	3.50	8	1.00	1.00	7	1.00	
5	,,	जी0टी0 रोड से ढुसौती	0.70	3	0 70	0.67	2	0.67	0.03	1	0.03	
6	,,	बरेठी जलालपुर सीरा	11.00	13	—	10.00	8	—	1.00	5	—	
7	प्रतापपुर	चम्पापुर से जलालपुर	—	1	2.50	—	—	1.00	—	1	1.50	
8	,,	बीबीपुर सेमोगवारा	2.00	8	0 95	2.00	—	0.45	—	8	0.50	
9	,,	अनुवां से चनैथू	—	4	2.90	—	4	—	—	—	2.90	
10	,,	अनुवा रोड	1.00	4	0.50	1.00	2	0.30	—	2	0.20	
11	,,	बरस्ता से कवेहरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	,,	सराय मनोहर उर्फ बरजीबारा	1.80	6	—	1.80	4	—	—	2	—	
13	,,	लोहरी डीह से सकोश बीर	2.50	7	—	2.00	4	—	0.50	3	—	
14	,,	नेदुला से सरयूपट्टी	4.00	12	—	2.00	—	—	2.00	—	—	12 पुलियों का निर्माण धनाभाव के कारण अवरुद्ध।
15	,,	कोड़ापुर से बलिकरनपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			32.50	93	12.30	27.97	38	6.17	4.53	43	6.13	

संलग्नक 'ग'

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1981–82 में विकास खण्ड से प्राप्त प्रस्तावित कार्यों की प्रगति

क्रम संख्या	विकास खण्ड	सम्पर्क मार्गों का नाम	प्रस्तावित कार्य			पूर्ण कार्य			प्रगति पर			अन्य विवरण
			मिट्टी कि0मी0	पुलिया संख्या	खड़ंजा कि0मी0	मिट्टी कि0मी0	पुलिया संख्या	खड़ंजा कि0मी0	मिटटी कि0मी0	पुलिया संख्या	खड़ंजा कि0मी0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रतापपुर	चौका से चनौथू	5.00	15	—	3.00	—	—	2.00	—	—	27 पुलियों एवं 7 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य धनाभाव के कारण अवरुद्ध।
2	,,	हण्डिया फूलपुर से बेलावास	3.00	12	—	2.00	—	—	1.00	—	—	
3	,,	खानपुर हारी रेलवे फाटक से विशम्भरपुर	1.50	—	—	0.50	—	—	1.00	—	—	
4	,,	कडुवाडीह से बरियारी	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	,,	सेमरी से हीरामनपुर बरेन्द	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	,,	हतौना से कटहरी स्कूल	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	
			16.50	27	—	5.50	—	—	4.00	—	—	

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 145 पर)

श्रम के बदले खाद्यान्न वितरण योजना के अधीन वर्ष 80–81 में निर्माण की गई सड़कों की सूची विकास खण्डवार

क्रमांक नाम विकास खंड	सड़क का नाम	प्रस्तावित सड़क की दूरी	सम्प्रति कृत कार्य	अन्य विवरण
1–कुराना	1–लहरा सम्पर्क मार्ग	0-850 कि0मी0	0-850 कि0मी0	
2–सुमेरपुर	1–टेढ़ा–सुरौली	8.700 कि0मी0	5.760 कि0मी0	
3–मौदहा	1–करहिमा–खण्डेह	5.500 कि0मी0	5.500 कि0मी0	
4–कवरई	1–श्रीनगर से भण्डरा	6 कि0मी0	5.250 कि0मी0	
	2–भण्डरा से मवई	15 कि0मी0	1.525 कि0मी0	
	3–बवेडी से कोहारी	3 कि0मी0	2.963 कि0मी0	
5–जैतपुर	1–मगंहिया से अजनर	3 कि0मी0	3 कि0मी0	
	2–लुहेड़ी से महोबा नौगांव मार्ग तक	3 कि0मी0	0.965 कि0मी0	
	3–स्यावन से अजनर	4 कि0मी0	4 कि0मी0	
	5––भगटिया से टिकरिया	4 कि0मी0	3.060 कि0मी0	
	5–रजौनी से कुड़ई	2 कि0मी0	1.741 कि0मी0	
	6–जटेवरा से बडखेरा	2 कि0मी0	1.602 कि0मी0	
6–चरखरी	भखारा से सतारी	5.500 कि0मी0	5.000 कि0मी0	

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत निर्माणाधीन जो वर्ष 81–82 हेतु निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है की सूची पंचायत राज विभाग जनपद हमीरपुर

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	दूरी कि0 मी0 से	सम्प्रति कृत कार्य	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	1–मुस्करा	1–इमिलिया उमरी सम्पर्क मार्ग	6 कि0 मी0	4 कि0 मी0	
2	2–कवरई	1–इमिलिया से महोबा नौगांव मार्ग तक संपर्क मार्ग	1 कि0 मी0	0.172 कि0 मी0	
		2–महोबा कवरई मार्ग से झिरसेहवा सम्पर्क मार्ग	3 कि0 मी0	1.830 कि0 मी0	
		3–उवई से अतारारमाफ मार्ग	3 कि0 मी0	1.125 कि0 मी0	
		4–सिचौरा धरौन सम्पर्क मार्ग	5 कि0 मी0	0.975 कि0 मी0	
		5–पसवारा रतौली सम्पर्क मार्ग	4 कि0 मी0	0.231 कि0 मी0	
3	3–चरखारी	1–सूपा स्वासायक से साल्ट नरैडी सम्पर्क मार्ग	3 कि0 मी0	2.150 कि0 मी0	
4	4–जैतपुर	1–मंगरौलाकलां से अजनर मार्ग	7 कि0 मी0	0.150 कि0 मी0	
		2–बछेछी खुर्द से मगंरौलकलां सम्पर्क मार्ग	2 कि0 मी0	0.140 कि0 मी0	
5	5–पनवाड़ी	1–कोनिया सम्पर्क मार्ग	1 कि0 मी0	0.760 कि0 मी0	
6	6–राठ	1–अतरौलिया लिंक मार्ग	—	—	कार्य आरम्भ नहीं हुआ ।

नोट––वर्ष 80–81 में उपरोक्त योजनान्तर्गत प्रगति शून्य समझी जाय ।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ 167 पर)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 तथा 158 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों तथा मुद्रण की त्रुटियों के शोधन का विवरण ।

नियम 147 के अन्तर्गत

1—खण्ड 6:—उपखण्ड (1) के स्पष्टीकरण की पंक्ति 4 में शब्द "प्रयोजनाथ" के स्थान पर शब्द "प्रयोजनार्थ" रख दिया गया है।

2—खण्ड 9:—(1) मद (क) के अन्त में चिन्ह "," (कामा) के स्थान पर चिह्न ";" (सेमीकोलन) रख दिया गया है ।

(2) मद (छ) की पंक्ति 1 में शब्द "उपलब्धियों" के स्थान पर शब्द "उपलब्धियां" रख दिया गया है ।

(3) मद (ञ) की पंक्ति 3 में शब्द "आनुसंगिक" के स्थान पर शब्द "आनुषंगिक" रख दिया गया है ।

3—खण्ड 10:—पंक्ति 3 में शब्द "देना" के स्थान पर शब्द "देगा" रख दिया गया है।

4—खण्ड 14:—उप खंड (3) की मद (क) की पंक्ति 1 में शब्द "सचालित" के स्थान पर शब्द "संचालित" रख दिया गया है ।

5—खण्ड 16:—उपखण्ड (1) (ख) की पंक्ति (3) में चिह्न "।" (पूर्ण विराम) के स्थान पर चिन्ह ";" (सेमीकोलन) रख दिया गया है।

6—खण्ड 27:—उपखण्ड (1) की पंक्ति 1 में शब्द "नियुक्ति" के स्थान पर शब्द "नियुक्त" रख दिया गया है ।

7—खण्ड 22:—उपांतिक टिप्पणी में शब्द "अध्यादेश" के स्थान पर शब्द अधिनियम" रख दिया गया है ।

नियम 158 के अन्तर्गत

(1) खण्ड 1 में वर्ष "1981" के स्थान पर वर्ष "1982" रख दिया गया है।

(2) प्रस्तावना में शब्द "बत्तीसवें" के स्थान पर "तैंतीसवें" रख दिया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 167 पर)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 158 के अन्तर्गत किये गये आनुषंगिक संशोधन का विवरण

प्रस्तावना में शब्द "बत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "तैंतीसवें" रख दिया गया है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 167 पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 158 के अन्तर्गत किये गये आनुषंगिक संशोधन का विवरण ।

प्रस्तावना में शब्द "बत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "तैंतीसवें" रख दिया गया है ।

विधानसभा

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 167 पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 व 158 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

नियम 147

विधेयक के खण्ड 4 की पंक्ति 2 में शब्द "में" तथा शब्द "शब्द" के मध्य चिन्ह " , " रख दिया गया है ।

नियम 158

प्रस्तावना में शब्द "बत्तीसवें" के स्थान शब्द "तैंतीसवें" रख दिया गया है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "छ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 167 पर)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 तथा 158 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

नियम 147

1--खण्ड 3 की पंक्ति 1 में शब्द "पश्चात" के स्थान पर शब्द "पश्चात्" रख दिया गया है ।

2--खण्ड 4 के उपखंड (2) के अन्त में चिन्ह "।" (पूर्ण विराम) बढ़ा दिया गया है।

नियम 158

3--प्रस्तावना में शब्द "बत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "तैंतीसवें" रख दिया गया है ।

नत्थी "ज"

(देखिए पीछे पृष्ठ 167 पर)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 मे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 158 के अन्तर्गत किये गये आनुषंगिक संशोधन का विवरण ।

प्रस्तावना में शब्द "बत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "तैंतीसवें" रख दिया गया है ।

नत्थी "झ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 168 पर)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 159 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण

खण्ड 3 के उप खण्ड (2) की पंक्ति दो में शब्द "संशोधित" के स्थान पर "यथासंशोधित" रख दिया गया है।

प्रदेश सभा

नत्थी "ब"

(देखिए पीछे पृष्ठ 174 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री कुंवर सिंह नेगी द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न 14 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
14—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, मू0स0 विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ने 1 जुलाई, 1980 से 1 नवम्बर, 1981 तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर गढ़वाल मण्डल में कितनी नियुक्तियां की हैं ?	13 नियुक्तियां की हैं।
और क्या यह भी सही है कि इन नियुक्तियों में उन्होंने शासकीय नियमों की अवहेलना कर गढ़वाल मण्डल से बाहर के लोगों को नियुक्ति दी है।	जांच की जा रही है।
यदि हां, तो क्या ये नियुक्तियां निरस्त की जायेंगी ?	जांचोपरान्त नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी।
और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।	

भानु प्रताप सिंह,
कृषि मंत्री।

यू0एस0यू0पी0-एल0 54 विधान सभा(86)—1983--813।